

HPERC



ANNUAL REPORT

2014-15

वार्षिक रिपोर्ट

२०१४-१५

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग



ANNUAL REPORT **2014-15**

(U/S 105 of The Electricity Act, 2003)

वार्षिक रिपोर्ट

२०१४-१५

(धारा 105, विद्युत अधिनियम, 2003)

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION**

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
खलीनी, षिमला-171002

TABLE OF CONTENTS

Chapter –1	1
<i>Constitution of Electricity Regulatory Commission</i>	1
Chapter-2	4
<i>Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC)</i>	4
CHAPTER-3	9
<i>Decision making process, including channels of supervision and accountability</i>	9
CHAPTER-4	10
<i>Norms for the discharge of its functions</i>	10
CHAPTER-5	11
<i>Budget indicating the particulars of plans, proposed expenditures and disbursements made</i>	11
CHAPTER-6	12
<i>Summary of Commission’s Statutory Activities during the year</i>	12
CHAPTER-7	48
<i>Consultations with, or representations by, the members of the public in formulation of policy or implementation.</i>	48
CHAPTER-8	48
<i>Committees and other advisory bodies constituted for advice</i>	48
CHAPTER-9	49
<i>A brief overview of the Power Sector Departments and State Utilities</i>	49
CHAPTER-10	57
<i>Directory of Officers and Staff</i>	57
CHAPTER-11	57
<i>Remunerations of Officers and Staff</i>	57
CHAPTER-12	58
<i>Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by the Commission or used for discharging its functions.</i>	58
CHAPTER-13	60
<i>Subsidy programmes, including the allocations and the beneficiaries</i>	60

CHAPTER-14	60
<i>Recipients of concessions, permits or authorizations granted</i>	60
CHAPTER-15	60
<i>Details of the information available or held by it, in an electronic form</i>	60
CHAPTER-16	60
<i>Facilities available to citizens for obtaining information, including library or reading room, if maintained, for public use</i>	60
CHAPTER-17	61
<i>Names, designations and other particulars of the Public Information Officers</i>	61
CHAPTER-18	62
<i>Categories of documents held by the Commission or under its control</i>	62
Annexure –I	63
Telephone Directory of the Staff of the Commission as on 31.03.2015	63
ANNEXURE-II	64
<i>Salary of the Chairman, Officers and Employees as on 31.03.2015</i>	64
ANNEXURE-III	65
<i>Details of staff w.e.f. 01.04.2014 to 31.3.2015</i>	65
ANNEXURE-IV	67
<i>State Advisory Committee Members of the Commission</i>	67

Chapter –1

Constitution of Electricity Regulatory Commission

1.1 Legislative Provisions:

The HP Electricity Regulatory Commission (HPERC) was constituted by the Govt. of Himachal Pradesh under the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 in December 2000 and started functioning with effect from 06th January, 2001. At that time, the electricity industry in the country was governed by three enactments namely, the Indian Electricity Act, 1910; the Electricity (Supply) Act, 1948 and the Electricity Regulatory Commission Act, 1998. The Act of 1910 created the basic legal framework for the electricity supply industry in India, and the Act envisaged growth of the electricity industry through private licensees. It created legal framework for laying down of wires and other works relating to Electricity Supply Act of 1948, mandated the creation of the State Electricity Boards (SEBs). It was felt that electrification which was limited to cities needed to be extended rapidly and the State should step in to shoulder the responsibility. However, over a period of time, the performance of SEBs deteriorated, owing inter alia to the position of SEBs in not being able to take decision on tariffs in a professional and independent manner and the tariff determination in practice being done by the State Governments. To address this issue and to provide for distancing of government from determination of tariffs, the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 was enacted. This Act created the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and had the enabling provisions for the creation of State Electricity Regulatory Commissions (SERC) by the States Governments. Many State Govt., had enacted their own Acts to bring in reforms in the electricity sector. Under the State Reforms Acts, States like Orissa, Haryana, Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan and Uttar Pradesh had already undertaken reforms in the direction of unbundling SEBs into separate Generation, Transmission and Distribution Companies through their respective transfer schemes and establishing SERCs.

The Electricity Act, 2003 was enacted on 26th May, 2003 to consolidate the laws, relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of Central Electricity Authority, State Electricity Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal. This Act of 2003 mandated private sector participation in generation, transmission and distribution, the distancing of Governments from regulatory responsibility, harmonisation and rationalisation of the previous three Central Acts of 1910, 1948 and 1998 into a single legislation while preserving core features other than those relating to the existence of SEBs, obviating the requirement of each State Government to pass its own Reforms Act while also obviating the regulating of licensees by the State Government and SEBs.

All the State Electricity Regulatory Commissions, constituted under the Electricity Act, 2003, and also the Central Electricity Regulatory Commissions and State Electricity Regulatory Commissions created under the 1998 Act and under the State Reforms Acts, now function under the Electricity Act, 2003. These Commissions function as statutory bodies with a quasi-judicial and legislative role and functions.

1.2 Objectives of the Constitution of State Commissions:

With the policy of encouraging private sector participation in generation, transmission and distribution and the objective of distancing the regulatory responsibilities from the Government to the Regulatory Commissions, it was necessary to have national registration providing for a comprehensive and uniform regulatory frame work in the country, at national and the State level for all the States and also for newer concepts of markets development including open access and trading. Therefore, the main objectives of the Electricity Act 2003 is to enable the power sector to develop and commercial principles by encouraging and facilitating investments, competition and market development thereby ultimately benefiting the electricity consumers by making available quality supply at competitive rates. In this context, the role of the State Commissions is pivotal in order to realise the objectives, envisaged in the Electricity Act and Policies framed there under.

1.3 Functions of the State Commission:

The main functions of the Commission are determination of tariff for generation, transmission and supply of electricity and to facilitate transmission and wheeling of electricity based on commercial principles that would encourage investments, competition and efficiency in power sector and at the same time safeguarding consumers' interest in terms of tariff, quality of service and an effective grievances redressal.

As per section 86(1) of the Electricity Act, 2003, the State Commission has been assigned the following mandatory functions: -

- To determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

- To regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;
- To facilitate intra-State transmission and wheeling of electricity;
- To issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operation within the State;
- To promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such

sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

- To adjudicate upon the disputes between the licensees and generating companies and to refer any dispute for arbitration;
- To levy fee for the purposes of the Act;
- To specify State Grid Code consistent with the Grid Code specified under clause (h) of sub-section (1) of section 79;
- To specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;
- To fix the trading margin in the Intra-State trading of electricity, if considered, necessary;
- To discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

The Commission under section 86(2) of the Electricity Act, 2003 can advise the State Government on all or any of the following matters, namely:-

- (i) Promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;
- (ii) Promotion of investments in electricity industry;
- (iii) Reorganization and restructuring of electricity industry in the State;
- (iv) Matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred by State Government.

Chapter-2

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC)

2.1 Constitution of Commission:

The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission is a statutory organization and is a body corporate established on 30.12.2000 under the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (14 of 1998) and started functioning from 6th January, 2001 with its headquarter at Shimla. As per Section 82 of the Electricity Act 2003, the Electricity Regulatory Commission, under the Act of 1998 shall be the State Commission for the purpose of the Act of 2003.

As per Section 82(4) of the Electricity Act, 2003, the State Commission shall consist of not more than three Members, including the Chairperson.

Chairperson and Members of the State Commission are appointed by the State Govt. on the recommendation of a Selection Committee headed by a person who has been a Judge of the High Court and comprising of Chief Secretary of the concern State and the Chairperson of the Central Electricity Authority or Chairperson of Central Electricity Regulatory Commission as Members and shall hold office for 5 years or up to 65 years of age, whichever is earlier.

The State Commission, at present is only one member Commission. Sh. S.S. Gupta was the first Chairman of the Commission w.e.f. 06.01.2001 to 05.01.2006 and thereafter Sh. Yogesh Khana remained as Chairman w.e.f 31.01.2006 to 29.01.2011. Presently, Shri Subhash Chander Negi is the Chairman of the Commission w.e.f. 01.02.2011.

2.2 Organisation Structure:

2.2.1 Multidisciplinary Team:


The nature and scope of the functions of the Commission as laid down under the Electricity Act 2003 require its Members and staff to have varied knowledge and experience as is apparent from the qualifications laid down for appointment of Chairperson and Members of the State Commissions wherein persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, and have shown capacity in, dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law or management shall be considered. Accordingly, the Commission has a small team of officers having different professional background, most of them appointed on secondment basis, and assisted by a small group of administrative, secretarial and support staff. In addition, in certain matters, the Commission is availing the services of consultants as per provisions of section 91 of the Act and also outsourcing certain functions like office security, reception, office help, sanitation etc.

2.2.2 Sanctioned Strength:

The number and nature of posts and salaries and allowances and other terms and conditions of service are specified by the Commission with the approval of the Govt. of Himachal Pradesh. The total sanctioned strength of the officers and other employees of HPERC is 46, out of which 24 were in position during the year. In spite of repeated efforts, the Commission had not been able to fill up the posts, mainly because either the lending organizations are unable to spare services of their staff and/or in absence of any incentive, persons are not willing to be posted on secondment basis.

2.3 Structure:

The Commission has its only office at Shimla. The organization structure is best depicted by the following organizational chart:-



2.4 Allocation of Functions:

The Commission has its office at Shimla. Chairperson is the Chief Executive of the Commission. The office of the Commission has three Divisions namely, Administrative, Technical and Tariff Divisions. Various functions of the Commission are allocated to these Divisions and their Heads as under:-

2.4.1 Administrative Division:

This Division is headed by the Secretary of the Commission who is a senior member of HP Administrative Services and provides a vital support service to the Commission in administration, finance and legal matters, recruitment of executive and non-executive staff and overseeing operational matters such as Co-ordination

and liaisoning with State and Centre Govt. and its organization, budget, purchases and procurement, maintenance and care taking, personnel management, legal and court matters, training and performance appraisal etc. are its key functions.

- **Secretary:**

Secretary is the head of the Secretariat and Administration Division of the Commission. He is an interface between the Commission and various wings of the Commission, the Centre and the State institutions and Stakeholders. He advises the Commission on all matters of policy and administration. In particular, the Secretary performs the following functions:-

1. To discharge functions as Head of Department of the Commission and such other functions under the provisions of FRs & SRs, HP Financial Rules and other Civil Service Rules adopted for the Commission.
2. To act as ex-Officio-Secretary to organize periodical meetings of State Advisory Committee.
3. To discharge duties as per provisions specified in HPERC (Conduct of Business) Regulation 2005, and as :-
 - (a) to receive or cause to receive all petitions, applications, other filings or references pertaining to the Commission;
 - (b) to prepare or cause to prepare the briefs and summaries of all such filings presented before the Commission;
 - (c) to assist the Commission in proceedings conducted by the Commission;
 - (d) to authenticate the orders passed by the Commission;
 - (e) to ensure compliance of the orders passed by the Commission;
 - (f) to collect or cause to collect from the State Government, the Central Government and their agencies, the State electricity utilities or other offices, companies and firms or any other person as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act;
 - (g) to maintain a copy of statutory notification, rules, orders and directions made under the Act by the Central Govt., CEA, the State Government and CERC.
 - (h) to maintain in chronological order the authentic copies of regulations, statutory notification, order of the Commission and to keep the register containing their particulars.
 - (i) to provide all orders, directions and regulations made by the Commission on the website of the Commission.
 - (j) to accept on behalf of the Commission, the service of the summon and he also signs and verify the complaints and pleadings.
4. To ensure proper conduct and discipline of the officers/staff of the Commission.
5. Grievance redressal and consumer redressal.
6. To discharge any other functions assigned in any regulation under provisions of Electricity Act, 2003.
7. Any other duty assigned and delegated by the Commission.

2.4.2. Technical Division:

This Division deals with the regulatory affairs, which comprise of framing of Regulations, Grid Code, and Distribution Code, Supply Code etc. and associated functions, the preparation and review of cost allocations and rate design proposals, analysis and assessment of T&D losses and AT & C losses, evaluation of technical performance and standards of service, load forecasts, power purchase agreements etc. This Division is headed by Executive Director, which is in the rank of Chief Engineer (Electrical). He is assisted by one Director (Technical), who is in the equivalent rank of Superintending Engineer and two Deputy Directors and support staff.

Executive Director (Technical):

1. To provide expert advice to the Commission on issues relating to engineering, economics, statistics and other technical elements of policy analysis;
2. To understand and analyze the technical aspects of the evidence presented and assist the Commission in writing orders;
3. Undertake specific tasks, pertaining to cost allocation and rate design proposals, analysing and evaluating utility planning and operating decisions, reviewing plans and specifications of major utility construction projects, inspecting system improvement on site, monitoring utility reports, evaluating technical performance and standards of service;
4. Examine, analyze and evaluate the Power Purchase Agreements (PPAs);
5. Assist the Commission in issuing licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State.
6. Review and approval of all investment programmes, technical standards and procedures, grid and distribution codes, service standards, financial and economic standards, technical inspection and collection, compilation and analysis of technical data;
7. Prepare and review all relevant Regulations under the Electricity Act, 2003;
8. Inter State and intrastate transmission issues and other provision related to transmission facilities and distribution of electricity;
9. Facilitate/monitor implementation of Open Access.
10. Promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify consumption of electricity in the area of a distribution licensee.
11. Any other duty assigned by the Commission.

2.4.3. Tariff Division:

This Division deals with determination of tariff of utilities in the areas of generation, transmission and distribution of electricity, planning of long term tariff settings, providing of adequate financial and economic input into tariff process, review of the financial performance and compliance reports of utilities. This Division is headed by Executive Director which is in the rank of Chief Engineer (Electrical). He is assisted by one Director(Tariff), who is in the equivalent rank of Superintending Engineer and also two Deputy Directors and support staff.

Executive Director (Tariff):

1. Framing of Tariff Regulations and to determine tariff for generation, supply, load despatch, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail as the case may be, within the state.
2. Handle the tariff related matters keeping in view the National Electricity Policy, National Electricity Plan, Tariff Policy and State Electricity Policy.
3. Assist Commission in preparation of testimony and other material relating to cost of capital, finance charges, revenues, expenses, depreciation and tariff design etc.
4. Assist in the preparation of questions for cross-examination on accounting and finance matters, present direct testimony, evaluate rate case exhibits and advise the Commission on financial and economic issues.
5. Review and approval of all investments and development of the utilities.
6. Review of financial performance and compliance reports as well as submission of major incidents by the utilities.
7. Monitoring and compliance of T&D losses, AT&C losses.
8. Monitoring of standard of performance.
9. Any other duty assigned by the Commission.

CHAPTER-3

Decision making process, including channels of supervision and accountability

The Electricity Act, 2003 empowers the State Commission inter alia to frame different regulations, issue Orders under these regulations and to act and dispose off the petitions brought before it from time to time. While discharging these responsibilities, the Commission takes decision within the provisions of Act, Rules, Regulations, CPC, orders of Central Electricity Regulatory Commission/Appellate Tribunal for Electricity/Supreme Court of India, competent court and the provisions of Tariff Policy, Electricity Policy, Forum of Regulators recommendations etc. The procedure adopted for holding the proceedings before the Commission is specified in Chapter-II of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2005. The Commission takes its decision independently in quasi judicial function and wherever technical support is required, it consults its technical team as well as the consultants appointed by it. So far as internal decision making process is concerned, the vertical reporting system is adopted by the officers and staff in discharge of their duties/work and the major decision-making is at the level of the Commission. However, routine decisions are taken in terms of rules and regulations and delegation of powers.

The Commission has structured its working through three Divisions, namely Administration, Finance and Legal Division, Technical Analysis Division and Tariff and Financial Analysis Division. Three Divisions are headed by the Secretary, Executive Director (Technical) and Executive Director (Tariff) respectively. All matters relating to the respective Divisions are dealt with by the supporting staff, posted therein or directly by the technical officers; and, the staff is answerable to the head of division. Similarly Heads of all Divisions submit the documents and report to the Chairman/Commission. While exercising power and discharging its duties, the State Commission ensures utmost transparency in its decision-making and follows the principles of natural justice including personal and public hearings.

CHAPTER-4

Norms for the discharge of its functions

The working of the Commission is regulated in terms of the Electricity Act, 2003, relevant rules and regulations and Govt. policies. In main spheres, the Electricity Act, 2003 specify the time limit for decisions for its major functions such as tariff determination and issuing of licenses. All the matters, pertaining to tariff determination or arising out of or related to tariff determination are also expected to be decided as per time schedule of 120 days from receipt of application, prescribed under the Act. However, due care is also taken to ensure that the principles of the natural justices are met. Norms for discharging of various functions as provided in the Office Manual for Government Department are also being followed by the Commission. So far as the norms for sanctioning various expenditure are concerned, the Commission in terms of Rule 5 of the Fund Rules has prescribed a financial procedure/delegation amongst Commission, Chairman, Secretary and Drawing and Disbursing Officer for sanctioning various kinds of expenditure.

CHAPTER-5

Budget indicating the particulars of plans, proposed expenditures and disbursements made

The Commission receives budget from the State Government annually in the shape of Grant-in-aid for payment of salary & allowances. Rs.90.00 lacs were allotted to this Commission for the year 2014-15 as Grant-in-aid under Major Head of Account: 2801-80-800-02-SOON-41 Non-plan. No further allocation of funds is made by the Commission as it has no subordinate offices. All the receipts and payments of the Commission were regulated through Commission's own Fund Rule as established and made operative vide GoHP notification No. MPP-A (3)-7/2004 dated 03.05.2007. The Annual Accounts of the Commission for the year 2014-15 were prepared on the prescribed formats as contained in the Fund Rules. The Accounts of the Commission are being prepared in the shape of Receipt and Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet.

The total income of the Commission for the financial year 2014-15 works-out to Rs.483.87 lacs, whereas the expenditure for the relevant year was Rs.929.60 lacs, thereby the excess of expenditure over income as disclosed by the Income and Expenditure Account of the year ended 31.03.2015 works-out to Rs.445.73 lacs.

5.1 Financial position of the Commission:

The financial position of the Commission as on 31.03.2015 is as under:-

(Rs. in lacs)

Liabilities		Assets	
Particulars	Amount	Particulars	Amount
Corpus Fund	1385.02	Fixed Assets	19.39
Current liabilities & Provisions	59.17	Fix Deposit Receipts in bank	818.41
		Other Current Assets & Advances	62.24
		Advance to HIMUDA for Land and construction of building i.e. Rs.97.00 lacs and 403.00 lacs respectively (500.00 lacs).	500.00
		Security Deposits	0.57
		Cash & Bank Balances	43.58
Total:-	1444.19		1444.19

5.2 Laying of Annual Accounts of the Commission in Vidhan Sabha:

The Annual Accounts of the Commission for the year 2014-15 are prepared as per provisions contained in the Fund Rules and accounts so certified by the C.A.G. of India together with Audit report thereon are forwarded to the State Govt. for laying the same before the State Legislative Assembly as per requirement of rule 7(4) of HPERC Fund Rules and of section 104 of the Electricity Act, 2003.

CHAPTER-6

Summary of Commission's Statutory Activities during the year

During the year, the following statutory activities have been undertaken by the Legal Division of the Commission:-

6.1 DISPUTE ADJUDICATION IN THE STATE COMMISSION, HON'BLE HIGH COURT, APPELLATE TRIBUNAL FOR ELECTRICITY (APTEL) AND SUPREME COURT OF INDIA:

The Commission's officers and staff attend to legal work relating to preparation of comments on the petitions / appeals and maintain liaison with its Counsels, engaged for persuing and defending the petitions and appeals before the Hon'ble High Court of HP, APTEL and Supreme Court of India at New Delhi, for finalization and filing of written submissions/replies, counter affidavits to the petitions/ Appeals moved before them and for preparation of Appeals and petitions to be filed on behalf of the Commission and it keeps apprised the Commission about the latest developments in pending cases, besides seeking legal advice from the Retainer Consultant (Legal), wherever required, while vetting court replies and finalizing regulations of the Commission. The details of Petitions/Appeals filed, decided and pending in the Commission, Appellate Tribunal, the High Court of HP and the Supreme Court of India, during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015 are as under:-

ABSTRACT OF COURT CASES

I DETAILS OF CASES BEFORE THE STATE COMMISSION AT SHIMLA:

Sr. No .	No. of Cases pending as on 31.03.2014	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Cases pending as on 31.03.2015	Remarks
1.	20	69	89	69	20	Details in para 6.1.1

II DETAILS OF CASES BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF HP AT SHIMLA:

Sr. No .	No. of Cases pending as on 31.03.2014	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Cases pending as on 31.03.2015	Remarks
1.	08	07	15	04	11	Details in para 6.1.2

III DETAILS OF CASES BEFORE THE HON'BLE APTEL AT NEW DELHI:

Sr. No.	No. of Cases pending as on 31.03.2014	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Cases pending as on 31.03.2015	Remarks
1.	03	16	19	3	16	Details in para 6.1.3

IV DETAILS OF CASES BEFORE THE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA AT NEW DELHI:

Sr. No.	Cases pending as on 31.03.2014	Cases filed during the year	Total Cases	Cases disposed of during the year	Cases pending as on 31.03.2015	Remarks
1.	1	2	3	Nil	3	In these appeals, the parties have challenged the Orders of the APTEL and the Commission, being adjudicatory authority is not contesting the appeals and the appeals are being contested by the respective parties as detailed in para 6.1.4.

6.1.1 ADJUDICATION–CASES BEFORE THE STATE COMMISSION AT SHIMLA:

The petitions, replies, rejoinders and objections are examined and scrutinized by the Officers and Staff of the Commission. At the beginning of year under report, 20 No. petitions were pending and during the financial year 2014-15, 69 petitions were received by the Commission from various petitioners and stakeholders under the Electricity Act, 2003, out of which 69 petitions have been decided/ disposed of by the Commission and 20 No. petitions were pending for disposal as on 31.3.2015. The details of petitions filed/decided and pending during the year are given hereunder:-

(A) CASES FILED/ DISPOSED OF BY THE COMMISSION:

Sr. No.	Petition No.	Plaintiff, appellant or Petitioner	Defendant or Respondent	Description	Date of Receipt	Date of Disposal
1	Petition No. 107/2013	M/s Sri Radiant Cement (P) Ltd., Kala-Amb, Nahan.	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 142 & 146 of the EA, 2003 for securing compliance of the order dated 8.5.2013, passed by the Ld. Ombudsman, Electricity Shimla in the Case No. 12/2012.	27.7.2013	4.4.2015
2	Petition No. 106/2014	The HPSEBL & M/s Gangdari Hydro Power (P) Ltd., Hyderabad	-	Joint petition for approval of PPA in respect of Jongini HEP 16 MW.	22.4.2014	24.4.2014
3.	Petition No. 126/2014	The HPSEBL & M/s Suryakanta Hydro Energies (P) Ltd., Hyderabad	-	Joint petition u/s 86 (1) (b) of the EA, 2003 for seeking the approval of S/T Term PPA (REC Mechanism) in respect of Nanti HEP (14MW).	28.5.2014	3.6.2014
4.	Review Pet. No. 25/14 in Pet. 54/13	The HPSEBL, Shimla-04	-	Review of order for restating of design energy & reconsideration of tariff for SHP plants of HPSEBL, passed by HPERC in Pet. No. 54/13 dated 15.1.2014.	28.2.2014	6.6.2014
5.	Petition No. 138/2013	M/s JPVL, JUIT Complex Vakanaghat, Distt. Solan-HP	The HPSEBL, Shimla-04	Petition for MYT of BASPA-II HEP for the period FY 2014-15 & FY 2018-19.	23.11.2013	6.6.2014
6.	Petition No. 142/2013	M/s JPVL, JUIT Complex Vakanaghat, Distt. Solan, HP	The HPSEBL, Shimla-04	Petition for payment of Addl. O& M and service Tax operate & maintain paid to SJVNL for interconnection facility in tariff FY 03-04 to 13-14.	5.12.2013	6.6.2014
7.	Petition No. 21/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Filling of ARR for the 3 rd MYT Control period FY 2015 to 19, u/s 62, 64 & 86 of the EA, 2003.	20.2.2014	10.6.2014
8.	Petition No. 98/2014	The HP State Load Dispatch Society, SLDC Complex Shimla	The HPSEBL, Shimla-04	ARR for 3rd control period (FY 2014-15 to 2018-19) u/s 62, 64 & 86 of the Electricity Act, 2003.	4.4.2014	10.6.2014

9.	Petition No. 140/2013	The HPPTCL, Khalini, Shimla-02.	-	Filing of ARR 3rd control period (FY 2014-15 to FY 2018-19) u/s 62, 64 & 86 of the Electricity Act, 2003.	30.11.2013	10.6.2014
10.	Petition No. 141/2013	The HPSEBL, Shimla-04	-	Filing of ARR 3rd control period (FY 2014-15 to FY 2018-19) u/s 62, 64 & 86 of the Electricity Act, 2003.	30.11.2013	12.6.2014
11.	Petition No. 20/2011	M/s Usaka Hydro Power Ltd., Okhla Ind. Estate, New Delhi-110020	i) GoHP, Secy. (Power) ii) HPSEBL iii)HIMURJ A	Petition u/s 62 of the EA, 2003 read with HPERC (Power procurement from renewable sources & co-generation) 1 st Amendment, of HPERC, Reg. 2007.	07.03.2011	5.7.2014
12.	Petition No. 115/2013	M/s Hul Hydro Power (P) Ltd, Jubli Hills, Hyderabad-500033.	1.State of HP Pr. Secy. (Power) 2. HPSEBL 3. HIMURJA	Petition u/s 62 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen.by Dist. Licensee) 1 st amendment of HPERC. Reg, 2007, with a prayer to allow this pet. & consequently redetermi-nation of the tariff.	03.9.2013	8.7.2014
13.	Petition No. 17/2014	M/s Four Seasons Power (P) Ltd., Bhikha ji kama Palace, New Delhi-66	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 and 94 of the Electricity Act, 2003, HPERC Reg. 2007, prayer to allow the change of name.	23.1.2014	9.7.2014
14.	Petition No. 22/2013	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Puri Oil Mills Ltd., 302, Jyoti Shikhar Building, Janakpuri, New Delhi-110058	Petition u/s 62, 86 and 94 of the EA, 2003, read with HPERC(Power procurement from Renewable Sources & Co-generation by Dist. Licensee) 1 st Amendment of Reg., 07 with prayer to allow re-determination of tariff.	26.2.2013	10.7.2014
15.	Petition No. 89/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Petition under HPERC (Recovery of Exp. for supply of Electy.) Reg.,12 proposal for schedule of service connection charges.	1.4.2014	14.7.2014

16.	Petition No. 43/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Applicability of Tariff as per order issued by HPERC for the FY 2007-08, correct Implementation of Factory lighting load & colony supply thereof.	05.3.2014.	28.7.2014
17.	Review Petition No. 32/2014 in Pet. 62/ 2008	The HPSEBL, Shimla-04	1. M/s Astha Project Ltd., 2. State of HP 3.HIMURJA , Shimla	Rev. Petition u/s 62, 86 & 94 of EA, 2003, read with HPERC (P.P. & Renewable Sources Co-gen. by Dist. Licensee) Reg. 2007 for order dated 22.5.2010.	3.3.2014	6.6.2014
18.	Review Petition No. 34/ 14 in Pet. 5/09 and 12/09	The HPSEBL, Shimla-04	1. M/s Mangalam, New Delhi 2.State of HP 3.HIMURJA , Shimla	Rev. Pet. u/s 62, 86 & 94 of EA 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources and Co-Generation by Dist. Licensee) Reg. 2007 - Order dt. 08.06.2010.	3.3.2014	6.6.2014
19.	Review Petition No. 36/2014	The HPSEBL, Shimla-04	1.M/s DSL Hydorwatt, Baddi, Solan 2.State of HP 3.HIMURJA , Shimla	Rev. Pet. 62, 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC ((P.P. from Renewable Sources &Co-Generation by Dist. Licensee) Reg.2007 Order dated 13.5.2010.	3.3.2014	06.6.2014
20.	Petition No. 138/2012	M/s Ambuja Cement Ltd., Darlaghat, Arki, Distt. Solan	HPSEBL & others.	Petition under reg. 5 & 6 of Recovery of Exp. for supply of Electricity, Regulations, 2005.	1.9.2012	22.8.2014
21.	Pet. No. 97/2014	The HPSEBL, Shimla-04	The Directorate of Energy, and Ors.	Regarding amendments/ Modification in Model PPA for Small HEP in HP.	4.4.2014	01.8.2014
22.	Pet. No. 122/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Determination of Average Pooled Purchase Cost (APPC) for FY 2013-2014.	24.5.2014	28.8.2014
23.	Pet. No. 172/2014	The HPSEBL & M/s Gee Cee Hydro Power (P) Ltd., Sarahan, Rampur, HP	-	Joint petition for approval of PPA in respect of Jogini –II HEP (5 MW).	26.8.2014	03.9.2014

24	Petition No. 107/2014	M/s Tangnu Romai Power Gen. (P) Ltd., Chandigarh-47	The State of HP & The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 10 (2) and 86 (1) (b) & (e) of the EA, 2003, read with clause 68 of HPERC, CBR, 2005.	22.4.2014	06.9.2014
25.	Review Petition No. 11/2014	The HPSEBL, Shimla-04.	M/s Him Kailash Prathppadu, A.P. and Ors.	Petition u/s 62, 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable sources & Co-gen. by Dist. Licensee) for reviewing Order dt. 3.12.10, communicated on 19.12.13	23.1.2014	10.9.2014
26	Review Petition No. 12/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Ginni Global (P) Ltd., PUSA, New Delhi and Ors.	Petition u/s 62, 86 & 94 of EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen.by Dist. Licensee) for reviewing Order dated 3.12.2010 communicated on 19.12.13.	23.1.2014	10.9.2014
27.	Review Petition No. 14/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Gowthami Hydro Electric Co. (P) Ltd., Secunderabad and Ors.	Petition u/s 62, 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen. by Dist. Licensee) for reviewing Order dt. 3.12.10, communicated on 19.12.13	23.1.2014	10.9.2014
28.	Review Petition No. 15/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Nuziveedu Seeds Ltd., Banjara Hills, Hyderabad- and Ors.	Petition u/s 62, 86 & 94 of EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen. by Dist. Licensee) for reviewing Order dt. 03.12.10, communicated on 19.12.13	23.1.2014	10.9.2014
29.	Review Petition No. 16/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Dharmshalla Hydro Power, Jubali Hills, Hyderabad - and Ors.	Petition u/s 62, 86 & 94 of EA, 2003, read with HPERC (Power procurement from Renewable Sources & Co-gen.by Dist. Licensee) for reviewing Order dt. 3.12.10, communicated on 19.12.13.	23.1.2014	10.9.2014

30.	Review Petition No. 30/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Harison Hydel Const. Company (P) Ltd Akhara Bazar, Kullu, HP and Ors.	Review petition u/s 62, 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Resources & Co-gen. by Dist. Licensee) Reg., 2007 for reviewing Order dated 10.6.2010 .	03.3.2014	10.9.2014
31.	Review Petition No. 62/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Ascent Hydro Project (P) Ltd., Vile Parle (East), Mumbai & Ors.	Review petition u/s 62, 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Resources & Co-gen. by Dist. Licensee) Reg., 2007 for reviewing the Order dated 22.05.2010.	15.3.2014	10.9.2014
32.	Review Petition No. 64/2014	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Patikari Power Co. (Pvt.) Ltd., Chhota Shimla and Ors.	Review petition u/s 62, 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Resources & Co-gen. by Dist. Licensee) Reg., 2007 for reviewing the Order dated 16.07.2010	15.3.2014	10.9.2014
33.	Petition No. 102/2013	M/s Jalashakti Ltd., H.No.135 Upper Julakari, Chamba	The HPSEB Ltd. & ors.	Petition u/s 62, 86 and 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from renewal Sources & Co-gen by Dist. Licensee) 1 st Amendment of HPERC Reg., 2007 with a prayer to allow re-determining of tariff.	18.7.2013	27.9.2014
34.	Petition No. 111/2010	M/s Jalashakti Ltd., H.No.135, Upper Julakari, Chamba	The HPSEB Ltd. & ors.	Petition u/s 62, 86 and 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Source & Co-gen by Dist. Licensee) 1 st amendment Reg., 2007 with a prayer to allow re determining of tariff.	18.6.2010	27.9.2014
35.	Petition No. 129/2013	M/s Ujaas Energy Ltd., Sec.-C, Metalman Ind. Area, MP-15	The HPSEBL, Shimla-04	Fulfilment of Solar RPO by the obligated entities for FY 2011- 12, 2013-14 & furnished for not payment.	7.10.2013	10.11.2014

36.	Petition No. 194/2014	The HPSEBL & Kanchanjunga Power Co.(P) Ltd., Unit No. 307, Jasola, New Delhi-76.	-	Joint petition for approval of PPA (REC Mechanism) in respect of Baragaon HEP (24 MW).	31.10.2014	11.11.2014
37.	Petition No. 197/2014	M/s Shiva Energy Resources (P) Ltd., 19/7, Old Bus Stand, Hamirpur.	The State of HP and others	Petition for approval of Short-term “PPA” in respect of Kotagad SHP (3.50 MW) under REC Mechanism.	3.11.2014	11.11.2014
38.	Petition No. 177/2014	The HPSEBL & M/s Puri Oil Mills Ltd., 302, Jyoti Shikhar Bld., Janakpuri, New Delhi-58	-	Joint petition for approval of “Shifting of the Inter-connection point in r/o Chakshi HEP (2MW).	12.9.2014	13.11.2014
39.	Petition No. 132/2013	M/s Ginni Global Ltd., 11/6-B, PUSA Road, New Delhi-110005	The HPSEB Ltd. & ors.	Petition for review of PPA dated 7.6.04 in r/o of Taraila 5MW for redetermination of Tariff due to additional capital cost incurred by the petitioner on account of occurrence of Force Majeure events.	30.10.2013	15.11.2014
40.	Petition No. 213/2014	The HPSEBL & M/s Sahu Hydro Power (P) Ltd., Harware Shop, Sarol, Chamba	-	Joint petition for approval of Interim PPA (under preferential tariff) in respect of Kurtha HEP(5 MW).	24.11.2014	05.12.2014
41.	Petition No. 148/2014	M/s Puri Oil Mills Ltd. 302, Jyoti Shikhar Bld., Janakpuri, New Delhi-58	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 62, 86 94 (f) of the Electy. Act, 2003, read with Reg., of HPERC for implementation of the HPERC order dt. 9.2.2010	18.7.2014	05.12.2014
42.	Petition No. 215/2014	The HPSEBL & M/s Vamshi Hydro Energies (P) Ltd. & Lanco Thermal Power Ltd., Plot No.4, Hyderabad.	-	Joint petition for signing of Tripartite Agreement in respect of IKU-II HEP (5MW).	28.11.2014	15.12.2014
43.	Petition No. 216/2014	The HPSEBL & M/s Vamshi Hydro Energies (P) Ltd. & Lanco Thermal Power Ltd., Plot No.4, Hyderabad.	-	Joint petition for signing of Tripartite Agreement in respect of Baner-III, HEP (5MW) to be executed between the parties.	28.11.2014	15.12.2014

44.	Petition No. 217/2014	The HPSEBL & M/s Vamshi Hydro Energies (P) Ltd.& Lanco Thermal Power Ltd., Plot No.4, Hyderabad.	-	Joint Petition for seeking approval for Tripartite Agreement for change of name of Company be part of PPA, in respect of Drinidhar (5MW)	28.11.2014	16.12.2014
45.	Petition No. 218/2014	The HPSEBL & M/s Vamshi Hydro Energies (P) Ltd.& Lanco Thermal Power Ltd., Plot No.4, Hyderabad.	-	Joint petition for signing of Tripartite Agreement in respect of Upper Khauli HEP (5MW) to be executed between the parties.	28.11.2014	16.12.2014
46.	Petition No. 226/2014	M/s Sarabai Enterp. (P) Ltd., Bhuntar, Distt. Kullu.	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 (1) (f) of the EA, 2003, against the notice dt. 19-01-2013 issued by CE (Comm.), HPSEBL.	9.12.2014	20.12.2014
47.	Review Petition No. 150/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Rev. Pet u/s 62 , 86 & 94 of the EA, 2003 of CBR, 2005 on MYT order for BASPA-II for control period (FY 15-19) & payment of O&M changes & service tax of interconnection facility passed in Pet.138 &142 /13	22.7.2014	24.12.2014
48.	Petition No. 121/2014	The HPSEBL & M/s Om Hydro-power Ltd., Bundla, Palampur, HP	The HPSEBL, Shimla-04	Joint petition for approval of addendum -1 to the PPA for change of name of the Company in respect of Neogal HEP (15 MW).	23.5.2014	26.12.2014
49.	Review Petition No. 153/14 in Pet. No. 141/2013	The HPSEBL, Shimla-04.	--	Review petition or MYT Order for 3 rd control period from FY 2014-15 to FY 2018-19 on dated 12.06.14 passed in Pet. No. 141/2013.	24.7.2014	31.12.2014
50.	Review Pet. No. 152/14 in Pet No. 21/2014	The HPSEBL, Shimla-04	--	Review petition for MYT Order for 3 rd control period from FY 2014-15 to FY 2018-19 on dated 10.06.2014 passed in petition No. 21/2014.	24.7.2014	03.1.2015

51.	Petition No. 26/2011	M/s Sarabai Enterprises (Pvt.) Ltd., Bhuntar, Distt. Kullu.	The State of HP & Ors.	Pet.u/s 62 of the EA, 2003 read with HPERC (PP from Renewable Sources & Co-gen. by Dist. Licensee) 1 st Amendment of HPERC Reg., 2007 with prayer to allow this petition and consequential to re-determine tariff in respect of Gurahan SHEP.	19.3.2011	06.1.2015
52.	Petition No. 2/2015	The HPSEBL & M/s Kut Energy Pvt. Ltd., Shimla	-	Joint petition for approval of short term "PPA" in r/o KUT HEP (24MW) .	05.1.2015	07.1.2015
53.	Rev. Petition No. 108/2010	M/s Astha Project (I) Pvt. Ltd., Gyamba House, Sec-3, New Shimla-09.	The HPSEBL & Ors.	Review Pet. u/s 94(1) (f) of the EA, 2003, read with Reg., 63 of HPERC, (CBR) 2005 seeking review of the Order dated 22.5.2010 passed in Pet. No. 62/2008.	11.6.2010	17.1.2015
54.	Review Petition No. 137/2010	M/s Mangalam Energy Dev. Co. Pvt. Ltd, Plot No. 8, Malviya Nagar, New Delhi-110007.	The HPSEBL & Ors.	Review Pet. u/s 94 (1) (f) of the EA, 2003, read with reg. 63 of CBR, 2005 seeking review of the Order 8.6.2010 passed in Pet. No. 5/2009 and 212/2009.	06.7.2010	17.1.2015
55.	Review Petition No. 121/2010	M/s DSL Hydro Watt Ltd., 121 Ind. Area, Baddi, Distt. Solan	The State of HP & others.	Review Pet. u/s 94 (1) (f) of the EA, 2003, read with reg. 63 of HPERC (CBR), 2005 seeking review of Order dated 13.5..2010 passed in Pet. No. 11/2008.	25.6.2010	17.2.2015
56.	Petition No. 182/2014	M/s Door Sanchar Hydro Power (P) Ltd., 93 Phase-I, Ind, Area, Punchkulla, Haryana.	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 (1)(f) and 94 of the EA, 2003 regarding the payment of Rs. 11342588/- alongwith interest @18% thereon, for saleable deemed Generation for the years 2011-12, 2012-13 & 2013-14.	24.9.2014	03.03.2015

57.	Petition No. 223/2014	M/s Gowthami Hydro Electric Comp. (P) Ltd., A-496, Sector-4, New Shimla-09.	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 (1) (e) (f) (k) of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen. by Dist. Licensee) Reg., 2007 for claiming outstanding penalty for late payment of energy bills & Interest thereof.	5.12.2014	03.03.2015
58.	Petition No. 211/2014	M/s Door Sanchar Hydro Power (P) Ltd., 93 Phase-I, Ind, Area, Punchkulla, Haryana-134113.	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 (1) (f) and 94 of the EA, 2003, for issuance of appropriate order or direction to the Respondents for payment of Rs.11,24,313 for years 2011-12, 12-13 &13-14 on account surcharge towards late payment of energy bills.	17.11.2014	03.03.2015
59.	Petition No. 35/2015	The HPSEBL & M/s Gangdari Hydro Power Pvt. Ltd., Plot. No.5, Madhapur, Hyderabad	-	Joint petition for seeking of approval to extension of validity till 31.3.2016 of Short Term "PPA (REC Mech.)" to be executed between the parties in r/o Jongini (16 MW).	17.03.2015	19.03.2015
60.	Petition No. 37/2015	The HPSEBL & M/s Gee Cee Hydro Power Pvt. Ltd., Vill. & PO Sarahan Bushehar, Rampur-HP	-	Joint petition u/s 86 (1) (b) of Electy, Act, 2003, read with draft guidelines issued by the HPERC for approval of PPA in respect of Jogini-II (5MW) to be executed between the parties.	18.3.2015	21.3.2015
61.	Petition No. 38/2015	The HPSEBL & M/s Kurmi Energy (P) Ltd., H.No. 99, Sec-3, New Shimla-09	-	Joint petition for extension of PPA executed on 4/03/2014 in compliance to Orders 23/1/14 passed in Case No. 10/14 of S/Term PPA (under REC) signed on 4.3.14 in r/o Kurmi (8 MW)	18.3.2015	21.3.2015

62.	Petition No. 39/2015	The HPSEBL & M/s Kapil Mohan & Associates Hydro Power Pvt. Ltd., H. No. 99, Sec-3, New Shimla-09	-	Joint Pet. for extension of PPA executed on 29/3/14 and Corrigendum dated 7/07/2014 in compliance to Order 15/3/2014 & 12/6/14 passed in Pet No. 45/14 & MA No. 131/14 of Short/Term PPA & corrigendum signed on 29/3/14 & 7/7/14 in r/o Beas Kund (9MW)	18.3.2015	21.3.2015
63.	Petition No. 40/2015	The HPSEBL & M/s USP Hydro Energy Ltd., Highway Blds. Ner Chowk, Mandi, HP.	-	Joint pet. u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, read with draft guidelines issued by the HPERC for approval of PPA (Preferential Tariff)” to be executed between the parties in respect of Balh Padhar (4 MW).	18.3.2015	21.3.2015
64.	True-up Pet. No. 171/2014	M/s JPVL, JUIT Complex Vakanaghat, Distt. Solan-173215	The HPSEBL & Ors.	Petition for truing up of tariff for sale of power from Baspa-II HEP to HPSEBL for the control period FY 2011-12 to FY 2013-14.	26.8.2014	30.03.2015
65.	Petition No. 76/14	The HPSEBL, Shimla-04	-	Final True-up of FY 2010-11 to FY 2011-12.	26.3.2014	30.3.2015
66.	Petition No. 46/2015	The HPSEBL & Tajassarnika Hydro Energies (P) Ltd, Plot No. 1367, Jubali Hills, Hyderabad .	-	Joint pet. u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, read with draft guidelines issued by the HPERC for approval of “PPA” to be executed between the parties in respect Upper Joiner (12MW)	24.3.2015	30.3.2015
67.	Petition No. 45/2015	The HPSEBL & M/s Ranga Raju Warhousing (P) Ltd., No.1367, Jubali Hills, Hyderabad.-500033	-	Joint petition u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for approval of extension till 31.3.2016 of S/Term PPA to be executed between the parties in respect of Sumez (14MW)	24.3.2015	30.3.2015

68.	Petition No. 41/2015	The HPSEBL & M/s Hamal Hydel Ltd., 92/10, Devi Nagar , Paonta Sahib, Sirmour.	-	Joint pet. u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, read with draft guidelines issued by HPERC for approval of "SPPA" to be executed between the parties in respect of Hamal (2MW).	18.3.2015	31.3.2015
69.	Petition No. 47/2015	The HPSEBL & M/s Aleo Manali Hydro power (P) Ltd., Vill. Aleo, Manali, Distt. Kullu-HP	-	Joint petition u/s 86(1)(b) of the EA, 2003, read with the draft guidelines issued by HPERC for the approval of the "Interim PPA" to be executed between the parties in respect of Aleo-II (4.80 MW).	25.3.2015	31.3.2015

B) CASES PENDING FOR DISPOSAL BEFORE THE COMMISSION, AS ON 31.3.2015:

Sr. No.	Petition No.	Petitioner/ appellant	Respondent / Defendant	Description	Date of Receipt
1	Petition No. 84/2012	M/s JPVL, JUIT Complex Vakanaghat, Distt. Solan-	The HPSEBL, Shimla-04	Petition for truing up of interest of arrears in respect of Tariff for sale of power from Baspa-II to HPSEBL for FY 2003-04 to FY 2010-11, pursuant to Order dated 19.4.12 passed by APTEL in appeal No. 178/ 2010 in r/o arrears.	04.05.2012
2	Petition No. 12/2012	Sh. P.N. Bhardwaj, ARCDIA, Dharmpur, Solan	The HPSEBL & Ors.	Petition u/s 42(1) and Sec 57(1) of the Electricity Act, 2003, for construction of 33/11KV Sub-Station at Gandhigram.	08.02.2012
3	Review Petition No. 149/2013	M/s Om Hydro Power Ltd., Plot No. 705, Banjara Hills, Hyderabad-500034	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 61, 62, 86 and 94 of the EA, 2003, read with HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-gen. by Dist. Licence) Reg., 2007 with a prayer to allow this petition & consequently to determine the tariff.	30.12.2013
4	Petition No.	M/s Satya Sai, Mandi M/s	The HPSEBL,	Petition u/s 86 of the EA, 2003, read with	25.06.2014

	134/2014	Kangra Hydro Power Ltd., M/s Ambey Hydro Projects, Hamirpur & M/s Vishal Hydro Enterprises, Kangra.	Shimla-04	Reg. 3 (3) of HPERC (P.P. from Renewable Sources & Co-generation by Distribution Licensee) Regulations of 2007.	
5	MA No. 170/2014 Pet No. 147/2014	The State of HP thro SE, I & PH, Circle, Nahan	The HPSEB Ltd. & ors.	Complaint u/s 43 & 57 of the EA, 2003 read with rule 3 & 4 of the HPERC (Licensee's Duty for Supply of Electy. on Request) Reg., 2004 for damages to the tune of Rs 13664951/-+ Intt. 12% on amount of Rs. 1421 lacs from 16/11/2006.	16.7.2014
6	Petition No. 167/2014	HPSEBL & M/s Nanal Hydro Power Ltd., Tutikandi, Shimla.	-	Joint petition for approval of PPA (under REC Mechanism) in respect of HYSRUND HEP (3.0MW).	02.08.2014
7	MA No. 168/14 in Pet.262/06	HPSEBL & M/s Sun Shine Hydro Ltd., Sahil Plaza, Pathankot.		Joint petition for approval of SPPA in respect of KALAM HEP (2MW).	02.08.2014
8	Petition No. 178/2014	Sh. L.K. Mahajan, Khalini, Shimla-02.	The HPSEBL, Shimla.	Order of HPERC dated 2.12.2013 in Petition No. 116/2013, compliance thereof.	22.9.2014
9	Petition No. 193/2014	M/s KKK Hydro Power Ltd., DLF Ind. Area, Faridabad, Haryana	The HPSEBL, Shimla-04	Passing of consequential Order, in pursuant to Order dated 17.10.14 passed by the APTEL, in Appeal No. 198/ 2013 & IA No. 433/2013.	21.10.2014
10	Petition No. 198/2014	M/s Jalashakti Ltd., H.No.135, Upper Julakari, Chamba.	State of HP and others	Pet. u/s 62, 84 (f) of the Electy. Act, 2003, read with Reg. of HPERC for implementation of the Commission's Order dated 9.2.2010, passed in pursuance to the APTEL Order dated 18.9.2009.	3.11.2014
11	Petition No. 219/2014	The HPSEBL, Shimla-04	-	Annual Performance Review (APR) petition for 3rd Control Period	28.11.2014

				FY 2014-15 to FY 2018-19 for Dist. Business.	
12	Petition No. 15/2015	The HPSEBL & Bhavani Renewable Energy (P) Ltd., Sungal Estate, Palampur.	-	Joint petition for seeking of approval of PPA to be executed between the parties. in respect of Binwa-IV HEP (4MW).	11.2.2015
13	Petition No. 17/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Pet. under reg. 22 read with Reg. 24 of HPERC Reg., 2012, issuance of directions qua rationalization of IDC charges recoverable from consumers under HPERC Reg., 2005.	20.2.2015
14	Review Petition No. 30/2015	M/s Usaka Hydro Power (P) Ltd., 240, Okhala Ind. Estate, New Delhi	The HPSEBL, Shimla-04	Petition u/s 86 (1) (f) of the EA, 2003, read with Reg., 63 of HPERC (COB) Reg., 2005, read with Order 47 Rule 1 of CPC, seeking review of Order dated 31.10.13 passed in Petition 91/2013.	7.3.2015
15	True-up Pet. No. 32/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Provisional True-up u/s 86 (f) of the EA, 2003, read with Reg., 63 of the HPERC (CoB) Reg., 2005 for Rev. of the APR Order dated 27.4.2013.	11.3.2015
16	Petition No. 33/2015	M/s Rajeja Hydel Power (P) Ltd., B-27-A, Gurgaon.	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 & 94 of the EA, 2003, read with HPERC, Reg. 2007.	13.3.2015
17	Petition No. 34/2015	M/s Yogindera Power Ltd., VPO Jalari, Teh. & Distt. Kangra	The HPSEBL, Shimla-04	Pet. u/s 86 & 94 of Electy, Act, 2003, read with HPERC (RPPO & its Compliance) Reg., 2010 & read with Sec.151 of CPC for cancellation of approval dt. 15.12.2013 as sanctioned in Pet. No. 178/12 for signing of PPA.	16.3.2015
18	Petition No. 36/2015	The HPSEBL, Shimla-04	-	Pet for HPERC (Recovery of Exp. for Supply of Electy.) Reg. 2012. Proposal for Schedule of Service Connection Charges as	18.3.2015

				per Reg. 14.	
19	Petition No. 42/2015	The HPSEBL & M/s Shakti Hydro Electric Co. Pvt. Ltd., New Delhi.	-	Pet. u/s 86 (1) (b) of the Electy. Act, 2003, read with draft guidelines issued by the HPERC for approval of “SPPA” to be executed by the parties in r/o Ubharah 2.40 MW.	18.3.2015
20	Petition No. 49/2015	The HPSEBL & Suryakant Hydro Energies Pvt. Ltd., Madhupur, Hyderabad.	-	Petition u/s 86(1)(b) of the Electy. Act, 2003, read with the draft guidelines issued by the HPERC for Approval of extension till 31.03.2016 of S/Term “PPA (under REC) in r/o NANTI HEP (14MW).	31.3.2015

6.1.2 DETAILS OF PETITIONS BEFORE THE HIGH COURT OF HP AT SHIMLA:

At the beginning of the year, 8 No. petitions were pending before the High Court of HP and during the financial year 2014-15, 7 No. petitions have been filed by the petitioners and stakeholders under the Electricity Act, 2003, out of which 4 No. petitions have been decided/disposed of by the High Court of HP and 11 No. petitions were pending as on 31.3.2015. The details of Petitions/Appeals filed/ decided/pending in the High Court of HP, during the year are as under:-

(A) APPEALS DISPOSED OF BY THE HIGH COURT AS ON 31.3.2015:

Sr. No.	Petition No.	Appellant	Respondent	Date of institution	Date of disposal
1	CWP No. 153/2004	The HPSEBL, Shimla-04	Sh. Mohit Chaudhary, Moti Tiba, Dalhousie, HP	31.05.2004	02.06.2014
2	CWP No. 162/2004	The HPSEBL, Shimla-04	Sh. Mohit Chaudhary, Moti Tiba, Dalhousie, HP	04.06.2004	02.06.2014
3	CWP No. 213/2004	The HPSEBL, Shimla-04	Sh. Rajan Dhawan, Oak Valley Residency, Dalhousie	26.07.2004	02.06.2014
4	CWP No. 6430/2013	Sh. Mohinder Singh, VPO Palyut, Chamba.	The State of HP, Shimla-02.	14.08.2013	09.10.2014

**(B) APPEALS PENDING BEFORE THE HIGH COURT OF HP AS ON
31.3.2015:**

Sr. No.	Petition No.	Appellant	Respondent	Date of institution
1	CWP No. 2420/2008	The HPSEBL, Shimla-04	M/s Super Platex, Ind. Area, Sec.-1, Parwanoo	18.11.2008
2	CWP No. 7939/2012	The State of HP , Shimla	The HPERC & HPSEBL, Shimla	05.09.2012
3	CWP No. 10556/12	M/s Sahu Hydro Power, Plot No.103, Jubilee Hills, Hyderabad.	The State of HP	14.12.2012
4	CWP No. 6648/2013	M/s Kala Amb Chamber of Commerce, Kala-Amb, Nahan.	The HPERC, Shimla-02	20.08.2013
5	CWP No. 9843/2013	Sh. Puran Dev, S/o L/Sh. Nikoo Ram, Zimidara House, Summer Hill, Shimla.	The HPERC, Shimla-02	24.12.2013
6	CWP No. 1996/2014	M/s Amba Metals, Plot 6-A, Ind.Area, Ph.-II, Kala Amb.	The HPERC, Shimla-02	24.03.2014
7	CWP No. 2181/2014	M/s Amba Shakti Ispat Ltd., Vill. Kheri, Trilokpur, Kala Amb.	The HPERC, Shimla-02	04.04.2014
8	CWP No. 2357/2014	M/s Kala Amb Chamber of Commerce & Industry, Trilokpur Road, Kala Amb.	The HPERC, Shimla-02	09.04.2014
9	CWP No. 1539/2015	M/s Ambuja Cement Ltd., Darlaghat, Arki Distt. Solan	The HPSEBL & others	14.11.2014
10	CWP No. 9983 /2014	M/s Radiant Casting Ltd., Vill. Jharmajri, Baddi, Distt. Solan	The HPSEBL, Shimla-04	30.12.2014
11	CWP No. 1045/2015	M/s Karan Polypack Pvt. Ltd., & M/s Karan Syanthetic Pvt. Ltd., Vill. Goel Jamala, PO Nangal, Distt. Solan,	The HPERC &HPSEBL, Shimla	17.01.2015

6.1.3 DETAILS OF APPEALS BEFORE THE APTEL AT NEW DELHI

At the beginning of the year, 3 No. appeals were pending before the Appellate Tribunal for Electricity (APTEL) at New Delhi, and during the financial year 2014-15, 16 No. Appeals were filed by the various petitioners and stakeholders under the Electricity Act, 2003, out of which 3 Nos. Appeals have been decided/disposed of by the APTEL and 16 Nos. Appeals were pending for disposal as on 31.03.2015. The details of Petitions/Appeals filed/ decided/pending in the APTEL, during year are as under:-

(A) **APPEALS DISPOSED OF BY THE APTEL AS ON 31.3.2015:**

Sr. No.	Appeal No.	Appellant	Respondent	Date of institution	Date of disposal
1	Appeal No. 220 of 2013	M/s Himalaya Power Producers Association, Shimla-09	The HPERC & others.	19.09.2013	01.07.2014
2	Appeal No. 198 of 2013 & IA No 433/2013	M/s KKK Hydro Power Ltd., DLF Ind. Area, Faridabad, Haryana	The HPERC & others	23.08.2013	17.10.2014
3	Appeal No. 318 of 2013 DFR No. 1924/2013	M/s Batot Hydro Power Ltd., 241, Empire House, Mumbai-400001	The HPERC & others	03.10.2013	30.11.2014

(B) **APPEALS PENDING BEFORE THE APTEL AS ON 31.3.2015:**

Sr. No.	Appeal No.	Appellant	Respondent	Date of institution
1	Appeal No. 57 of 2014	The HPSEBL, Shimla -04.	The HPERC, Shimla-02	07.03.2014
2	IA No. 414 of 2014 in Appeal No.194 of 14	M/s Suraj Fabric Ind. Ltd., Elegant Towers, 224-A, Kolkata-17	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014
3	IA No. 415 of 2014 in Appeal No.192 of 14	M/s SPS Steel Rolling Mills Ltd., Elegant Towers, 224-A, Kolkata-17	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014
4	Appeal No.195 of 2014	M/s Him Chemical Ltd., Vill. Khera, Nalagarh, Distt. Solan	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014
5	IA No. 417 of 2014 Appeal No.188 of 14	M/s Hi-Tech Ind. Ltd., Kala Amb, Teh.Nahan, Distt. Sirmour	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014
6	IA No. 418 of 2014 in Appeal No.190 of 14	M/s Parvati Steel & Alloys, 348, 1 st Floor, Pitam Pura, Delhi	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014
7	IA No. 416 of 2014 in Appeal No.189 of 2014	M/s Asian Concretes & Cement (P) Ltd. , SCF- 270, Mansadevi Road, Manimajra, Chandigarh	The HPERC & HPSEBL, Shimla	25.04.2014
8	Appeal No.191 of 2014	M/s Akron India (P) Ltd., VPO, Nihalgarh, Ponta Sahib, Sirmour.	The HPERC & HPSEBL Shimla	25.04.2014
9	Appeal No. 73 of 2014 & IA Nos. 142, and 197 / 2014	M/s Aditya Industries Ltd., Vill Rampur Jattan, Kala-Amb, Nahan.	The HPERC & HPSEBL Shimla	25.04.2014
10	Appeal No.239 of 2014	M/s Gangdari Hydro Power (P) Ltd., Hyderabad & Anr	The HPERC & HPSEBL Shimla	15.09.2014
11	Appeal No. 256/14 and IA No. 422/14	M/s Patikari Power (P) Ltd., Ist House, Bhumian Estate, Shimla-02.	The HPERC, HPSEBL, & other	11.11.2014
12	Appeal No. 22 of 2015 & IA No. 20 of 2015	M/s Dharamshala Hydro Power Ltd., Plot 30-A, Jubali Hills, Hyderabad.	The HPERC & HPSEBL, Shimla	10.12.2014
13	Appeal No. 15 of 2015 & IA 17 of 2015	M/s Harison Hydel Cons. Co. (P) Ltd., Akhara Bazar, Kullu.	State of H.P& others	13.01.2015
14	IA No. 8 of 2015 & IA 10/2015	M/s Ascent Hydro Project Ltd., 6 Shiv Vastu, Vile Parle (East), Mumbai -57.	The HPSEB & others	13.01.2015

15	Appeal No. 9 of 2015 & IA No. 11/2015	M/s Ginni Global Pvt. Ltd., Pusa Road, New Delhi.	The HPSEB & others	13.01.2015
16	Appeal No. 54 of 2015 DFR No. 3163/2014	The Green Energy Association, Sargan-143, Parle (East), Mumbai.	The HPSEB & others	27.03.2015

6.1.4 DETAILS OF APPEAL PENDING BEFORE THE SUPREME COURT OF INDIA:

At the beginning of year, 1 No Appeal was pending before the Hon'ble Supreme Court of India at New Delhi and during the financial year 2014-15, 2 No. Civil Appeals were filed by the various stakeholders under the Electricity Act, 2003, and no Appeal has been decided/disposed of by the Hon'ble Apex Court as on 31.3.2015. However, Commission is not contesting these cases. The details of pending Appeals before the Hon'ble Supreme Court of India at New Delhi during the year are as under:-

(A) APPEALS PENDING BEFORE THE SUPREME COURT AS ON 31.3.2015:

Sr. No.	Civil Appeal No.	Appellant	Respondent	Date of institution	Remarks
1.	Civil Appeal No. 87678 /2012 & IA No. 2/2012	The HPSEBL, Shimla -04	M/s JPVL, JUIT Complex, Vakanaghat, Solan & Anr.	26.11.2012	Commission being an adjudicating authority is not contesting this case.
2.	Civil Appeal No. 8025/2014	M/s Ginni Global Ltd., New Delhi	The HPERC & Ors.	05.09.2014	--do--
3.	Civil Appeal No. 8369/2014	M/s JPVL, JUIT Complex, Vakanaghat, Solan	The HPSEBL & Ors.	19.09.2014	--do--

6.1.5 DISPUTES REFERRED FOR ARBITRATION BY THE COMMISSION:

In addition to above, 4 No disputes were received for reference for adjudication to the Arbitrators. The details of disputes referred for Adjudication by Arbitrators during the years are given hereunder:-

(A) DISPUTES REFERRED TO THE ARBITRATORS AS ON 31.3.2015:

1.	Pet No. 69/2014	M/s JPVL, JUIT Complex, Vakanaghat, Distt. Solan-HP	The HPSEBL, Shimla-04 & ors.	Petition under reg. 68 of HPERC, CBR, 2005, read with sec. 86 (1) (f) of the Electricity Act , 2003.	20.3.2014	Referred to Hon'ble Justice Mukal Mudgal, Rtd. C.J. of the Punjab & Haryana High Court, for Arbitration vide Order dated 10.12.14
2.	Petition No.	M/s Himalayan Crest Power (P)	The HPSEBL,	Petition u/s 86(1)(f) of the EA, 2003 for	13.1.2014	

	3/2014	Ltd., Vill. Manal, Sataun, Sirmour	Shimla-04	adjudication of contractual & statutory dispute between parties in respect of 3MW Chandni at Gariyao-ka Khala, a tributary of Giri River.		Referred to Hon'ble Justice V.K. Gupta, Rtd. C.J of the HP High Court for Arbitration vide Order dated 24.12.2014
3.	Petition No. 4/2014	M/s Himalayan Crest Power (P) Ltd., Vill. Manal, Sataun, Sirmour	The HPSEBL, Shimla-04	'-do- in respect of 3MW Chandni HEP at Gariyao -ka Khala, a tributary of Giri River.	13.01.2014	
4.	Petition No. 5/2014	M/s Himalayan Crest Power (P) Ltd., Vill. Manal, Sataun, Sirmour.	The HPSEBL, Shimla-04	'--do-- in respect of 3MW Manal Shabare-ka Khala, a tributary of Giri River.	13.01.2014	

6.2 Regulations, Amendments and Notification issued during the FY 2014-15:

6.2.1 Formulation of Regulations and Amendments to Regulations:

The Commission notified the following amendment regulations.

Sr. No.	Date	Regulations 2014-15
1.	02.06.2014	HPERC (Conduct of Business) Eighth Amendment, Regulations, 2014.
		Order for Finalization of HPERC (Conduct of Business) Eighth Amendment, Regulations, 2014.
2.	22.12.2014	HPERC (Reporting System on Power Regulatory Accounting) Regulations, 2014.
		Order w.r.t Finalization of HPERC (Reporting System on Power Regulatory Accounting) Regulations, 2014.
3.	11.02.2015	HPERC (Promotion of Generation from Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (First Amendment) Regulations, 2015.
		Order w.r.t. Finalization of HPERC (Promotion of Generation from Renewable Energy Sources and Terms and Conditions for Tariff Determination) (First Amendment) Regulations, 2015.
4.	31.03.2015	HPERC (Terms and Conditions for Sharing of Cost of Terminal Benefits of Personnel of the erstwhile Himachal Pradesh State Board and Successor Entities) Regulations, 2015.
		Order w.r.t. Finalization of HPERC (Terms and Conditions for Sharing of Cost of Terminal Benefits of Personnel of the erstwhile Himachal Pradesh State Board and Successor Entities) Regulations, 2015.

All the regulations notified so far by the Commission are available on the Commission's website.

6.2.2 Codes & Standards:

- (a) The Commission has been proactive in the implementation of Codes i.e. Supply and Distribution Code. On the basis of feedback received from various consumers, consumers representative and distribution licensee, the HPERC Electricity Supply Code (First Amendment) Regulation, 2014 dated 11.06.2014 has been issued, making necessary amendments to the existing Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009.

6.2.3 Approval of PPAs:

The State Electricity Regulatory Commissions have to determine the tariff in accordance with the provision of the section 62 of the Electricity Act, 2003 for – (a) supply of electricity by a generating company to the distribution licensee. Accordingly, HPSEB Ltd. a distribution licensee in the State required approval for its power purchase agreements with the power generating companies. The PPAs received and action taken by the Commission during the year is given below:-

List of PPAs Approved by the Commission is as under:

(A) PPA/SPPA executed Under Renewal Energy Certificate (REC) Mechanism (upto 5MW):

Sr. No.	SHEP	Installed Capacity in MW	Location/ Distt.	Name of Generating Company	PPA Approval date
1.	Kotagad	3.50	Kotagad/Manglad Khad, a tributary of River Satluj Village-Runpu/Bhgawat, Tehsil- Rampur, Distt. Shimla (HP).	M/S Shiva Energy Resources Pvt. Ltd., 19/7 Old Bus Stand, Gandhi Chowk, Hamirpur (HP) 177001.	11.11.2014
2.	Jogni-II	5.00	Nogli River/Khad, a tributary of River Satluj, Village Seri, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (HP).	M/s Gee Cee Hydro Power Pvt. Ltd., Village Sarahan Bushahr, Teh. Rampur, Distt. Shimla (HP).	21.03.2015

(B) PPA/SPPA executed Under REC Mechanism (5 to 25 MW):

Sr. No.	SHEP	Installed Capacity in MW	Location/ Distt.	Name of Generating Company	PPA Approval date
1.	Baragaon	24.00	Nallahs being Sanjoin and Bijara, a tributary of River Beas, Village- Hallan-II, Tehsil- Manali, Distt. Kullu (HP).	M/s Kanchanjunga Power Company Pvt. Ltd., B-37, 3rd Floor, Sector-1, Nodia-201301	11.11.2014

2.	Kut	24.00	Kut Khad, a tributary of River Satluj, Village- Surru, Tehsil- Rampur, Distt. Shimla (HP).	M/s Kut Energy Pvt. Ltd., H. No. 99, Sector-3, New Shimla-171009 (HP)	07.01.2015
3.	Jogini	16.00	River/Nallah being Nogli, a tributary of River Satluj, Village- Ruhan, Tehsil- Rampur, Distt. Shimla (HP).	M/s Gangdari Hydro Power Pvt. Ltd., Gyamba House, South End, Lane-IV, Sector-1, New Shimla-171009.	19.03.2015
4.	Kurmi	8.00	Noti Khad, a tributary of river Satluj, Distt. Shimla.	M/s Kurmi Energy Pvt. Ltd., H. No. 99, Sector-3, New Shimla-171009 (HP).	21.03.2015
5.	Beas Kund	9.00	Beaskund Nallah, a tributary of river Beas, Village Palchan, Tehsil-Manali, Distt. Kullu, (HP).	M/s Kapil Mohan & Associates Hydro Power Pvt. Ltd., H. No. 99, Sector-3, New Shimla-171009 (HP).	21.03.2015
6.	Sumej	14.00	River/Nallah Sachi Khad/Muhali Khad, a tributary of river Satluj, Sumej, Sameeh, Sarpara and Sugga, Distt. Shimla (HP).	M/s Ranga Raju Warehousing Pvt. Ltd., B-2. Lane-2, Sector-2, New Shimla-171009 (HP).	30.03.2015
7.	Upper Joiner	12.00	River/Nallah being Joiner, a tributary of Suil, River Ravi, Village- Bada, Lajana, Khajwa, Tehsil- Churah, Distt. Chamba (HP).	M/s Tejassarnika Hydro Energies Pvt. Ltd., B-2, Lane-4, Sector-2, New Shimla-171009.	30.03.2015

(C) PPA/SPPA under Preferential tariff:

Sr. No.	Name of the Project	Installed capacity in MW	Location/ Distt.	Name of Generating Company	PPA Approval date
1.	Kurtha	5.00	Kundi Nallah/Khad being a tributary of Ravi river, Village- Kurtha, Tehsil & Distt. Chamba (HP).	M/s Sahu Hydro Power Pvt. Ltd., VPO Sarol, Distt. Chamba (HP) 176310.	05.12.2014
2	Balh Padhar	4.00	Uhl river/Khad being a tributary of Beas river, Village- Balh, Tehsil- Padhar, Distt. Mandi (HP).	M/s USP Hydro Energy Ltd., Highway Building, Main Bazaar, APO Ner Chowk, Distt. Mandi (HP).	21.03.2015
3	Aleo-II	4.80	Allian Nallah/Khad being a tributary of Beas river, Village- Aleo, Tehsil- Manali, Distt. Kullu, (HP).	M/s Aleo Manali Hydro Power Pvt. Ltd., Village- Aleo, Tehsil-Manali, Distt. Kullu (HP),	31.03.2015
4	Hamal	2.00	Hamal Nallah/Khad, a tributary of River	M/s Achal Dev Sharma, 92/10 Devi Nagar, Ponta	31.03.2015

			Yammuna, Village- Lalpani, P.O. - Nakora Pul, Tehsil- Chopal, Distt. Shimla (HP),	Sahib, Distt. Sirmour (HP) 173025.	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

6.2.4 Examination/Comments on documents:

Various documents issued by CERC, FOIR, Ministry of Power, Govt. of India and GoHP were examined and comments/views supplied.

6.2.5 Approval of Cost data:

Cost data book w.r.t EHV, HV and LT equipment for the FY 2014-15, as submitted by the HPSEBL, was examined and approval granted.

6.2.6 Renewable Power Purchase Obligations:

In order to promote generation from renewable sources, the Central Electricity Regulatory Commission has framed Regulations and issued orders for giving effect to the Renewable Energy Certificates frame work and the Commission has also framed the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Renewable Power Purchase Obligations and its Compliance) Regulations, 2010 by adopting the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Reorganizations and Issuance of Renewable Energy Certificates for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.

The Himachal Pradesh Regulatory Commission (Renewable Power Purchase Obligation and its compliance) Regulations, 2010, specify the quantum of Renewable Power Obligation and its compliance for the financial year 2011-12 to 2021-22 for non-solar and solar energy for the distribution licensee as well as captive and open access users/consumers as per table below:

Minimum Percentage for Renewable Power Purchase Obligation

Year	Minimum Quantum of Purchase (in %) from renewable sources (in terms of energy in kWh) of total consumption.	
	Total RPPO %age	Minimum Solar RPPO %age of the total purchase
2013-14	10.25	0.25
2014-15	10.25	0.25
2015-16	11.25	0.25
2016-17	12.25	0.25
2017-18	13.50	0.50
2018-19	14.75	0.75
2019-20	16.00	1.00
2020-21	17.50	2.00
2021-22	19.00	3.00

As per information submitted by HPSEBL, it has achieved the non-solar Renewable Purchase Obligation (RPO) in the financial year 2014-15 and tied up with the National Thermal Power Corporation from the Singrauli Solar PV Plant and Solar Energy Corporation of India (SECI). The RPO compliance submitted by HPSEBL for the financial year 2014-15 is as under:-

1.	Total RPO Obligation	10.25%
	% RPO (Solar)	0.25%
	% RPO (non Solar)	10.00 %
2.	Total RPO achievement in %	16.37 % of the total energy consumed or 159.7 % of RPO target.
	Non Solar RPO achievement (%)	163.37 (of the RPO)
	Solar RPO achievement (%)	12.96 (of the RPO)

The Commission is regularly monitoring the RPO compliance by the obligation entities, particularly distribution licensee in the State.

6.3 Orders relating to Tariff:

<u>S.No.</u>	<u>Description</u>	<u>Date of Issue</u>
1.	Multi Year Tariff Order for the period FY 2014-15 to FY 2018-19 and True-up for FY 13.	12.06.2014
2.	MYT order for the HPSEBL generation business for the period from 2014-15 to 2018-19	10.06.2014
3.	MYT order for M/s Jai Prakash Ventures ltd. for the period from 2014-15 to 2018-19	06.06.2014
4.	MYT Order for the Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited for the period from 2014-15 to 2018-19	10.06.2014
5.	Multi Year Tariff Order For Himachal Pradesh State Load Dispatch Society (HPSLDS) For the period FY 15 to FY 19	10.06.2014

6.3.1. Multi Year Tariff Order for the period FY 2014-15 to FY 2018-19:

Strategic shift in Power Procurement Policy towards Total Green Energy:

6.3.1.1 Experience of 2nd MYT control period FY 2012-14 and filings made by HPSEBL for the next 5 years period ending FY 2019 reveal the following facts, which are critical to the State, to evaluate the need and possibilities of shifting to sustainable 100% green energy consumption and resultant procurements:-

- In the present energy availability basket of HPSEBL under long term purchase contracts, share of energy from sources outside H.P. is marginal i.e. thermal (coal and gas) about 1140 MUs, Hydel (NHPC and Teri Corp.) about 300 MUs and Nuclear about 170 MUs. Therefore, thermal sources constitute about 10% of total availability. After meeting its annual requirements, about equal quantum

of power is surplus. Therefore, the State is already meeting its full requirement from green/clean sources.

- b) There is volatility in price of thermal power and also they are the costliest among the power portfolio of the licensee.
- c) The tariff of CPSU stations and network are determined by CERC and therefore it is difficult to make reasonable projections in cost of procurement and leads to huge arrear backlogs.
- d) Procurement from outside the State has additional transmissions costs, including losses and operations cost.
- e) There is a huge surplus power available in the State, today, as well as overtime. The Power potential of water in our river systems is about 25000MW, generating about 100,000 Million units, which is about 10 times the present requirements. Even today, there is a huge untied (non-contracted) surplus power in the State to meet our demands during next 25 to 40 years, GoHP free power & equity power, new generation in State sector by HPPCL/HPSEBL, IPPs particularly developing SHPs etc., which have not been fully accounted for by the licensee in its procurement plans.
- f) Free power available with GoHP is much cheaper than thermal power and new hydro stations outside Himachal Pradesh.

6.3.1.2 Power availability under long term contracts of HPSEBL, including from thermal sources of NTPC, and requirements and surplus are as under:-

Power Availability during MYT Period (FY15 to FY19)

Particulars	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Total availability (MUs)	10,296	10,793	11,344	11,917	12,535
Share of Thermal (MUs)	1,257	1,375	1,375	1,375	1,375
Requirement in State (grossed up with T& D losses at 13% to 12%)	9,423	9,902	10,409	10,947	11,519
Surplus	873	891	935	970	1,016

6.3.1.3 These figures demonstrate that, in our energy mix, thermal is just about 10%, which is almost equal to net surpluses of already contracted power and these surpluses are being purchased only due to purchase contract obligations.

6.3.1.4 The Commission has worked out scenario for next 25 years, leading to the outcome that supply from within the State sources, are adequate to meet the demand fully and tariff will be stable and lower on sustained basis.

- (a) For the projection of sales figures at the end of 25 years, the Commission has considered the average growth rate projections of the Third MYT Control Period and extrapolated the same growth rate. By these projections, the sales figures at the end of 25 years are expected to be approximately 29,000 MU (million units) against present level of about 7,600 MUs.

(b)Currently, the power availability to HPSEBL from different sources is as follows:

Power Availability from Different Sources

Sr. No.	Source of Supply	App. Quantum (MU)
1.	Own Generation	2000
2.	NTPC	1350
3.	NPCIL	250
4.	NHPC	300
5.	THDC	155
6.	SJVNL SOR (Nathpa Jhakari)	200
7.	Shared Projects (BBMB, Yamuna etc)	1260
8.	SHPs	1200
9.	Baspa	1200
Sub-Total		7915
11.	SJVNL Equity (Nathpa Jhakari, Rampur HEP)	2000
12.	Existing quantum of GoHP Free Power	2500
TOTAL		12415

(c) The details of hydroelectric projects under construction, obtaining clearances and under investigation stage in H.P. are as follows:

Status of Hydro Potential in Himachal Pradesh

Sr. No.	Sector	Under const.		Obtaining Clearances		Under Investigation		Total	
		No. of Projects	Cap. in MW	No. of Projects	Cap. in MW	No. of Projects	Cap. in MW	No. of Projects	Cap. in MW
1	Himurja	51	182.6	124	365.42	257	509.79	432	1057.81
2	HPSEBL	2	110	-	-	4	70.5	6	180.5
3	HPPCL	5	856	8	1285	7	963	20	3104
4	Central & Joint	4	2532	1	66	1	588	6	3186
5	Private	24	765.5	24	865.5	30	3354.5	78	4985.5
	Total	86	4446.1	157	2581.92	299	5485.79	542	12513.81

Source: Deptt. Of Energy, GoHP

(d) The total capacity of the projects of Himurja, HPSEBL and HPPCL under various stages is more than 4000 MW. Considering a power availability of 4

MUs per MW, the approximate power available from these projects at a rate of 88% will be about 14000 MU.

- (e) The GoHP free power availability at a rate of 12% (conservative estimates) from all the upcoming projects of approximate capacity of 12000 MW shall be approximately 6000 MUs.
- (f) In accordance with the terms of the implementation agreement, the quantum of free power from most of the hydroelectric projects in the state will increase after 12 and 30 years of their commercial operation. Therefore the quantum of GoHP free power from existing/ upcoming projects in the State in longer time will be more than the above conservative estimates.
- (g) Therefore in longer time period of about 25 years, the expected availability and demand scenario of power in the State of HP will be as follows:

Long term Availability and Demand Scenario in Himachal Pradesh

Sr. No.	Source of Supply	App. Quantum Million Units (MUs)
1.	Existing Sources/PPAs of HPSEBL	12,400
2.	Expected Availability in future from Himurja, HPSEBL and HPPCL Projects	14,000
3.	Expected Additional Availability in future from GoHP Free Power	6,000
	TOTAL Availability	32,400 MUs
4.	Estimated Demand	29,000 MUs

In addition to the above, HPSEBL will also have shares in various projects of CPSUs like NTPC, NHPC, NPCIL, SJVNL etc. outside the State.

- (h) HPSEBL can meet most of its power requirement from the current tied up sources of power and from the hydro power potential available/ being harnessed in the State. Since in case of hydroelectric power projects, after the initial period of loan repayment, the power is available at very cheaper rates, the average power purchase rate of HPSEBL over longer periods is expected to be largely stable.
- (i) Power purchase cost is one of the major components of Annual Revenue Requirement and in today's context, it constitutes approximately 65% to 70% of the total revenue requirement of HPSEBL. Stability in power purchase costs of the distribution licensee is therefore indicative of the tariff stability in longer time horizon.

6.3.1.5 The Commission, keeping in view the availability of hydel power from projects within the State on long term basis and also huge perennial potential of power from water in its river systems, is of the view that the HPSEBL should have power procurement policy, where in it shall procure only the clean energy from hydel sources within the State, supplemented by renewable sources like solar and

wind set up in the State only. It shall also have a choice of procuring clean energy from Nuclear power stations of CPSUs outside H.P., if it so merits. This policy of Green Energy purchase will also provide the customer of the State of required energy security on sustainable basis.

- 6.3.1.6 The hydel energy, apart from providing energy security on sustained availability basis, has attendant strength of stability of price over the life of the generating station and also its long term visibility. Electricity prices from hydel sources are also always cheaper and much cheaper. There is regulated tariff regime for hydel sources and there are no raw material inputs, unlike in thermal, nuclear, biomass etc., which have huge variation causing volatility. During the minimum project life of 40 years, there is levelized tariff for 40 years or periodic tariff wherein price is higher in the first and last 10 years and lowest during the intervening 20 years. Various sources having different life cycles will eventually balance the tariff and therefore aggregate tariff from all sources balance out, remain stable and near constant.
- 6.3.1.7 In the present portfolio, average rate from hydel purchase is less than Rs.2.00 per unit (as low as 40 paise in some stations) and from thermal sources is more than Rs.4.00 per unit (as high as Rs.10.00 from some gas based stations). Even though average cost of hydel may rise due to increased capital cost and higher equity component, the difference will continue because thermal is also on rise. Procurement from within the State will also save costs of transmission, including losses and operators charges.
- 6.3.1.8 Accordingly, the Commission feels that futuristic policy of power consumption from Green and Clean Sources and technologies is desirable and feasible and therefore proceeds with strategy to procure 100% green power and such procurements will be from sources within the State only; i.e. hydel sources supplemented with solar and wind. Purchase from outside could be from nuclear sources of Centre Govt. PSU stations, if so merits. Licensee can meet its base load requirements from these sources by making prudent management. Hydel sources shall inherently have surpluses always, during summer and monsoon when power requirements are very high for agriculture and climate needs outside Himachal. Since hydel power is cheaper, stable and predictable generally, surpluses can be used as a powerful commercial tool for banking or sale for making cheaper power available during deficit winter season and also for profits for strength of the licensee. Tariff stability based on cheaper power and long term visibility of availability on cheaper rates of such power is important for investment decisions by the private sector in industry, services and infrastructure projects for development and growth and also by individual consumers for accessing services and technology from diversification of farm production, development of services, improvement of incomes and enhancement of quality of life particularly in rural areas and Himachal is near 90% rural.
- 6.3.1.9 A brief description of the approved ARR of HPSEBL for Distribution business for FY 14-15 to FY 18-19 (Rs. Cr.) is as under:

(Rs. In crores)

Particulars	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Power Purchase Expenses for Supply in the State	2,554.17	2,762.53	2,872.90	3,095.02	3,355.08
Cost of electricity purchase including own generation	2,258.72	2,431.22	2,505.69	2,685.08	2,901.05
Inter-State Charges					

Power Grid Charges	230.51	258.53	288.29	326.97	365.45
Open Access Charges	53.12	58.43	64.28	70.71	77.78
Intra-State Charges					
HPPTCL Charges	3.45	3.47	3.32	3.36	3.46
SLDC Charges	8.37	10.88	11.32	8.89	7.34
Operation & Maintenance Costs	1,247.23	1,372.09	1,510.39	1,663.11	1,830.80
Employees Cost	1,166.37	1,284.81	1,414.82	1,557.50	1,714.12
R&M Cost	43.51	46.79	51.69	58.02	65.09
A&G Cost	36.35	39.48	42.89	46.58	50.60
Additional amount for Safety measures	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Interest & Financing Charges	176.61	196.88	229.76	266.97	302.53
Depreciation	62.74	70.27	80.90	93.90	107.91
Return on Equity	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
Surplus Power Purchase as per PPA Obligation	135.31	173.29	219.11	282.27	325.73
Less: Non-Tariff & Other Income	207.14	216.07	225.47	235.36	245.77
Aggregate Revenue Requirement	3,999.16	4,389.24	4,717.84	5,196.15	5,706.52

6.3.1.10 Salient features of distribution tariff for 3rd MYT control period FY 2014-15 to FY 2018-19:-

- (1) There is no increase in tariff for any category in the revised tariff for 2014-15.
- (2) In the process of tariff rationalization and redesign, tariff for certain categories has been reduced ranging up to 30 paise per unit.
- (3) No tariff increase will be necessitated during the remaining four years i.e. 2015-16 to 2018-19 also, as based on current estimates.
- (4) Total revenue requirement approved for the 5 years is Rs.24,552 Crs, of which Rs.4,543 Crs are for 2014-15, for supply business (excluding generation and projects).
- (5) In addition Rs. 2,220 Crs. have been approved for capital expenditure for works, of which Rs.430 Crs. are for 2014-15. These are meant for new lines, sub-stations, transformers, poles, meters etc., as well as for augmentation of existing ones.
- (6) Income approved for 5 years is Rs.25,415 Crs, of which Rs. 4,544 Crs are for 2014-15.
- (7) Net revenue surplus during 5 years is Rs. 863 Crs., including Rs. 1.54 Crs in 2014-15.
- (8) Some of the consumer friendly steps taken by the Commission for simplification and rationalization of tariff structure which are applicable to more than one category of consumers, have not been listed above. These steps include:
 - (a) Tariff classification has been shifted from earlier base of connected load to contract demand basis to bring in transparency.
 - (b) Consumer service charges for two parts tariff category have been abolished to make tariff simple.
 - (c) Peak load restrictions have been removed now and exemptions are not required by Industrial Category, Water and Irrigation Pumping Supply

Consumers during Peak load. Therefore there are no Peak load violation charges now. The peak load charges shall be applicable on average demand of the consumers during peak hours. In addition, the peak load charges have been reduced to enable consumers to avail 24x7x365 supply.

- (d) Night time concession has been increased during 3 summer months i.e. June, July and August, when HP is surplus in power. Night time concession is admissible only to Industry and Irrigation and drinking water pumping supply categories, which are subject to higher charges during peak hours.
- (e) Provision of a contingent surplus of 350 MUs has been kept in the power purchase by HPSEBL to provide uninterrupted power supply to the consumers round the clock.

6.3.2 Generation MYT-HPSEBL:

The Commission issued an MYT Order for the HP State Electricity Board Limited-Generation business for the period from 2014-15 to 2018-19 on **10 June 2014**. The total ARR/AFC* approved by the Commission stood as under:

(Rs. in Crores)

Plant Name	Units	FY 15	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
Gross Generation (Design Energy)	MU	1936.91	1936.91	1936.91	1936.91	1936.91
Total Auxiliary consumption	MU	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
Net Generation at Bus	MU	1917.44	1917.44	1917.44	1917.44	1917.44
Less: Free Power to GoHP	MU	81.33	81.33	81.33	81.33	81.33
Energy available for Sale	MU	1836.10	1836.10	1836.10	1836.10	1836.10
O & M Expenses	Rs Cr	105.75	107.57	117.80	129.01	141.29
<i>R&M Expenses</i>	Rs Cr	<i>20.25</i>	<i>22.00</i>	<i>23.90</i>	<i>25.96</i>	<i>28.19</i>
<i>Employees Expenses</i>	Rs Cr	<i>71.10</i>	<i>78.03</i>	<i>85.65</i>	<i>94.01</i>	<i>103.18</i>
<i>Pension Contributions</i>	Rs Cr	<i>5.69</i>	<i>6.24</i>	<i>6.85</i>	<i>7.52</i>	<i>8.25</i>
<i>A&G Expenses</i>	Rs Cr	<i>1.19</i>	<i>1.29</i>	<i>1.41</i>	<i>1.53</i>	<i>1.66</i>
<i>Additional O&M Expenses for R&M</i>	Rs Cr	<i>7.52</i>				
Depreciation	Rs Cr	73.22	73.22	72.85	72.74	72.74
Interest Charges	Rs Cr	22.67	15.46	8.24	3.29	1.53
Return on Equity	Rs Cr	35.16	35.16	35.16	28.76	28.76
Interest on Working Capital	Rs Cr	8.29	8.64	9.02	9.37	10.00
Annual Fixed Charges	Rs Cr	245.26	240.04	243.07	243.18	254.32

* Excluding 8 plants for which generation tariff has already been approved by the Commission vide Order dated 15th Jan 2014.

6.3.2.1 Generation Review-HPSEBL

A Review Petition on the MYT Order dated 10 June 2014 by the HPSEBL was disposed off by the Commission vide Order dated **03 January 2015**.

6.3.3 Generation MYT- JPVL

The Commission issued an MYT Order for M/s Jai Prakash Ventures Limited for the period from 2014-15 to 2018-19 on **06 June 2014**.

6.3.3.1 Generation Review-JPVL

A Review Petition on the MYT Order dated 06 June 2014 by the HPSEBL was disposed off by the Commission vide Order dated **24 December 2014**.

The total Annual Fixed Charges approved by the Commission stood as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	FY 15	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
	Approve d	Approve d	Approve d	Approve d	Approve d
Capacity Charges					
Interest on outstanding loans	13.40	4.33	0.72	0.22	0.04
Depreciation + AAD	95.22	75.48	5.08	3.94	0.18
Interest on loan related to debt restructuring	1.06	0.35	-	-	-
Repayment of loan related to debt Restructuring	8.85	8.85	-	-	-
Application fee	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Sub-total Capacity Charges	118.59	89.07	5.84	4.21	0.27
Primary Energy Charges					
O&M Charges	37.35	40.38	43.66	47.21	51.05
Revision of ARR for FY 2010-11 on additional Rs. 2.57 Cr of ICF	0.17	-	-	-	-
Cumulative Additional O&M expenses	2.97	-	-	-	-
Cumulative Service Tax on ICF O&M Expenses	1.44	-	-	-	-
Return on Equity	78.36	78.36	78.36	78.36	78.36
Interest on Working Capital	7.93	7.14	4.71	4.89	5.00
Sub-total Primary Charges	128.21	125.87	126.73	130.46	134.41
Incentives and Taxes					
Incentive for Secondary Energy					
Incentive for Higher Plant Availability	-	-	-	-	-
Tax	37.03	32.07	9.73	10.80	10.84
Sub-total Incentives and Taxes	37.03	32.07	9.73	10.80	10.84
Total Annual Fixed Charges	283.84	247.02	142.31	145.46	145.52

6.3.3.2 Generation True up-JPVL

The Commission issued the True-up Order for M/s Jai Prakash Power Ventures Limited (JPVL) for the second Control Period from 2011-12 to 2013-14 on **30 March 2015**. The total arrears approved by the Commission stood as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	FY 12	FY 13	FY 14
Total Annual Fixed Charges	362.68	304.50	311.09
Payment Made by HPSEBL	331.89	325.47	324.47
Revenue Surplus/ (Gap)	(30.79)	20.97	13.38
Opening Balance	-	32.79	15.11
Additions/(Subtractions)	30.79	(20.97)	(13.38)
Closing Balance of Base Amount	30.79	11.82	1.73
Average Balance	15.39	22.30	8.42
Interest Rate	13.00%	14.75%	14.45%
Interest	2.00	3.29	1.22
Closing Balance of Payment	32.79	15.11	2.94

6.3.4 Transmission MYT-HPPTCL

The Commission issued an MYT Order for the Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited for the period from 2014-15 to 2018-19 on **10 June 2014**.

ARR approved by the Commission for HPPTCL:

(Rs.Lacs)

Sr. NO.	Particulars	FY 15	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
1	Operation & Maintenance Expenses	258.82	269.58	262.54	275.26	289.10
A	Employees Expenses	9.84	10.81	11.86	13.02	14.29
B	A&G Expenses	118.46	118.63	118.81	119.01	119.23
C	R&M Expenses	130.51	140.15	131.86	143.23	155.58
2	Depreciation	75.87	75.86	75.85	75.83	75.27
3	Interest and Finance Charges	29.02	20.73	12.44	4.15	-
4	Interest on working Capital Requirement	11.06	11.28	10.82	11.11	11.53
5	Return on Equity	-	-	-	-	-
6	Total Fixed cost	374.77	377.46	361.64	366.35	375.90
7	Less: Non- Tariff Income	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
8	Net Aggregate Revenue Requirement (ARR)	344.77	347.46	331.64	336.35	345.90

6.3.5 SLDC MYT - HPLDS :

The summary of the Aggregate Revenue Requirement (ARR) approved by the Commission during the Third MYT Control Period is given in the table below:

Approved ARR of HPLDS for the Third MYT Control period (Rs Lacs)

Particulars		FY 15	FY 16	FY 17	FY 18	FY 19
1	O&M Cost	387.21	606.92	653.35	704.31	760.22
A	Employees Cost	252.86	464.87	510.23	560.02	614.67
B	A&G Cost	11.59	12.66	13.73	14.90	16.17
C	R&M Cost	122.75	129.39	129.39	129.39	129.39
2	ULDC Charges	506.28	525.51	529.03	246.93	46.92
3	Depreciation	1.82	3.64	3.64	3.64	3.64
4	Interest & Finance Charges	5.09	10.17	10.17	9.83	9.15
5	Interest on Working Capital Requirement	23.34	31.34	32.83	28.01	25.20
6	Return on Equity	4.26	8.53	8.53	8.53	8.53
7	Total Expenses	927.99	1,186.11	1,237.56	1,001.25	853.67
8	Less: Other Income	90.60	97.90	105.20	112.50	119.80
Aggregate Revenue Requirement		837.39	1,088.21	1,132.36	888.75	733.87

6.4 Website:

Important information under the RTI Act and HPERC Regulations are uploaded and regularly updated on the Commission's website <http://www.hperc.org> to provide transparency, easy access and wide publicity to consumers and other stakeholders in respect of various activities being undertaken and maintained by HPERC.

6.5 Press Clipping Service:

In order to keep the Commission abreast with the latest developments in the power sector within and outside the State, a daily press clipping service has been maintained in the office and put up to the Commission for perusal and suitable action.

6.6 Consumers Grievances Redressal Forum:

6.6.1 Forum for Redressal of Grievances of the Consumers:

Under section [8] read with sub-section (5) of section 42 of Electricity Act, 2003, the Commission has notified HPERC (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulation, 2003. As per regulation 3, the distribution licensee i.e. the HPSEBL has established a three members Forum for

Redressal of Grievances of Consumers at Kasumpti, Shimla. The consumers can file their complaints with this Forum, relating to defect or deficiency in electricity supply, unfair trade practices, excess charge and recovery of price by the licensee, while providing an electric line and allied services etc.

The Forum consists of three members, of which two are appointed by the HPSEBL from the officers of the licensee and one independent member is nominated by the Commission.

Any person aggrieved by an order of the Forum can file a representation to the Electricity Ombudsman within a period of 40 days. As per information received from the Forum, the complaints pending as on 31.03.2014 are 17 and complaints received during the year are 68, complaints disposed off during the year are 25 and pending complaints as on 31st March 2015 are 60 Nos.

6.6.2 Electricity Ombudsman:

As per section 42(6) of the Electricity Act, 2003 and Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, the Electricity Ombudsman is appointed by the Commission. Any consumer may make a representation for the redressal of his grievance to the Electricity Ombudsman, appointed by the Commission. The Electricity Ombudsman has the power to receive representations on non-redressal of consumers grievances by the Forum or against the orders of the Forum for redressal of grievances of consumers. It facilitates settlement either by agreement, conciliation and mediation or by passing an award in accordance with the regulations. The Electricity Ombudsman under the Regulation 11, 12 and 13 of the aforesaid regulations has the power of settlement of disputes by agreement, award and also to ensure its enforcement. Electricity Ombudsman is to make an award on any complaint of consumers, not later than three months from the date of receipt of complaint and the award as such shall be binding on the parties within 30 days of its decision. In case of non-compliance of award or agreement and application for enforcement of award, the aggrieved persons can approach the Commission, which shall take appropriate action to enforce the award. As on 31st March, 2014, Sh. Ashok Kumar Sharma was holding the charge of the Electricity Ombudsman. As per the reported status by the Electricity Ombudsman, the opening balance of petitions/representations pending before the Electricity Ombudsman as on 31.03.2014 was 16. During the year FY 2014-15, 5 additional petitions/representations were filed, out of which 7 petitions were disposed off till 31.03.2015 and the pending complaints as on 31st march, 2015 are 14 Nos.

Apart from above, in order to provide efficient, reliable and quality supply of power to the consumers, the Commission has notified the Distribution Performance Standard Regulations, 2010 which specifies the standards of performance related to consumers services such as fuse off/ fault calls, overhead line and cable breakdown, replacement of failed distribution transformer, complaints about meters, defective/ stopped/ burnt meter replacement, shifting of meter/ service lines, voltage problems, scheduled outages etc. These regulations also provide the preparation and publication of “Manual of Practice for Handling Consumer Complaints” by the distribution licensee to facilitate the consumers as well as the field staff. If the distribution licensee fails to meet the standards of performance specified under these regulations, the aggrieved consumer can file a case for compensation to the Commission.

6.7 Membership of Co-ordination Forum:

In order to have a dynamic interface with other utilities and to evoke a common reform strategy by regulators, the Commission have acquired the membership in the following forums at regional, national and international levels: -

6.7.1 South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR):

Functioning under the Umbrella of International Forum for Utility Regulation (IFUR), the SAFIR was established on May, 1999 with the support of the World Bank of the region comprising Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, India and Pakistan, as network of infrastructure regulators. The sectors covered include electricity, natural gas, telecommunications, water, transport, etc. Its objectives are to stimulate research, provide a databank relating to regulatory reform processes and experiences, initiate beneficial exchange of knowledge and expertise. The Chairman of the Commission has attended meetings of SAFIR time to time.

6.7.2 Forum of Indian Regulators (FOIR)

The Forum of Indian Regulators (FOIR) is a registered body constituted in February 2000. Its membership is fee based. The mission of FOIR is to promote transparency in the working of the regulatory bodies, protect consumer interest and develop consumer advocacy organizations; develop human and institutional capacities in regulatory bodies, utilities, and other stakeholders and to provide information based on regulatory law and practice and regulatory economics and to promote growth of independent regulatory Mechanism and transparency in working of regulatory bodies. The FOIR meets at least once in a year and discusses various issues. The Commission joined the Forum of Indian Regulators (FOIR) as its institutional member on 26th May, 2001. The forum has a governing body and member of the FOIR is eligible for appointment to the governing body in honorary capacity. The secretariat for the Governing body is provided by Central Electricity Regulatory Commission. The supreme authority of FOIR is vested in the general body and it shall meet at least once in a year, probably in the month of June. The Chairman of the Commission has attended meetings of FOIR time to time.

6.7.3 Forum of Regulators (FOR):

The Forum of Regulators (FOR) was constituted vide Notification dated 16th February, 2005 in pursuance of the provision under section 166(2) of the Electricity Act, 2003. The Forum consists of Chairperson of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and Chairpersons of State Electricity Regulatory Commissions (SERCs). The Chairperson of CERC is the Chairperson of the Forum. The Forum is responsible for harmonization, coordination and ensuring uniformity of approach amongst the Electricity Regulatory Commissions across the country, in order to achieve greater regulatory certainty in the electricity sector. The Forum shall meet at least twice in a year. The Chairman of the Commission has attended meetings of FOIR time to time.

6.7.4 Northern Regional Forum of Electricity Regulators (NRFER):

The Chairmen of Northern Region, Electricity Regulatory Commissions like HPERC, JKERC, HERC, RERC, PSERC, DERC, UPERC, JERC, UERC held discussions for constituting a regional Forum for understanding on common regulatory issues, relating to states in the Northern region. The registered office of NRFER has been established in the office of Haryana Electricity Regulatory Commission, Panchkula. Further, it was proposed that the senior most Chairperson among members of the State Electricity Regulatory Commissions of NRFER shall be the Chairman of the NRFER and Secretary HERC shall be its Secretary. It shall have Annual General Body Meeting and regular meeting of the Executive Committee at least once in six months at its Head Quarters and other suitable places by rotation. Executive Committee shall consist of nine nominated members. The aims and objectives of the NRFER shall be broadly to share various issues relating to regulatory mechanism, consumer interest and consumer advocacy and to promote awareness amongst NGOs about the redressal mechanism, to undertake research and studies in the areas of power sector and share information of common regional interest and to promote human and institutional capacity building processes specific to the Northern Region.

6.8 Computerization:

Desktop Computers were installed on the seat of all the officers of the Commission for increasing their efficacy and compatibility. These are interconnected through Local Area Network (LAN) so that information can be exchanged quickly on priority through a reliable, paperless mode. The necessary peripheral hardware together with standard software items have also been provided in the office.

6.9 Library:

Various books, Law journals and other documents, pertaining to the Commission were purchased during the period April, 2014 to March, 2015 for the office library as required from time to time.

CHAPTER-7

Consultations with, or representations by, the members of the public in formulation of policy or implementation.

While mandating the Commission to carry out certain duties, the Act also empowers the Commission to frame Regulations to carry out such functions but only after prior publication process which essentially involves public consultation on its Regulatory draft provisions, take into consideration all such suggestions from public and finalize the intended Regulations; such Regulations are subject to judicial review by High Court and Supreme Court. The Commission is required to follow the principle of natural justice after giving due opportunity being heard in all its functions. In order to ensure that views and concerns of the consumers at large are duly voiced and heard, the Commission has appointed Shri P.N Bhardwaj, a retired Chief Engineer as consumers representative to represent consumers interest in its proceedings.

CHAPTER-8

Committees and other advisory bodies constituted for advice

In terms of section 87 of the Electricity Act, 2003, the Commission has constituted a State Advisory Committee(SAC) comprising 21 members as shown at Annexure-IV, to represent the interests of Commerce, Industry, Transport, Agriculture Labour, Consumers, Non-Governmental Organisations, Academic and Research Bodies on the Electricity Sector. The Secretary of the State Department of Consumer Affairs and Public Distribution System is the ex-officio-member of the Committee. The Chairperson and the Secretary of the State Commission are the Chairperson and Secretary respectively of the State Advisory Committee. The Committee is mandated to deliberate and advise the Commission on the following issues:-

- i) Major questions of policy ;
- ii) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- iii) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
- iv) Protection of consumer interest;
- v) Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The 11th meeting of the State Advisory Committee was held on 19th December, 2014 and the minutes of the meeting are indicated at **Annexure-IV**.

Apart from the above, meetings of in-house Committee of Officers and Retainer Consultants of the Commission are held from time to time to deliberate on various issues of regulatory importance.

CHAPTER-9

A brief overview of the Power Sector Departments and State Utilities

9.1 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED (HPSEBL)

The Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) was constituted in accordance with the provisions of Electricity Supply Act (1948) in the year 1971. Thereafter, all functions of the Department of Multi-Purpose Projects and Power such as generation, execution of hydroelectric projects except functions of flood control and minor irrigation were transferred to the Board.

HPSEB carried out functions of Generation, Transmission and Distribution for the State of Himachal Pradesh up to June 10, 2010, when the Government of Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred to it under Section 131 (2), 132, 133 and other applicable provisions of the Electricity Act 2003, transferred the functions of generation, distribution and trading of electricity to Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) and the function of evacuation of power by transmission lines to Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL), vide the Himachal Pradesh Power Sector Reforms Transfer Scheme, 2010. A separate Generation Company for execution of new projects in State sector was already created by GoHP.

In accordance with provisions of the Act, vide Notification No. MPP-A(3)-1/2001-IV dated June 15, 2009, the functions, assets, properties, rights, liabilities, obligations, proceedings and personnel of Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) were vested with the Government of Himachal Pradesh. Also in accordance with the provisions of the Act, vide the 'Himachal Pradesh Power Sector Reforms Transfer Scheme, notified vide No. MPP-A(3)-1/2001-IV, dated June 10, 2010, the above mentioned functions, assets, properties, rights etc earlier vested with the Government of Himachal Pradesh were re-vested into corporate entities by the name of Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL) and Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL). Thus, HPSEBL came into being with effect from June 10, 2010, from the date of re-vesting with the objective that the functions of generation, distribution and trading of electricity shall be undertaken by HPSEBL. The Himachal Pradesh State Electricity Board Limited is a deemed licensee under the first proviso to Section 14 of the Electricity Act, 2003 for distribution and supply of electricity in the State of Himachal Pradesh.

HPSEBL after reorganisation has been entrusted with the functions of distribution of electricity in the State of Himachal Pradesh and hence, HPSEBL is responsible for the development (planning, designing, and construction), operation and maintenance of power distribution system in Himachal Pradesh with inherent trading functions. Identification and investigation of new hydro power potential of the State is also entrusted to HPSEBL. Ownership and O&M of generating stations of erstwhile HPSEB have also been given to HPSEBL and it can continue executing new generating projects in state sector if so allocated by GoHP. HPSEBL has share of power in Central Sector Generating Stations while it also imports power from

neighbouring states to meet the requirement in the state.

Operation and maintenance of the distribution system in HPSEBL is carried out by its three Operation Wings, namely 'North', 'Central' and 'South', and one EHV wing(named System Operation wing), each headed by a Chief Engineer. The three operation wings comprise 12 Operation Circles. The geographical area under these Circles is strictly not as per the territorial jurisdiction of the 12 districts in the State. Despite extreme geographical terrain and climate and with the population spread over far- flung and scattered areas, the State has achieved 100% electrification of towns and villages in 1988.

9.2 HIMACHAL PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

The Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL) is a deemed licensee under first, second and fifth provisos of Section 14 of the Electricity Act, 2003 for transmission of electricity in the State of Himachal Pradesh. HPPTCL was formed through an order notified by the Government of Himachal Pradesh vide its notification No. MPP-A-(1)-4/2006-Loose, dated 11 September, 2008. Through notification No. MPP-A-(1)-4/2006-Loose dated 3 December, 2008, read with the GoHP's earlier notification dated 31 October, 2008, HPPTCL was entrusted with the following works/business with immediate effect:

1. All new works of construction of Sub-Stations of 66 kV and above rating.
2. All new works of laying/ construction of transmission lines of 66 kV and above rating.
3. Formulation, updation, execution of Transmission Master Plan for the state for strengthening of Transmission network and evacuation of power including new works under schemes, already submitted by the Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) under this plan to the Financial Institutions for funding and where loan agreements have not yet been signed.
4. All matters relating to planning and co-ordinations of the transmission related issues with CTU, CEA, Ministry of Power, State Government and HPSEBL.
5. Planning and co-ordination with the IPPs/ CPSUs/ State PSUs/ Other Departments or organizations or agencies of the Central Government and State Government, HPSEBL and HPPCL with regard to all transmission related issues.
6. All other matter of subject that the State Government may specifically assign to the Corporation from time to time.

HPPTCL was declared the State Transmission Utility (STU) by the GoHP vide its order dated 10 June, 2010 and as a result thereof, the Commission recognized the HPPTCL as a deemed "Transmission Licensee" as per the Commission's Order dated 31 July, 2010. Prior to FY11, the transmission tariff was being determined as a part of the tariff orders applicable to HPSEBL system.

The State Government also transferred and vested in HPPTCL the ownership, operation and maintenance of Transmission lines of 66 kV and above rating, owned by the Himachal Pradesh State Electricity Board Limited including the co-ordination of

the lines, owned and operated by Power Grid Corporation of India (PGCIL), Independent Power Producers (IPPs), Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited (HVPNL) and POWER COM (PSEB) vide its notification No. MPP-A (3)-1/2001-IV, dated 21 June, 2010 read with earlier notification of even number dated 10 June, 2010.

9.3 HIMACHAL PRADESH POWER CORPORATION LIMITED (HPPCL)

Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL) was incorporated in December 2006 under the Companies Act 1956, with the objective to plan, promote and organize the development of all aspects of Hydro-electric power on behalf of Himachal Pradesh State Government (GoHP) and Himachal Pradesh State Electricity Board in Himachal Pradesh. The GoHP has a 60% and HPSEB has a 40% shareholding in HPPCL.

The HPPCL has the aim to develop 3000 MW power generating capacity by March 2017 and 5000 MW by the year 2022 and thereby contribute to the development and prosperity of Himachal Pradesh through power generation. Towards achieving this aim, work on various Hydroelectric Projects such as 450 MW Shongtong Karcham, 100 MW Sainj, 111 MW Sawra Kuddu, 243 MW Kashang, 42 MW Chirgaon Majhgaon and 40 MW Renuka Ji is in different stages of execution.

The challenge before HPPCL is to develop itself a power generating company with all the technical and organizational capabilities at par with renowned generating companies such as NTPC, NHPC and SJVNL. To achieve this, efforts are being made to strengthen various departments with professionals of proven credentials and qualified technical manpower.

HPPCL apart from Hydro Power Development, intends to diversify its power development activities in other areas such as thermal, renewable sources of energy (mainly solar power) etc. Its aim is to have a long term corporate plan for planned implementation of the power projects to meet the growing energy demand, ensuring environmental and ecological balance for contributing towards the progress and prosperity of the state.

9.4 HIMACHAL PRADESH LOAD DESPATCH SOCIETY

The State Load Despatch Centre (SLDC) was established in Himachal Pradesh in 2002 and Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. (erstwhile HPSEB) has been operating it since then. HPSEB Ltd was the sole utility looking after the businesses of generation, transmission and distribution of power in the state. With the enactment of Electricity Act, 2003, which broadly focuses on making the power sector competitive, different utilities have been set up in the state to look after the businesses of generation and transmission of power, whereas HPSEB Ltd. continues to be the only utility in the distribution business in the state. The HV/EHV lines previously classified as intra-state transmission lines to have been owned by the State Transmission Utility are now owned by HPSEBL and have been classified as HV/EHV distribution lines. Therefore, unlike many other states of the region where the SLDC functions were assigned to the State Transmission Utility, in Himachal Pradesh, SLDC functions continued to remain under HPSEB Ltd.

In order to ensure that SLDC discharges the functions and duties entrusted with it in

the Electricity Act 2003, in an efficient and effective manner, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission imparted directions to HPSEB Ltd. to take steps to ring fence SLDC, and grant it functional autonomy.

In line with this, the Govt. of Himachal Pradesh ordered the establishment of State Load Despatch Centre as an independent entity in the form of “Himachal Pradesh State Load Despatch Society” vide its order No. MPP-B (13)-2/2010 dated 8.11.2010. HPSEB Ltd. has put the services of some of its employees on secondment basis with Himachal Pradesh Load Despatch Society with effect from 17th June 2012. Himachal Pradesh Load Despatch Society has therefore deemed to have taken over the functions of State Load Despatch Centre from HPSEB Ltd. with effect from 17th June 2012.

However, the two fold reasons of HPSEB Ltd. being the only DISCOM in the state, and for it to have carried out the SLDC functions for so long, have added to the complexities of transferring the functions of SLDC from HPSEB Ltd. to Himachal Pradesh Load Despatch Society. The unique initiative of the integrated functioning of SLDC (with Himachal Pradesh Load Despatch Society) and ALDC (HPSEBL) taken up in HP, adds to the difficulties likely to arise during the transition phase. Since ALDC facility of HPSEB Ltd and SLDC facility of Himachal Pradesh Load Despatch Society are located in the same complex; the necessary assets required for SLDC operation have not been transferred by HPSEB Ltd. to Himachal Pradesh Load Despatch Society till date.

The biggest challenge today is to provide Himachal Pradesh Load Despatch Society the necessary infrastructure and human resources so that it can carry out its functions and duties as per the Act. Simultaneously with the coming up of large number of power projects and a number of consumers in the state going in for open access, the role of State Load Despatch Centre becomes more important as it is designated as the apex body for the integrated operation of the power system in the state by the Act.

9.5 DIRECTORATE OF ENERGY (DoE)

The government of Himachal Pradesh in the year 2009 created the Directorate of Energy as a single point of contact for the resolution of all issues relating to project implementation and hydro power development. The broad aims and objectives of Directorate of Energy are:

1. To provide conducive policy framework and issue directions to promote, develop and harness optimally, the huge hydro potential of the State.
2. Coordinate/ facilitate the programs/policies which lead to conservation of energy and its efficient use.
3. Maximize the revenue by sale of free/ equity power of the state.

The Directorate of energy is contributing in the development of the power sector in the State by carrying out following functions:

- i. Allotment of hydro projects in H.P.
- ii. Monitoring of implementation of projects.

- iii. Grant of techno economic clearances.
- iv. Sale of power share of Government of Himachal Pradesh.
- v. Promote energy conservations and efficiency measures.
- vi. Monitoring of quality and safety aspects of hydro electric plants.

9.6 HIMURJA

HIMURJA is the State Nodal Agency for implementation of renewable energy programme/ schemes in Himachal Pradesh. It is facilitating in providing of various renewable energy applications with the help of State/ Central financial assistance. Himachal Pradesh has been considered as Special Category State by the MNRE, Govt. of India for providing of Central Financial Assistance under various programmes of Ministry. Following are the functions of HIMURJA:

1. To procure, provide and installation of Solar Energy Devices.
2. To submit proposals under Project mode to MNRE, Govt. of India for sanction under various available schemes.
3. To provide subsidy to beneficiaries under JNNSM & other schemes of MNRE, Govt. of India.
4. Preparation of renewable energy power policies for the State and adopt a strategy for the development, promotion and use of renewable energy technologies across the State.
5. To ensure availability of reliable sustained quality power supply from HIMURJA MHEPs.
6. To frame transparent policy for identification and allotment of power projects.
7. Harnessing of small hydro power potential through private and state sector participation.
8. To ensure employment to Himachalis in the Power Projects as per H.P. Govt. instructions ensuring local development.
9. Ensuring the installation of SPV Street Lights in SCs concentrated villages under SCSP.
10. Undertaking resource assessment and potential estimation study for all new and renewable sources of energy.
11. Process cases for providing financial incentives to the IPPs in the shape of subsidy.
12. To facilitate with DOE and HPPTCL, HPSEBL for approval of TEC & inter-connection point.
13. Interaction with various departments for obtaining statutory & non-statutory clearances.
14. Interaction with Tribal Department & Social Justice Department for providing funds for renewable energy devices.
15. Coordinate with various govt. departments, IPPs and monitoring thereof for

early completion of the projects.

16. To organise awareness programmes through various modes for promoting and popularization of renewable energy sources/devices.

9.7 Salient Features:

9.7.1 Generation:

The total identified Hydro Potential of Himachal Pradesh is about 26261MW. In order to harness this huge hydro potential and with a motive to make Himachal Pradesh as Hydro Power State in the Country, the State Government has adopted four-pronged policy by involving State, Central, Joint and Private Sectors. Besides this, the State Government has entrusted small hydro projects, having capacity up to 5 MW to Himurja for implementation under State and Private sectors.

Out of total identified hydro potential of 26261 MW, a potential of 9432.64 MW stands achieved and projects having aggregate capacity of 11233 MW are in various stages of implementation under various sectors. A potential of 40 MW capacity is under dispute or cancelled whereas a potential of 755 MW has been foregone due to environmental concerns.

The Status of Hydro power development in the State under various sectors is as follows:-

Status of Hydro Potential in Himachal Pradesh									
Sr. No.	Sector		Commissioned	Under Construction	Under Clearance Stage	Under Investigation	Dispute	Foregone	Grand Total
			Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW	Capacity in MW
1	Himurja	State	2.37	0	14.5	0	0	0	16.87
		Private	245.75	153.15	428.15	393.68	0	0	1220.73
2	HPSEBL	up to 5 MW	21.1	0	0	0	0	0	21.1
		> 5 MW	466.45	100	0	85.5	0	0	651.95
3	HPPCL		0	856	1285	963	20	20	3124
4	Central & Joint		6675.73	1600	66	588	0	0	8929.73
5	Yamuna Projects (Himachal Share)		131.57	-	-	-	-	-	131.57
	Ranjeet Sagar Dam (Himachal Share)		27.6	-	-	-	-	-	27.6
6	Private		1862.07	781.43	829.2	3089.5	20	735	7317.2
Total			9432.64	3490.58	2622.85	5119.68	40	755	21440.75
Balance Potential under consideration									4820.61
Grand Total									26261.36

9.7.2 Network

The intrastate transmission and distribution network consists of voltage levels of 220 kV, 132 kV, 66 kV, 33 kV, 22kV, 11 kV and 0.43/0.23 kV. The network comprises of electrical lines measuring about 95106.14 kilometres at various voltage levels. The detail of voltage-wise line length and distribution transformation capacity is as under:

Details of EHT Line Length

220kV	132kV	66kV	Total
422.49 km	1419.22 km	512.12 km	2353.82 km

Details of HT Line Length

33kV	22kV	15kV	11kV	2.2kV	Total
3107.095 km	7131.020 km	105.41 km	21591.852 km	48.27 km	31983.645 km

**Details of LT line Length & Distribution
Transformation Capacity**

LT Line (0.4/0.2 kV)	Distribution Sub-Stations	
	Nos.	kVA
60768.674 km	27088	2326566.9

In all, there are 40 EHV substations feeding the transmission/ distribution network. It is a challenge to maintain such huge network in hilly terrain and prevailing adverse climatic conditions in some parts of the State. The continuous up-gradation of the network is required to meet the growing energy demands and for evacuation of power from hydro power stations coming up in different parts of the State.

9.7.3 Distribution:

100% village electrification as per 1981 Census was achieved in Himachal Pradesh during 1988-89 (June 1988). Subsequently, the definition of village electrification was changed by M/s Rural Electrification Corporation (REC) Ltd. As per 2001 census, 17483 No. of villages have been electrified out of total 17495 villages, ending March 2014. The remaining 12 villages are not technically feasible for electrification being transit, having no population and situated in Densely Populated Forest (DPF) areas. Apart from the village electrification, HPSEBL has taken up the electrification of hamlets to be electrified and 4047 (identified) +614 (un-identified) hamlets stand electrified up to March, 2014 whereas 135 hamlets are yet to be electrified.

In total, there are 21.97 Lac consumers with total connected load of 60,41,979 kW. These consumers are fed through the network consisting of 34337.47 km of HT/EHT lines and 60768.67 km of LT lines. There are 27088 distribution substations with total installed capacity of 2326567 kVA. The transmission and distribution loss levels during the year 2014-15 were 11.89 %.

9.7.4 Consumption and availability

A total of 7798.2 MU were consumed by different categories of consumers in the State during 2014-15 with a maximum demand of 1422 MW. The peak power demand occurs during the winter months when the hydro-generation is also low. In totality, the State is surplus in power. However during the winter months, the distribution licensee (HPSEBL) is deficit in power and during the summer months it has surplus power. The surplus power during summer months is banked with the neighbouring states and is received during the winter months when the distribution licensee is deficit in power. The state has regional share in various central sector projects as well as equity share in projects such as Nathpa Jhakri HEP. The state has 12% free power in various hydro projects of the State. HPSEBL uses power from above sources, from its own generating stations as well as from shared generating stations and BBMB to fulfil its requirement. The per capita energy consumption during 2013-14 was 1099 units which increased to 1136 units in 2014-15 (as per 2011 census data), an increase of 3.37%. About 59% of the total consumption in the state is by the Industry, followed by domestic category whose consumption is about 24%. The category wise energy consumption and growth rate during the last three years are as follows:

Category	FY 2012-13	FY 2013-14		FY 2014-15	
	Consumption (MU)	Consumption (MU)	Growth rate	Consumption (MU)	Growth rate
Domestic	1618.45	1774.497	9.64%	1871.536	5.47%
Non Domestic					
Non Commercial	106.82	117.59	10.08%	128.954	9.66%
Commercial	408.73	450.942	10.33%	468.38	3.87%
Public Lighting	13.91	12.454	-10.47%	13.247	6.37%
Small Power	61.48	59.069	-3.92%	70.513	19.37%
Medium Power	144.69	144.069	-0.43%	137.317	-4.69%
Large Supply	4173.16	4287.579	2.74%	4386.116	2.30%
Water Pumping and Irrigation Supply	500.6	512.041	2.29%	541.877	5.83%
Temporary	25.9	26.895	3.84%	25.502	-5.18%
Bulk Supply	169.78	150.696	-11.24%	154.755	2.69%
Total Energy Sales	7223.52	7535.832	4.32%	7798.197	3.48%

CHAPTER-10

Directory of Officers and Staff

Directory of Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission officers and employees during 2014-15 is as shown at **Annexure -I**

CHAPTER-11

Remunerations of Officers and Staff

- 11.1** The details of gross salary in respect of Chairman, Officers and Employees of the Commission as on 31.03.2015 or as on their last working month in the Commission are as shown at **Annexure-II**
- 11.2** The pay and allowances in respect of the Chairman, Officers and employees of the Commission are being released as per pay scales duly approved by the Government for the respective categories of posts except for those in whose case the HPSEBL based pay scales have been protected by the Government. However, in case of the employees who were on secondment with the Commission from H.P. Govt., HPSEBL and SJVNL, having different pay and allowances structure than that of H.P. Government Deptt. were paid the pay and allowances as would have been paid to them in their respective organizations.

CHAPTER-12

Rules, Regulations, Instructions, Manuals and Records, held by the Commission or used for discharging its functions.

12.1 Rules, Regulations and Instructions:

The following are some of the important statutes, rules and regulations followed by the Commission and its employees for discharging day to day functions :-

1. Electricity Act, 2003.
2. Electricity Rules, 2005.
3. Electricity Policy.
4. Tariff Policy.
5. CERC regulations and orders.
6. Different Regulations/Amendments/ other Notifications/Orders framed by the Commission from time to time during the year.
 - HPERC (Demand Side Management) Regulations, 2011.
 - HPERC (Distribution Performance Standards) (First Amendment) Regulations, 2011.
 - HPERC (Eligibility Conditions for being a Electricity Trader) (First Amendment) Regulations, 2011.
 - HPERC (Renewable Power Purchase Obligation and its compliance) (First Amendment) Regulations, 2011.
 - HPERC (Security Deposit) (First Amendment) Regulations, 2011.
 - HPERC (Determination of Open Access Charges) Order, 2011.
 - Order on APPC (Average Pooled Purchased Cost) dated 14th June, 2011.
 - Notification regarding applicability of Open Access Regulations in transmission under the HPERC (Grant of Connectivity, Long-Term and Medium-Term Intra-State Open Access and related materials) Regulations, 2010 has been issued.
 - HPERC (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011.
 - HPERC (Terms and Conditions for Determination of Hydro Generation Tariff) Regulations, 2011.
 - HPERC (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2011
 - HPERC (Levy and Collection of Fees and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2011

All the regulations notified so far by the Commission are available on the Commission's website.

7. Civil Procedure Code
8. HPERC Fund (Constitution of Fund, the manner of application of fund and form and time for preparation of Budget) Rules, 2007
9. Rules, Instructions/Circulars issued by the State Government from time to time on various policies, establishment matters etc.

12.2 Manuals and Records etc.

In addition to above-mentioned Rules, Regulations, Policies etc., HPERC has also notified the following Guidelines/Orders/Concept Papers to facilitate discharge of its functions:

1. Guidelines for Load Forecast, Resource Planning and Power Procurement Process.
2. Directions for the Approval of Hydro Electric Projects in the State of Himachal Pradesh, 2005.
3. HPERC Determination of Open Access Charges Order, 2008.
4. HPERC Fixation of Intra State Trading Margin Order, 2008.
5. HPERC Tariff for Grid Interactive Photovoltaic and Solar Thermal Power Projects (Eligible under MNRE guidelines), 2009.
6. HPERC (Determination of Open Access Charges) Order, 2010.
7. Notification of Designated State Agency.
8. Notification of RPPO applicability to Captive and Open access Consumer(s)/user(s).
9. HPERC (Fixation of Fees and Charges for Accreditation of Renewable Energy Generation Project) Order, 2010.
10. Detailed procedure for Grant of Connectivity, Long-Term and Medium-Term Intra-State Open Access.

CHAPTER-13

Subsidy programmes, including the allocations and the beneficiaries

Execution of subsidy programmes does not fall in the ambit of its functions.

CHAPTER-14

Recipients of concessions, permits or authorizations granted

During the year, no such concessions, permits or authorizations have been granted by the Commission.

CHAPTER-15

Details of the information available or held by it, in an electronic form

All regulations, guidelines, Judicial and other important orders issued by the Commission have been produced in electronic form and are available on its website: <http://www.hperc.org>

CHAPTER-16

Facilities available to citizens for obtaining information, including library or reading room, if maintained, for public use

The Commission has hosted its website <http://www.hperc.org> to provide easy access and wide publicity to public in respect of various activities being undertaken by HPERC. Apart from above, as per Regulation 23 of the HPERC (Conduct of Business) Regulation, 2005, the records of every proceeding are open for inspection of the parties or their authorized representative at any time, either during the proceedings or after the orders are passed, subject to payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct. Certified copies of the documents of the Commission can also be obtained after payment of prescribed fees and following the procedure laid down in Regulation 24 of the aforesaid Regulation. The library of the Commission is not open to public use.

CHAPTER-17

Names, designations and other particulars of the Public Information Officers

The particulars of the Public Information Officers notified by the Commission in compliance to Section 5 and 9 of the Right to Information Act, 2005 are as under : -

Name	Designation	Telephone No.	
		Office/Mobile	Residence
1. Appellate Authority			
Dr. Man Singh	Secretary	0177-2621003 94180-03256	2623291
2. Public Information Officer			
Sh. Diwakar Sharma	Pers-cum- Admn. Officer	0177-2627263	9882380628
3. Assistant Public Information Officer			
Mrs. Rama Mahajan	Superintendent	0177-2627263	98051-99588

CHAPTER-18

Categories of documents held by the Commission or under its control

The categories of the documents that are maintained by the Commission mainly relate to: -

- (i) The petitions filed by the various agencies and consumers on matters falling in the ambit of the functions assigned to the Commission and Orders issued thereof.
- (ii) Matters on which the statutory advice to the State Government has been made under sub-section 2 of Section 86 of the Electricity Act, 2003.
- (iii) Documents relating to finalisation of different regulations and amendments thereof.
- (iv) Investigation of the matters under Section 128 of the Act.
- (v) Correspondence on appointment of consultants, engaged by the Commission for providing assistance on determination of generation, transmission, bulk and retail supply tariffs, various studies for HPSEBL, preparation of regulations, legal and technical assistance etc.
- (vi) Bills, Vouchers, Payee Receipts and other related documents.
- (vii) Copies of Annual Accounts and Annual Administrative Reports
- (viii) Audit and Inspection Reports.
- (ix) Cash Books, Ledgers etc.
- (x) Personal records and Service Books of the employees.

Annexure -I**Telephone Directory of the Staff of the Commission as on 31.03.2015**

SR. NO.	NAME OF OFFICERS/EMPLOYEE S	DESIGNATION	OFF.No.	RES.No.
1.	Sh. Subhash Chander Negi	Chairman	2627262	2621006
2.	Dr. Man Singh, HAS	Secretary	2621003	2623291
3.	Sh. S.K. Joshi	Executive Director (Tariff)	2627978	2625501
4.	Sh. B.M. Sud	Executive Director (Tech.)	2627983	9418028701
5.	Sh. Shakti Singh,	Executive Director (Tech.)	2627983	9418106122
6.	Sh. Pankaj Sharma	Jy. Director (Tariff)	2627907	9418028496
7.	Smt. Rinku Gautam	Jy. Director (T. Eco)	2627908	9816636690
8.	Sh. Ajay Chadha	Dy. Director (Generation)	2627907	2657452
9.	Rakesh Chand Negi	Deputy Director	2627907	2629280
10.	Sh. Diwakar Sharma	Sr. A.O./PAO	2627907	2640471
11.	Shri Satish Arya	Law Officer	2627908	9418515295
12.	Sh. Mohinder Singh Thakur	PS	2627262	9817108228
13.	Sh. Sushil Kashyap	Reader	2627908	9418120556
14.	Sh. B.S. Kanwar	P.A.	2627262	9418069569
15.	Smt. Rama Mahajan	Supdt.	2627907	9805199588
16.	Sh. Raj Kumar Sharma	Supdt.	2627908	9459265289
17.	Smt. Renu Vats	Stenotypist	2621003	9816398983
18.	Sh. Dinesh Chauhan	Clerk	2627978	9418462400
19.	Sh. Jagat Ram	Clerk	2626907	9805959547
20.	Sh. Room Singh	Driver	-	9816002465
21.	Sh. Raj Kumar	Driver	-	9418053363
22.	Sh. Kundan Singh	Peon	-	9129422808

ANNEXURE-II**Salary of the Chairman, Officers and Employees as on 31.03.2015**

Sr. No.	Name	Gross Monthly salary in Rs.
1.	Sh. Subhash Chander Negi, Chairman	113025
2.	Dr. Man. Singh, Secretary	0
3.	Sh. B.M. Sud, Executive Director (Technical)	141348
4.	Sh. Shakti Singh, Executive Director (Technical)	152849
5.	Sh. S.K.Joshi, Executive Director (Tariff)	136050
6.	Sh. Rinku Gautam, Jt.Director (Tariff Eco.)	82591
7.	Sh. Ajay Chadha, Dy. Director (G)	67619
8.	Sh. Pankaj Sharma, Jt. Director (Tariff)	77077
9.	Sh. Rakesh Negi, Deputy Director	60987
10.	Sh. Diwakar Sharma, Sr. Accounts Officer	43840
11.	Sh. Satish Arya, Law Officer	58398
12.	Sh. Mohinder Thakur, P.S.	66996
13.	Sh. Satish K. Gharu, P.S.	64401
14.	Sh. Ajay Kaushish, Personal Assistant/APS	54266
15.	Sh. Sushil Kashyap, Reader	64237
16.	Smt. Rama Mahajan, Superintendent	44144
17.	Sh. Kamal Dilaik, Superintendent	35699
18.	Sh. B.S. Kanwar, Personal Assistant	47143
19.	Sh. Raj Kumar Sharma, Superintendent	56134
20.	Smt. Renu Vats, Stenotypist	42556
21.	Sh. Dinesh Chauhan, Clerk	28154
22.	Sh. Jagat Ram, Clerk	27825
23.	Sh. Room Singh, Driver	32093
24.	Sh. Raj Kumar, Driver	25095
25.	Sh. Kundan, Peon	16135

ANNEXURE-III

Details of staff w.e.f. 01.04.2014 to 31.3.2015

Sr. No.	Name & Designation	Date of joining w.e.f.	Mode of recruitment
1.	Sh. Subhash C. Negi, Chairman	01.02.2011	Appointment by the Government
3.	Dr. Man Singh, Secretary, HAS	21.08.2012	On deputation from GoHP
4.	Sh. S.K. Joshi, Executive Director (Tariff)	03.02.2011	On secondment from HPSEBL
5	Sh. B.M. Sud, Executive Director (Technical)	06.06.2012 to 07.04.2014	On secondment from HPSEBL
6.	Sh. Shakti Singh, Executive Director (Tech.)	04.08.2014 to 31.03.2015	On secondment from HPSEBL
7.	Sh. Pankaj Sharma, Jt. Director (Tariff)	01.08.2012	On secondment from HPSEBL
8.	Smt. Rinku Gautam, Jt. Director (Tariff Eco.)	01.06.2005	By absorption
9.	Sh. Ajay Chadha, Dy. Director (Gen.)	23.12.2010	By absorption
10.	Sh. Rakesh Chand Negi, Dy. Director	18.02.2014 to 31.03.2015	On secondment from HPSEBL
11.	Sh. J.S. Raitka, PAO	17.11.2004	By absorption
12.	Sh. Diwakar Sharma, Sr. A.O.	14.01.2014 to 31.03.2015	On deputation from GoHP
13.	Sh. Satish Arya, Law Officer	01.07.2013	On secondment from HPSEBL
14.	Sh. Mohinder Singh Thakur, PS	22.02.2001	On secondment from HPSEBL
15.	Sh. Sushil Kashyap. Reader	30.10.2004	By absorption
16.	Sh. Satish Gharu, PS	19.11.2004	By absorption
17.	Smt. Rama Mahajan, Supdt.	30.10.2004	By absorption
18.	Sh. Kamal Dilaik, Supdt.	30.10.2004	By absorption
19.	Sh. B.S. Kanwar, P.A.	30.10.2004	By absorption
20.	Sh. Raj Kumar, Supdt.	25.09.2009	By absorption
21.	Smt. Renu Vats, Steno Typist	17.07.2013	By absorption
22.	Sh. Dinesh Chauhan, Clerk	18.07.2013	By absorption
23.	Sh. Jagat Ram, Clerk	13.10.2006 to 21.02.2015	On secondment

24.	Sh. Room Singh, Driver	14.07.2009	By absorption
25.	Sh. Raj Kumar, Driver	06.04.2009	By absorption
26.	Sh. Kundan Singh, Peon	07.11.2013	On secondment

ANNEXURE-IV

State Advisory Committee Members of the Commission

Sr. No.	Name, Designation & Address	Designation in the committee
1.	Chairman HP Electricity Regulatory Commission, Shimla-171002	Ex-officio-Chairman
2.	Principal Secretary (MPP & Power) to the Government of H.P., Shimla-171002	Member
3.	Pr. Secretary, Food, Civil Supplies & Consumers Affairs, Govt. of H.P., Shimla-171002	Member
4.	Secretary, Bureau of Energy Efficiency, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, New Delhi-110066.	Member
5.	Joint Secretary, Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, Block No.14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.	Member
6.	Chairman-Cum-Managing Director, HPSEB Ltd., Vidyut Bhawan, Shimla-4.	Member
7.	Chairman-cum-Managing Director, Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd., Himfed Building, New Shimla-171009.	Member
8.	Chairman-cum- Managing Director, Power Trading Corporation India Ltd., 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji, Cama place, New Delhi-110066.	Member
9.	Head of Department (Electrical Engineering), National Institute of Technology, Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.)	Member
10.	Director(Operation), HPSEB Ltd, Vidyut Bhawan, Shimla-4.	Member
11.	Director, Directorate of Energy, Phase-3, Sector-5, Shanti Bhawan, New Shimla-171009.	Member
12.	Director, Directorate of Agriculture, Krishi Bhavan, Shimla-171005	Member
13.	Chief Executive Officer, HIMURJA, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009	Member
14.	Sh. Rajesh Kumar Mehndiratta, Vice President, India Energy Exchange Ltd., 401, 4 th Floor, Boston House, Suren Road, Andheri (East), Mumbai-400093.	Member
15.	Sh. P.N. Bhardwaj, Arcadia, P.O. Dharampur, Distt. Solan (H.P.)-173209	Member
16.	The President, Shimla Hotel & Restaurant Association, C/o Hotel Shivalik, Ridge, Shimla (H.P.)	Member
17.	The Managing Director, H.P. Power Corporation Ltd., Himfed Bhawan, Below Old MLA	Member

	Quarters, Panjri, Shimla-171 005.	
18.	Managing Director, Himachal Pradesh Power Transmission Corporation, Borowalias House, Khalini, Shimla-171002 (H.P.).	Member
19.	The Chairman, CII, H.P. Council, Sector 31-A, Chandigarh-160030.	Member
20.	The Chairman, Himachal Committee, PHD CCI, Room No. 205, Udyog Bhawan, Shimla-171001.	Member
21.	The Convener, H.P. Small Hydro Power Association, B-99, Sector-3, New Shimla-171009 (HP)	Member

Minutes of the 11th Meeting of the State Advisory Committee of the H.P. Electricity Regulatory Commission, held on 19th December, 2014 at the Peterhoff, Shimla-171001.

1. The 11th meeting of the State Advisory Committee of the HPERC was held on 19.12.2014 at the Peterhoff under the Chairmanship of Shri Subhash Chander Negi. The list of the Members, the special invitees and the officers of the Commission attending the meeting is annexed (Annexure IV-A).
2. The Chairman welcomed the Members and the special invitees and explained that the Electricity Act, 2003 envisages efficacy of Regulatory decisions arrived through consultative process and therefore it inter alia provides for a State Advisory Committee to advise the Commission on issues of its core functions.
3. The Chairman further explained that the HPSEBL and the HPERC have by now attained adequate maturity and capacities in the matters of ARR and tariff determination processes and formulation of Regulations and now is the need to consolidate its policies, strategies and actions to achieve the desired goal of 24x7 Power to All in qualitative and on real time basis, the fundamentals for which are:-
 - (a) assured availability of power on long term basis;
 - (b) a reliable network with adequate capacity for universal access;
 - (c) a system that is competitive, efficient and stable so that power is affordable on sustainable basis, with long term visibility of price;
 - (d) the processes and procedures are customer centric that ensure doing business with ease and standards are laid down and are enforceable; and
 - (e) a robust and responsive grievances redressal mechanism is in place,

Therefore, the agenda for this SAC meeting is designed to solicit advice on matters of 24x7 Power for All, including related issues of Customer care and Grievances Redressal, Supply Code amendments and Renewable Energy. The discussions took place as under:-

4. **Confirmation of the Minutes of the 10th SAC meeting.**

Minutes were confirmed.

5. **24x7 Power for All.**

The Chairman, HPERC made presentation on “24x7 Power for All” and shared the details of availability of power and long term demand-supply position in the State. He demonstrated that H.P. already has 24x7 supply and the HPSEBL has established performance Parameters and Policies to consolidate it further and expressed that for achieving the 24x7 supply, there should be improvements and reforms in:-

- (a) Setting up of an efficient and effective institutional mechanism and application of all available tools and technologies to spur demand growth, facilitate 24 hours consumption as per unconstrained demand, realistic demand projections and reviews and forecasting of demand on continuing basis, even on day ahead and real time basis, a prudent merit order purchase aligned with long term, medium terms and short term demand projections/forecast, commercial principles in disposal of surpluses and use of transmission capacities based on least cost options.
- (b) An efficient network building and operations by optimizing costs entailing sourcing GOI grants/incentives, efficient procurement of works & goods, including contract management, for quality supply of power at cheaper network cost.
- (c) Enhance employees’ productivity by right recruitment, rationalization of positions and deployments in view of the present needs of distribution business, outsourcing, application of I.T. and other management tools.
- (d) An efficient and responsive customer care system and a robust Grievances Redressal mechanism.
- (e) Consolidate supply of 100% green power generated locally, including larger share of renewable, for energy security, climate action and long term tariff stability and affordability.

6. During the discussions, the following facts and issues were brought out:-

- (a) While in the EHT system, the network availability is highly satisfactory but trippings and unscheduled power cuts are frequent.
- (b) Such trippings are either due to shortage of power on real time/ day to day basis or due to communication lag between grid operator and the HPSEBL management and also between HPSEBL management and the Operation staff in the field. Cuts are imposed on entire feeder/line as against curtailments necessitated, which can be prudently managed by the field operations staff.
- (c) Despite adequate systems created in an area, interlinkage is not established to gainfully utilise the supportive capacities available, in the neighbouring areas. For example, some augmentation and re-organisation in EHT network is possible in Solan-Parwanoo and Parwanoo-Baddi/Barotibala area to meet constraints in Parwanoo.
- (d) There is no Standard Operating Procedure (SOP) of SLDC and ALDC; as a result, precious electricity resources of the H.P. are being wasted due to lack

of understanding, commercial and technical aptitude and communications at appropriate decision channels.

- (e) Time lines of 30 days in providing new connections are not being adhered to, mainly due to lack of sensitivity to legal obligation to provide supply in 30 days and also due to cumbersome procedure internal to HPSEBL as well formalities prescribed by HPSEBL which are external to it.
- (f) Due to load restrictions, the connections and increase in loads are getting denied and delayed in the field.
- (g) Disposal of surplus hydel generation by way of banking is not always commercially prudent because it is profitable to sell surpluses during summer when power in the exchange/ bilateral market is costlier and buy in winters when it is cheaper in the market.
- (h) Delays in billing are leading to revenue losses to the HPSEBL.

7. After detailed deliberations on the agenda, the SAC endorsed the proposal of HPERC in general and made the following recommendations:-

- (a) HPERC Policy of 100% Green Power supply is sustainable and the seasonal and peaking surpluses are an added value to earn higher returns in the markets that will enhance financial health of HPSEBL, as well as benefit the State consumers. Therefore, while it may be necessary to have about 105% of annual requirement to be met from assured contracts, preferably long term, banking of surplus power as whole may not be prudent commercial practice now, particularly in view of the fact that northern region may continue to remain in deficit during summer and hence the present market trend of costly power in summer and cheaper in winter may continue. It makes sense to sell surplus power in summer, which will improve liquidity and enhance revenues.
- (b) HPSEBL may establish a specialised cell headed by Senior Officer having Commercial and market orientation and aptitude, for power procurement and trading, including planning on long term, short term, day ahead and on real time basis based on demand and supply projections, forecasting, and periodic reviews. Certain functions can either be outsourced or consultancy services could be hired for this purpose.
- (c) With increase in number of clients and stringent grid regulations, SLDC needs to function in an objective, transparent and accountable manner so as to bring in efficiency in use of electrical resources. Also, communications and decision processes at HPSEBL/ALDC should be efficient so as to avoid un-necessary cuts and restrictions in supply and generation from its own sources including IPPs having PPA with it. SoPs should be notified by SLDC, HPSEBL and HPPTCL.
- (d) HPSEBL should revisit its procedures and processes i.e. forms, NOCs, affidavits, payment mechanism etc, so that these are simple, normative, self certifications, and with complete delegations for connection and load sanctions/releases, enabling statutory compliance of supply within 30 days and also leading to resultant increase in sales.

- (e) In the land locked areas where grid is not stable and the supplies operate in island mode, LED lamps and solar home lights or roof top solar lights could be provided. Similarly, in all such difficult and remote areas, LED lamps could be provided to reduce losses and meet lighting requirement during low voltage situations.
- (f) HPERC and HPSEBL should evolve norms and designs keeping in view specific requirement of the Districts/Circles, interalia poles and towers, HT:LT ratios, LT/HT feeder lengths, optimum use of RoW, multi circuit lines, high performance conductors, underground lines, HVDS, star rating of water lifting pumps for irrigation/drinking water etc. Similarly manuals for preventive maintenance, including supervisory inspections and checks, should be prepared.
- (g) HVDS should be implemented.
- (h) For agriculture also, 24x7 supplies should be for 24 hrs. However, there should be feeder segregation for water lifting including Govt. irrigation and water supply. This should be taken up in the urban areas because in H.P., urban areas have agriculture also, as in rural areas.
- (i) For HPSEBL to become an effective service provider on sustainable basis, it should improve its financial viability for which it should faithfully avail and implement FRP as sanctioned, obtain full benefits of Centre Schemes which have very high subsidy component, restructure its funding management and procurement of goods & works to be more efficacious, reduce AT&C losses by making Circles accountable for efficiencies at LT and HT levels (excluding EHT).

8. Customer care and Grievances Redrassal:

During the discussions, the following issues were brought out:-

- (a) Timely billing is important for customers as well as supplier but huge delays are reported;
- (b) The CGRF should not be selective in acceptance of complaints;
- (c) Arrears are included in the bills without any details and disconnection notices are issued without giving due opportunity for hearing in cases of bills of arrears and disputed bills.
- (d) Supply Codes need to be sensitive to the contemporary business and service level expectations and hence should be amended on continuing basis.

After the discussions, the SAC made the following recommendations:-

- (i) HPSEBL/HPERC should revisit procedures and processes to make them simple, easy, accessible and accountable;
- (ii) The institutions of Forum and Ombudsman should be active so that these are utilised effectively;
- (iii) FRGC is an internal statutory mechanism for grievance redressal and therefore shall accept all complaints and wherever required these can be sent for redressal at the operational levels. This institution should be optionally utilized by assigning all the powers, in additions to those assigned under HPERC Regulations, by the HPSEBL; including monitoring, awareness

building and training to field staff and consumers, control and responsibility of toll free customer call centres.

9. Renewable Energy and Green Charge:

Prof. S.S.Chandel, NIT Hamirpur brought out the immense solar potential in the State and its advantages over time for energy security on sustainable basis. Chairman brought out that cost of renewables including SHPS and Solar, are higher than conventional hydro power and in order to promote these technologies so as to be competitive and sustainable in long run, bulk consumers should share the additional costs and a small levy of about 10 paise a unit may be possible proposition in principle.

The SAC recommended that, if necessary, the HPERC may recover Green Charge from HT & EHT consumers during the current MYT period.

10. Dr. Man Singh, Secretary HPERC thanked all the members and invitees for participating and making the meeting fruitful.

Annexure 'IV-A'

**LIST OF PARTICIPANTS IN THE 11TH STATE ADVISORY COMMITTEE
MEETING**

Sr. No.	Name & Designation of the Members/ participants.
1	Sh. Subhash Chander Negi, Chairman, HPERC.
2	Sh. P.C.Negi, Managing Director, HPSEBL.
3	Sh. Shyam Lal Sharma, Managing Director, HPPTCL.
4	Er. D. K. Sharma, Managing Director, HPPCL.
5	Dr. S. S. Chandel, Professor & Head, Centre for Energy and Environment Engineering, NIT, Hamirpur.
6	Mr. R. M. Mukul, SE (W), IPH, Shimla.
7	Sh. Rakesh Bansal, CII, H.P.
8	Sh. Rohit Bajaj, VC, IEX.
9	Sh. D. R. Sharma, BBNIA.
10	Dr. Man Singh, HAS, Secretary, HPERC.
11	Er. M.S. Rana, Director, HPPCL, Shimla.
12	Er. J. P. Kalta, Director (Operation), HPSEB Ltd., Shimla.
13	Sh. Rajeev Sharma, Director (Finance), HPSEBL, Shimla.
14	Sh. Rajesh Singh, C.E.(OP)South, HPSEBL, Shimla.
15	Er. Mahesh Sirkek, C.E.(Commercial), HPSEBL.
16	Er. Suneel Grover, C.E. (SO&P), HPSEBL, Shimla.
17	Er. Ashok Sharma, Electricity Ombudsman, H.P.
18	Er. Niraj Kapoor, Chief Engineer, DOE, Shimla.
19	Sh. B.M.Nanta, Member, CGRF, Shimla.
20	Sh. Sumit Dhillon, Member CGRF, Shimla.
21	Sh. Dheeraj Mittal, S.E.(OP)Circle, HPSEBL, Solan.
22	Ms. Bharti Sambyal, S.E.(OP)Circle, HPSEBL, Una.
23	Sh. Anoop Dhiman, S.E.(OP)Circle, HPSEBL, Nahan.
24	Sh. Rajeev Sood, XEN, HPSEBL, Baddi.
25	Sh. R.K.Dhiman, XEN, HPSEBL, Paonta Sahib.
26	Mr. H. K. Wadhwa, S.E. O/O DOE, Shimla.
27	Er. Shakti Singh, Executive Director (Tech.), HPERC.

28	Er. Shashi Kant Joshi, Executive Director (Tariff), HPREC.
29	Er. Pankaj Sharma, Joint Director, HPREC.
30	Ms. Rinku Gautam, Joint Director, HPREC.
31	Er. Ajay Chadha, Deputy Director, HPERC.
32	Rakesh Negi, Deputy Director, HPERC.
33	Sh. S. K. Chanana (Consultant Tech.), HPERC.
34	Sh. G. P. Attri (Consultant Legal), HPERC.
35	Sh. P. L. Negi (Consultant CA & AR), HPERC.
36	Sh. Diwakar Sharma, P. A. O., HPERC.

अध्याय	विषय सूची
1.	विद्युत विनियामक आयोग की संरचना
2.	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम शामिल हैं
4.	आयोग के कृत्यों के निर्वहन हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड
5.	योजनाएं प्रस्तावित व्यय तथा किए गये संवितरणों का उपदर्शित करते हुए बजट विवरण
6.	वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति निर्माण या कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श अथवा उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।
8.	परामर्श प्रदान करने हेतु गठित समितियां तथा अन्य निकाय
9.	विभागों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं का संक्षिप्त पर्यवलोकन
10.	आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका
11.	आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक
12.	आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु अपनाए अथवा धारित नियम, विनियम, नियमावलियां निर्देशन तथा अभिलेख।
13.	आबंटन तथा लाभान्वितों सहित उपदान कार्यक्रम
14.	रियायत प्राप्तकर्ता, प्रदान किए गये परमिट अथवा अनुज्ञप्ति
15.	आयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना का विवरण
16.	पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग हेतु अनुरक्षित किया गया हो सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधा
17.	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण
18.	आयोग के नियंत्रण अथवा उसके द्वारा धारित दस्तावेजों के वर्ग
	अनुच्छेद-I
	अनुच्छेद-II
	अनुच्छेद-III
	अनुच्छेद-IV
	अनुच्छेद-IV क

अनुक्रमणिका

अध्याय—1

विद्युत विनियामक आयोग की संरचना

1.1 वैधानिक प्रावधान:

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का गठन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन दिसम्बर, 2000 में किया गया तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को अपना कार्य आरम्भ किया गया। उस समय देश में विद्युत उद्योग तीन अधिनियमों नामतः भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ; विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 तथा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1948 के अधीन कार्य करता था। 1910 के अधिनियम के अन्तर्गत भारतवर्ष के विद्युत आपूर्ति उद्योग हेतु आधारभूत विधिक ढाँचा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य निजी लाइसेंसधारियों के माध्यम से विद्युत उद्योग का विकास करना था। इसके द्वारा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अधीन तारों तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए स्थापित विधिक ढाँचा तथा राज्य विद्युत बोर्डों की स्थापना अधिदेशित किया जाना था। यह महसूस किया गया कि विद्युतीकरण, जो कि अभी तक शहरों तक ही सीमित था को अधिक गति प्रदान की जाए और राज्यों को यह दायित्व सौंपा जाए। तथापि कुछ समय के पश्चात, शुल्क निर्धारण, एक व्यवसायिक तथा स्वतन्त्र रूप में न किए जाने की स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों की निष्पादन क्षमता में विकृति आ गई क्योंकि वास्तव में शुल्क निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। इस समस्या के निराकरण तथा शुल्क निर्धारण में राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बचने के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई तथा इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित करने के प्रावधान किए गये। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिनियम बनाए गए। राज्य सुधार अधिनियमों के अधीन उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना तथा अपनी विभिन्न स्थानांतरण स्कीमों के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों को एक पृथक उत्पादन, संचारण एवं वितरण कम्पनी के रूप में स्थापित किए जाने की दिशा में पहले ही कई सुधार अमल में लाए गए।

विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा विद्युत उपयोग एवं सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास हेतु इसके अनुरूप उपाय करने, प्रतिस्पर्धा विकसित करने, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, सभी क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति प्रदान करने, विद्युत शुल्क को तर्क संगत बनाने, उपदान के सम्बन्ध में पारदर्शी नीति सुनिश्चित करने, कुशल एवं पर्यावरण-मित्र नीतियों के विकास, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित

करने सम्बन्धी नियमों को समेकित किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003, 26 मई, 2003 को अधिनियमित किया गया था। 2003 में अधिनियमित इस अधिनियम के अधीन विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, विनियामक दायित्वों में सरकार से दूरी बनाए रखने, 1910, 1948 तथा 1998 के पूर्व तीनों केन्द्रीय अधिनियमों में अनुरूपता एवं औचित्य स्थापित करते हुए राज्य विद्युत बोर्डों के अस्तित्व बनाए रखने, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने सुधार अधिनियम पारित करने तथा इसके साथ ही राज्य सरकार तथा राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लाइसेंसधारियों के नियंत्रण सम्बन्धी निराकरण उपायों से अन्यथा मूल विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए मात्र एक विधान बनाया जाना शामिल है।

विद्युत अधिनियम 2003 तथा 1998 के अधीन गठित केन्द्रीय एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए सभी आयोग अब विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कार्य करते हैं। ये आयोग, अर्द्ध-न्यायिक तथा वैधानिक दायित्व तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं।

1.2 राज्य आयोगों की स्थापना का उद्देश्य :

विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने तथा सरकारी तन्त्र से विनियामक आयोगों के विनियामक दायित्व के निर्वहन में दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सभी राज्यों के लिए एक विस्तृत तथा समान विनियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पंजीकरण की नितान्त आवश्यकता थी। इसके साथ ही इसमें खुली पहुँच तथा विपणन हेतु नवीन अवधारणा विकसित करना भी शामिल था। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य निवेश सुविधाएं प्रोत्साहित तथा उपलब्ध करवा कर विद्युत क्षेत्र का वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार विकास करना है ताकि विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणात्मक विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके। विद्युत अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नीतियों के दृष्टिगत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.3 राज्य आयोग के कार्य:

आयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण तथा आपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारण करना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि विद्युत क्षेत्र में निवेश, प्रतिस्पर्धा तथा कार्यकुशलता प्रोत्साहित करने के साथ-साथ शुल्क, सेवा की गुणवत्ता तथा प्रभावी शिकायत निवारण सहित उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) के अधीन राज्य आयोग को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य सौंपे गए हैं :-

- राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु बहुल, थोक अथवा खुदरा, यथास्थिति, शुल्क निर्धारित करना :

- यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ता के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो, का ही निर्धारण करेगा।
 - वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत क्रय एवं प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत भी शामिल है जिस पर अनुबन्ध द्वारा उत्पादक कम्पनियों अथवा लाइसेंसधारियों अथवा अन्य स्रोतों से राज्य के भीतर वितरण एवं आपूर्ति हेतु विद्युत प्रापण किया जाएगा।
 - राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना।
 - ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना जो संचारण, वितरण लाइसेंसधारी व विद्युत व्यापारी के रूप में प्रदेश के भीतर प्रचालन में इच्छा रखते हों।
 - ग्रिड से जोड़ने के लिए व किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय हेतु समुचित उपाय उपलब्ध करवाकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन एवं सहउत्पादन प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही ऐसे स्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिशतता निर्धारित करना।
 - लाइसेंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना।
 - अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना।
 - धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।
 - लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।
 - यदि आवश्यक हो तो, राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।
 - ऐसे सभी अन्य कार्यों का निर्वहन जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे सौंपे जाए।
- आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) के अधीन राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य विषय में परामर्श प्रदान कर सकता है :-
- (i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।
 - (ii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।
 - (iii) राज्य में विद्युत उद्योग की पुर्नसंरचना तथा पुर्नसंगठन।
 - (iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण व व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार, द्वारा आयोग को भेजे जाएं।

अध्याय-2

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

2.1 आयोग की संरचना:

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एक निगमित निकाय है, जिसका गठन विद्युत विनियामक अधिनियम, 1998(1998 का 14वां)के अधीन 31.12.2000 में किया गया था तथा आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को शिमला स्थित मुख्यालय से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82, 1998 के अधिनियम के अनुसार विद्युत विनियामक आयोग, 2003 के अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य आयोग के रूप में कार्य करेगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम तीन सदस्य होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके न्यायाधीश होंगे तथा सम्बंधित राज्य के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इसके अन्य सदस्य होंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।

राज्य आयोग में इस समय केवल एक ही सदस्य है, श्री एस. एस. गुप्ता दिनांक 06-01-2001 से 05-01-2006 की अवधि के दौरान इसके पहले अध्यक्ष रहें, तत्पश्चात श्री योगेश खन्ना 31-01-2006 से 29-01-2011 तक इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहें। इस समय श्री सुभाष चन्द्र नेगी दिनांक 01-02-2011 से इस पद पर कार्य कर रहें हैं।

2.2 संगठनात्मक संरचना:

2.2.1 बहुआयामी कार्यदल :


विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित आयोग के कार्यों के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके सदस्यों तथा कर्मचारियों के पास विविध ज्ञान तथा अनुभव होना वांछित है जैसा कि राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए निर्धारित किया गया है। योग्यताओं से स्पष्ट है, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति की योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, जिसमें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि अथवा प्रबन्धन सम्बन्धी समस्याओं से निपटने की क्षमता के पर्याप्त ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुसार आयोग के पास अधिकारियों का एक छोटा सा दल है जिसकी विविध व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, इन में से अधिकतर लोगों को सेकिन्डमेन्ट आधार पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रशासनिक, सचिवालय तथा समर्थन कर्मचारी वर्ग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछेक मामलों में आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अधीन परामर्शदाताओं की सेवाएं भी प्राप्त की जा रही है, कार्यालय सुरक्षा, स्वागत, कार्यालय सहायता, स्वच्छता आदि कुछ अन्य कार्यों के लिए भी बाह्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

2.2 स्वीकृत संख्या :

पदों की संख्या, उनका स्वरूप, वेतन तथा भत्ते, अन्य सेवा शर्तें आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 46 है जिन पर वर्ष के दौरान 24 व्यक्ति कार्यरत रहें। लगातार प्रयत्न किए जाने के बावजूद आयोग इन पदों को भरने में असमर्थ रहा जिसका कारण सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान न किया जाना तथा / अथवा सेकेन्डमेंन्ट आधार पर नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध न होना है।

2.3 संरचना :

आयोग का शिमला में एक मात्र कार्यालय है, संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित की जा रही है :-



2.4 कार्यों का आबंटन:

आयोग का कार्यालय शिमला में स्थित है। अध्यक्ष, आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक, तकनीकी तथा शुल्क नामक तीन प्रभाग हैं। आयोग के विभिन्न कार्य इन प्रभागों तथा उनके प्रमुखों को सौंपे गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है :-

2.4.1 प्रशासनिक प्रभाग:

यह प्रभाग आयोग के सचिव के अधीन कार्य करता है जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके द्वारा प्रशासनिक, वित्त तथा विविध मामलों, कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी मामलों में आयोग को विशेष सहयोग प्रदान किया जाता है, इसके साथ ही इनके द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच सम्पर्क तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य भी किया जाता है, इसके अतिरिक्त, संगठन, बजट, क्रय एवं प्रापण, रख-रखाव,

देखभाल, कार्मिक, प्रबन्धन, विधि तथा न्यायालय सम्बन्धी मामले, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन आदि महत्वपूर्ण कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं।

● सचिव:

सचिव, आयोग के प्रशासनिक एवं सचिवालय प्रभाग के प्रमुख हैं। वह आयोग, इसकी विभिन्न शाखाओं, केन्द्रीय एवं राज्य की संस्थाओं तथा लाभार्थियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। वह आयोग की नीति तथा प्रशासन से सम्बंधित सभी मामलों में परामर्श प्रदान करता है। सचिव द्वारा, विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन किया जाता है :-

1. आयोग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना तथा मौलिक एवं पूरक नियमों, हिमाचल प्रदेश वित्त नियम तथा आयोग द्वारा अपनाए गये अन्य नागरिक सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुरूप अन्य कार्य करना।
2. राज्य सलाहकार समिति की समय-समय आयोजित की जाने वाली बैठकों में पदेन सचिव के रूप में कार्य करना।
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन कार्य करना, यथा :-
 - (क) आयोग से सम्बन्धित सभी याचिकाओं, आवेदनों, अन्य अभिवचनों तथा संदर्भों को प्राप्त करना अथवा करवाना।
 - (ख) आयोग के समक्ष किये गए ऐसे सभी अभिवचनों का संक्षेप तथा सारांश तैयार करना अथवा करवाना।
 - (ग) आयोग द्वारा संचारित कार्यवाहियों में सहयोग देना।
 - (घ) आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करना।
 - (ङ) आयोग द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
 - (च) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा उनके अभिकरणों, राज्य विद्युत बोर्डों अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों तथा फर्मों अथवा अन्य किसी व्यक्ति से, ऐसी सूचना जिसे आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन हेतु उपयोगी समझा जाता हो, को एकत्र करना अथवा करवाना।
 - (छ) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैधानिक अधिसूचनाओं, नियमों, आदेशों एवं निर्देशों की प्रतियां रखना।
 - (ज) विनियमों, वैधानिक अधिसूचनों, आदेशों की अधिप्रमाणित प्रतियों का कालानुक्रमिक संग्रहण करना तथा उनसे सम्बंधित विशिष्टियां एवं विवरण का रजिस्टर रखना।
 - (झ) आयोग द्वारा जारी सभी आदेशों निर्देशों तथा विनियमों को आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।
 - (ञ) आयोग की ओर से समनो की तामील स्वीकार करना तथा इसके साथ ही वाद पत्रों तथा प्रतिपादनों पर हस्ताक्षर करना तथा उनका सत्यापन करना।
4. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों में उचित व्यवहार व अनुशासन सुनिश्चित करना।

5. शिकायत निवारण तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण।
6. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विनियम के अधीन सौंपे गये अन्य किन्हीं कार्यों का निर्वहन करना।
7. आयोग द्वारा प्रायोजित तथा सौंपे गये अन्य कोई भी कार्य।

2.4.2 तकनीकी प्रभाग :

यह प्रभाग, विनियामक मामलें, जिसके अन्तर्गत विनियम बनाना, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोड आदि शामिल हैं, तथा एतद् सम्बन्धी अन्य कार्य, लागत आबंटन तथा दर डिजाईन प्रस्ताव, टी एण्ड डी तथा ए टी एण्ड सी क्षतियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन, लोड फोर कास्ट, विद्युत क्रय अनुबन्ध आदि विषयों को देखता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इनकी सहायता के लिए एक निदेशक (तकनीकी) हैं जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर के अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त इस प्रभाग में दो उप-निदेशक तथा सहयोगी कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी):

1. आयोग को इंजीनियरिंग, आर्थिक तथा नीति विश्लेषण सम्बन्धी अन्य तकनीकी तत्वों के बारे परामर्श प्रदान करना।
2. प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के तकनीकी पहलुओं को समझना एवं उनका विश्लेषण करना तथा आयोग के आदेशों को लिखित रूप देने में सहायता प्रदान करना।
3. लागत आबंटन तथा दर डिजाईन प्रस्तावों सम्बन्धी विशेष कार्य करना, उपयोगिता योजना तथा संचालन निणर्यों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन, मुख्य उपयोगिता निर्माण परियोजनाओं के रेखांको तथा विवरणों की समीक्षा, कार्य स्थल पर निरीक्षण प्रणाली में सुधार लाना, उपयोगिता रिपोर्टों की संवीक्षा तथा तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन करना।
4. विद्युत क्रय अनुबन्धों का निरीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन।
5. संचारण लाइसेंस, वितरण लाइसेंस तथा विद्युत व्यापारियों द्वारा राज्य के भीतर कार्य करने के सम्बन्ध में इच्छुक लोगों को लाइसेंस जारी करने में आयोग को सहयोग प्रदान करना।
6. समस्त निवेश कार्यक्रमों, तकनीकी मानकों एवं प्रक्रियाओं, ग्रिड एवं वितरण कोड, सेवा मानकों, वित्तीय एवं आर्थिक मानकों, तकनीकी निरीक्षण एवं संग्रहण, तकनीकी आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
7. विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन सभी सम्बन्धित विनियमों को तैयार करना तथा उनका पुनरीक्षण करना।

8. संचारण सुविधा तथा विद्युत वितरण से सम्बन्धित अन्तराज्यीय तथा अन्तर प्रदेशीय मामलों तथा संचारण सुविधाओं एवं विद्युत वितरण सम्बन्धी अन्य मामले।
9. खुली पहुँच के कार्यान्वयन हेतु सुविधाएं प्रदान करना/ संवीक्षा।
10. ग्रिड संयोजन के उपर्युक्त उपाय उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन तथा सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसी व्यक्ति को विद्युत बेचने के साथ-साथ वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में विद्युत की खपत को विनिर्दिष्ट करना।
11. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य कर्तव्य।

2.4.3 शुल्क प्रभाग :

यह प्रभाग, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण, दीर्घकालीन शुल्क विन्यास योजना, शुल्क प्रक्रिया हेतु पर्याप्त वित्तीय एवं आर्थिक निवेश उपलब्ध कराना, युटिलिटीज के आर्थिक निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्ट की संवीक्षा सहित युटिलिटीज के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं जो मुख्य अभियन्ता (विद्युत) स्तर के अधिकारी हैं। इन्हे एक निदेशक (शुल्क) की सहायता प्राप्त है, जो अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, इसके साथ ही इस प्रभाग में दो उपनिदेशक एवं सहायक कर्मचारी वर्ग भी कार्य कर रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक (शुल्क) :

1. शुल्क विनियम तैयार करना तथा राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग, थोक, बहुल अथवा खुदरा, यथास्थिति के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारित करना।
2. राष्ट्रीय विद्युत नीति योजना तथा राज्य विद्युत नीति, यदि सरकार द्वारा कोई प्रकाशित की गई हो के अनुरूप शुल्क सम्बन्धी मामलों का निर्धारण।
3. आयोग को पूंजी लागत, पूंजी लागत दर, आधार लागत, राजस्व, व्यय, मूल्यहास तथा शुल्क डिजाईन आदि के सम्बन्ध में साक्ष्य तथा अन्य सामग्री तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
4. लेखांकन तथा वित्त सम्बन्धी मामलों में जिरह के लिए प्रश्न तैयार करने, सीधे साक्ष्य प्रस्तुत करने, दर वाद प्रदर्श मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ आयोग को वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में परामर्श प्रदान करना।
5. युटिलिटीज के विकास तथा सभी प्रकार के निवेशों का पुनरीक्षण तथा अनुमोदन।
6. युटिलिटीज द्वारा प्रस्तुत मुख्य घटनाओं, वित्तीय निष्पादन तथा अनुपालना रिपोर्टों की संवीक्षा भी करना।
7. टी एण्ड डी, एटी एण्ड सी क्षतियों की पुनरीक्षण तथा अनुपालना।

8. निष्पादन के मानकों की संवीक्षा ।
9. आयोग द्वारा सौंपे गये कोई अन्य दायित्व ।

अध्याय—3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम शामिल हैं

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा आयोग को मुख्य रूप से विभिन्न विनियम बनाने, इन विनियमों के अन्तर्गत आदेश जारी करने तथा समय-समय पर इसके समक्ष दायर की गई याचिकाओं को निपटाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन के दौरान आयोग, अधिनियम/नियम/विनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/विनियमों के फोरम, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण/ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा शुल्क नीति एवं विद्युत नीति आदि को ध्यान में रखते अपना निर्णय देता है। आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय-II में विनिर्दिष्ट की गई है। आयोग अर्द्ध न्यायिक मामलों में स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेता है तथा जहां तकनीकी सहायता की आवश्यकता समझी जाती है वहां आयोग अपने तकनीकी दल तथा उसके द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं से परामर्श लेकर अपना निर्णय देता है। जहां तक आन्तरिक निर्णय करने का सम्बन्ध है, इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन हेतु खड़ी रिपोर्टिंग पद्धति अपनाई जाती है तथा मुख्य निर्णय आयोग के स्तर पर लिए जाते हैं। तथापि नैतिक निर्णय, नियमों, विनियमों तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं।

आयोग अपने कार्य का संचालन, प्रशासन, वित्त एवं विधि प्रभाग, तकनीकी विश्लेषण प्रभाग तथा शुल्क एवं वित्तीय विश्लेषण प्रभाग के माध्यम से करता है। उपरोक्त तीनों प्रभाग क्रमशः सचिव, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) तथा कार्यकारी निदेशक (शुल्क) के अधीन कार्य करते हैं। सम्बन्धित प्रभागों के मामले उन प्रभागों में कार्यरत सहायक कर्मचारियों द्वारा विचारित किए जाते हैं जो शाखा के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार सभी प्रभागों के प्रमुख दस्तावेज तथा रिपोर्ट, अध्यक्ष/आयोग को प्रस्तुत करते हैं। राज्य आयोग अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सुनवाई सहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को अपनाते हुए निर्णय लेते समय पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए।

अध्याय-4

आयोग के कृत्यों के निर्वहन हेतु अपनाए जाने वाले मानदण्ड

आयोग की कार्य प्रणाली विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा राज्य की नितियों के अधीन विनियमित होती है। कुछेक मुख्य क्षेत्रों में विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन शुल्क निर्धारण तथा लाईसेंस जारी करने जैसे मुख्य कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शुल्क निर्धारण अथवा एतद् सम्बन्धी सभी मामलो का निपटारा भी अधिनियम में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति से 120 दिन की अवधि के भीतर निपटाए जाने अपेक्षित हैं। तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में प्राकृतिक न्याय की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी विभागों के लिए कार्यालय नियमावली में विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु विहित मानक आयोग द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं। जहां तक विभिन्न व्यय स्वीकृति सम्बन्धी मानकों का सम्बन्ध है, आयोग द्वारा निधि नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत वित्तीय प्रक्रिया/प्रत्यायोजन के आधार पर आयोग, अध्यक्ष, सचिव तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी को विभिन्न प्रकार के व्यय स्वीकृत करने सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अध्याय-5

योजनाएं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गये संवितरणों को उपदर्शित करते हुए बजट विवरण :

आयोग, वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बजट प्राप्त करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान आयोग को मुख्य लेखा शीर्ष 2801-80-800-01- SOON -41 गैर योजना के अधीन 90.00 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। आयोग द्वारा बजट का आबंटन आगे नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई भी अधीनस्थ कार्यालय नहीं है आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा भुगतान अपनी निधि से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: MPP-A (3) -7/2004 दिनांक 03-05-2007 के अधीन विनियमित होती है। आयोग के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्र पर तैयार किए गये हैं। आयोग के लेखे प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा, आय तथा व्यय लेखा तथा तुलना पत्र के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं।

आयोग की वर्ष 2014-15 वित्त वर्ष की कुल आय 483.87 लाख रुपये आंकी गई है। सम्बन्धित वर्ष के दौरान 929.60 लाख रुपये का व्यय हुआ इस प्रकार 31.03.2015 वर्ष को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आय तथा व्यय लेखा के अनुसार 445.73 लाख रुपये का अधिक्य हुआ।

5.1 आयोग की वित्तीय स्थिति :

आयोग की 31.03.2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

लाख रुपयों में			
दायित्व		परिसम्पतियां	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
समूह निधि	1385.02	जमा परिसम्पतियां	19.39
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	59.17	बैंक में सावधि प्राप्तियां	818.41
		अन्य वर्तमान परिसम्पनियां तथा अग्रिम	62.24
		हिमुडा को भूमि तथा भवन निर्माण हेतु क्रमशः 97.00 लाख तथा 403.00 लाख रुपये अग्रिम (500.00लाख)	500.00
		प्रतिभूति राशि	0.57
		नगदी तथा बैंक शेष	43.58
योग	1444.19		1444.19

5.2 आयोग के लेखों को विधान सभा में प्रस्तुत करना :

आयोग के वर्ष 2014–15 के वार्षिक लेखे निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित लेखे तथा एतद् सम्बन्धी लेखा रिपोर्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकार को भेजी गई जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निधि नियमों के नियम 7(4) द्वारा वांछित है।

अध्याय-6

वर्ष के दौरान आयोग की वैधानिक गतिविधियां का संक्षिप्त विवरण

आयोग के विधि प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई:-

6.1 राज्य आयोग, माननीय उच्च न्यायालय, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विवाद अधिनिर्णय।

आयोग के विनियमों को अन्तिम रूप देने तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तरों की जांच किए जाने के दौरान आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यरत अपने अधिवक्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए विधि सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार करने, याचिकाओं/ प्रतिशपथ-पत्र को तैयार तथा दायर करने सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त आयोग को लम्बित मामले की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाने के साथ ही आवश्यकतानुसार विधि परामर्श प्रदान अथवा प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य भी करते हैं। न्यायालयों, न्यायाधिकरण तथा आयोग के समक्ष 01.04.2014 से 31.03.2015 तक लम्बित तथा निर्णीत याचिकाओं/दायर अपीलों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

न्यायालय मामलों का संक्षिप्त विवरण

I राज्य आयोग शिमला के समक्ष मामलों का विवरण :

क्र०सं०	31.03.2014 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2015 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	20	69	89	69	20	विवरण पैरा 6.1.1 में

II माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला के समक्ष मामलों का विवरण:

क्र०सं०	31.03.2014 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2015 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	08	07	15	04	11	विवरण पैरा 6.1.2 में

III माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मामलों का विवरण:

क्र०सं०	31.03.2014 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2015 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	03	16	19	03	16	विवरण पैरा 6.1.3 में

IV माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, दिल्ली के समक्ष मामलों का विवरण:

क्र०सं०	31.03.2014 तक लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दायर मामले	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गये मामले	31.03.2015 तक लम्बित मामले	टिप्पणी
01	1	2	3	शून्य	03	इन अपीलों में पक्षों द्वारा अपीलिय न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई है, आयोग विवाचक प्राधिकारी होने के नाते इन अपीलों की पैरवी नहीं कर रहा है जिनकी पैरवी सम्बन्धित पक्षों द्वारा स्वयं की जा रही है जिसका विवरण पैरा 6.1.4 में दिया गया है।

6.1.1 अधिनिर्णय— राज्य आयोग शिमला के समक्ष मामलों का विवरण :

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का परीक्षण तथा छानबीन की जाती है। वर्ष के आरम्भ में 14 याचिकाएं लम्बित थी तथा 2013-14 के दौरान आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों से 57 याचिकाएं प्राप्त हुईं जिन में से 51 याचिकाओं का आयोग द्वारा निपटान/ निर्णय प्रदान किया गया तथा 31.03.2014 तक 20 याचिकाएं निर्णय हेतु लम्बित पड़ी हैं। वर्ष के दौरान दायर, निर्णयित तथा लम्बित याचिकाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) आयोग के समक्ष दायर/निपटान किए गये मामले :-

क्र सं	याचिका संख्या	वादी अपीलकर्ता अथावा याचिकादाता	प्रतिवादी/प्रत्या र्थी	मामले का विवरण	प्राप्ति की तिथि	निपटान की तिथि
--------	---------------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------------	----------------

1	याचिका संख्या 107 / 2013	मैसर्ज श्री रेडियन्ट सिमिंट (प्रा.) लिमिटेड काला अम्ब नाहन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	न्यायनिष्ठ विद्युत ओम्बड्समैन शिमला द्वारा मामला संख्या 12 / 2012 के सम्बन्ध में दिनांक 8.5. 2013 को पारित आदेश की अनुपालना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 तथा 146 के अधीन याचिका	27.07.2013	4.4.2015
2.	याचिका संख्या 106 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड एवं मैसर्ज गंगदारी हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड हैदराबाद		जोगिनी जल विद्युत परियोजना 16 मैगावाट के सम्बन्ध में विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	22.04.2014	24.04.2014
3.	याचिका संख्या 126 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड एवं मैसर्ज सूर्यकान्त हाईड्रो एनर्जिज (प्रा.) लिमिटेड हैदराबाद		नान्ती जलविद्युत परियोजना (14 मे. वा.) के सम्बन्ध में S/T शर्त पर विद्युत क्रय अनुमोदन (REC Mechanism) प्राप्त करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (ख) के अधीन संयुक्त याचिका	28.05.2014	03.06.2014
4.	पुनर्विचार याचिका संख्या 25 / 14 याचिका संख्या 54 / 13 में	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत लिमिटेड शिमला-4		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा याचिका संख्या 54 / 13 के सम्बन्ध में दिनांक 15.01.2014 को पारित आदेश के सम्बन्ध में SHP संयंत्र के डिजाइन एनेर्जी के पुनः स्थापन एवं शुल्क पर पुनः विचार करने हेतु आदेशों पर पुनर्विचार याचिका	28.02.2014	06.06.2014
5.	याचिका संख्या 138 / 2013	मैसर्ज जे पी वी एल, ज्यूट कम्पलैक्स वाकनाघाट जिला सोलन हि.प्र.।	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	वास्पा-II जल विद्युत परियोजना हेतु वित्त वर्ष 2014-15 तथा वित्त वर्ष 2018-19 के MYT हेतु याचिका	23.11.2013	06.06.2014
6.	याचिका संख्या 142 / 2013	मैसर्ज जे पी वी एल, ज्यूट कम्पलैक्स वाकनाघाट जिला सोलन हि.प्र.।	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	वित्त वर्ष 2003-04 से 13-14 के अन्तः संयोजन हेतु एस जे वी एन एल को भुगतान किए गये अतिरिक्त O&M तथा सेवा कर संचालन एवं संधारण के सम्बन्ध में याचिका	05.12.2013	06.06.2014
7.	याचिका संख्या 21 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 64 एवं 86 के अधीन वित्त वर्ष 2015 से 2019 नियंत्रण अवधि हेतु तृतीय MYT	20.02.2014	10.06.2014

				हेतु ARR भरना		
8.	याचिका संख्या 98 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य डिस्पैच सोसाईटी SLDC परिसर शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 एवं 86 के अधीन तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष) 2014-15 से 2018-19) हेतु ARR दायर करना	04.04.2014	10.06.2014
9.	याचिका संख्या 140 / 2013	एच पी पी टी सी एल, खलीनी शिमला-2		विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62,64 एवं 86 के अधीन तृतीय नियंत्रण अवधि वित्त (वर्ष 2014-15 से 2018-19) हेतु ARR दायर करना	30.11.2013	10.06.2014
10.	याचिका संख्या 141 / 2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62,64 एवं 86 के अधीन तृतीय नियंत्रण अवधि वित्त (वर्ष 2014-15 से 2018-19) हेतु ARR दायर करना	30.11.2013	12.06.2014
11.	याचिका संख्या 20 / 2011	मैसर्ज उसाका हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, ओखला इन्डस्ट्रीयल इस्टेट नई दिल्ली 110020	1. हिमाचल प्रदेश सरकार (ऊर्जा सचिव) 2. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड 3. हिम ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोत से विद्युत संग्रण एवं संयुक्त उत्पादन) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2007, प्रथम संशोधन के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन याचिका	07.03.2011	05.07.2014
12.	याचिका संख्या 115 / 2013	मैसर्ज हुल हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड जुबली हिल्ज हैदराबाद	1. हिमाचल प्रदेश सरकार (ऊर्जा सचिव) 2. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड 3. हिम ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोत से विद्युत संग्रण एवं संयुक्त उत्पादन) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2007, प्रथम संशोधन के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन इस याचिका को अनुमत करने के आवेदन के साथ शुल्क के पुनः निर्धारण हेतु याचिका	3.9.2013	8.7.2014
13.	याचिका संख्या 17 / 2014	मैसर्ज फोर सीजन (प्रा.) लिमिटेड भीखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-66	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम 2007 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 तथा 94 के अधीन नाम परिवर्तन हेतु याचिका	23.1.2014	9.7.2014
14.	याचिका	हिमाचल प्रदेश	मैसर्ज पुरी	हिमाचल प्रदेश राज्य	26.02.2013	10.7.2014

	संख्या 22 / 2013	राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	ऑयल मिल्ल लिमिटेड, 302, ज्योति शिखर भवन, जनकपुरी नई दिल्ली-110058	विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं संयुक्त उत्पादन) प्रथम संशोधन, विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन शुल्क के पुनः निर्धारण हेतु याचिका		
15.	याचिका संख्या 89 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति के व्यय की वसूली) विनियम, 12 के अधीन सेवा संयोजन प्रभार की प्रस्तावित अवधि के सम्बन्ध में याचिका	1.4.2014	14.7.2014
16.	याचिका संख्या 43 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क सम्बन्धी आदेश के कार्यान्वयन तथा फैक्टरी विद्युत लोड एवं एतद् सम्बन्धी आपूर्ति की उचित अनुपालना	05.03.2014	28.07.2014
17.	पुनर्विचार याचिका संख्या 32 / 2011 तथा याचिका संख्या 62 / 2008 के सम्बन्ध में	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	1. मैसर्ज आस्था प्रोजेक्ट लिमिटेड 2. हिमाचल प्रदेश सरकार 3. हिम ऊर्जा शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं संयुक्त उत्पादन) प्रथम संशोधन, विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 22.5. 2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	03.03.2014	06.06.2014
18.	पुनर्विचार याचिका 34 / 2014 तथा याचिका संख्या 5 / 09 तथा 12 / 09 के संदर्भ में	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	1. मैसर्ज मंगलम नई दिल्ली 2. हिमाचल प्रदेश सरकार 3. हिम ऊर्जा शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 08.06.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	03.03.2014	06.06.2014
19.	पुनर्विचार याचिका	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1. मैसर्ज डी एस एल	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग	3.3.2014	6.6.2014

	संख्या 36 / 2014	लिमिटेड शिमला-4	हाईड्रोवॉट पॉवर वददी सोलन 2. हिमाचल प्रदेश सरकार 3. हिम ऊर्जा शिमला	(वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 13.5.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका		
20.	याचिका संख्या 138 / 2012	मैसर्स अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड, दाड़लाघाट, अर्की, सोलन, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की वसूली, विनियम, 2005 के विनियम 5 तथा 6 के अधीन याचिका	01.09.2012	22.08.2014
21.	याचिका संख्या 97 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	ऊर्जा निदेशालय एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश में लघु जलविद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु आदर्श विद्युत क्रय अनुमोदन के सम्बन्ध में संशोधन एवं परिवर्तन	04.04.2014	01.08.2014
22.	याचिका संख्या 122 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए औसत कुल क्रय लागत (APPC) का निर्धारण	24.05.2014	28.8.2014
23.	याचिका संख्या 172 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला-4, मैसर्स जी सी हाइड्रो पॉवर प्रा. लिमिटेड सराहन, रामपुर		जेगिनी-II जल विद्युत परियोजना (15 मे.वॉ) के सम्बन्ध में विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	26.08.2014	03.09.2014
24.	याचिका संख्या 107 / 2014	मैसर्स तांगनु रोमर्स पॉवर जेनरेशन (प्रा.) लिमिटेड, चण्डीगढ़-47	हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम (सी0बी0आर0) 2005 की धारा 68 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा, 10 (2) तथा 86 (1) (ख) तथा (ग) के अधीन याचिका	22.04.2014	06.09.2014
25.	पुनर्विचार याचिका संख्या 11 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स हिम कैलाश प्राथपाडु ए.पी. एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 03.12.2010 के आदेश के सम्बन्ध में	23.01.2014	10.09.2014

				पुनर्विचार याचिका जिसकी सूचना 19.12.13 को प्राप्त हुई।		
26.	पुनर्विचार याचिका संख्या 12/2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स गिनी ग्लोबल (प्रा.) लिमिटेड, पूसा नई दिल्ली एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 03.12.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका जिसकी सूचना 19.12.13 को प्राप्त हुई।	23.01.2014	10.09.2014
27.	पुनर्विचार याचिका संख्या 14/2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स गोथामी हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड सिकंदराबाद तथा अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 3.12.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका जिसकी सूचना 19.12.13 को प्राप्त हुई।	23.01.2014	10.09.2014
28.	पुनर्विचार याचिका संख्या 15/2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स न्यूजीविदू सीडस् लिमिटेड बन्जारा हिल्ज हैदराबाद एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 3.12.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका जिसकी सूचना 19.12.13 को प्राप्त हुई।	23.1.2014	10.09.2014
29.	पुनर्विचार याचिका संख्या 16/2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स धर्मशाला हाइड्रो पॉवर, जुबाली हिल्ज, हैदराबाद तथा अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत क्रय एवं संयुक्त उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ	23.1.2014	10.9.2014

				पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 के अधीन दिनांक 3.12.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका जिसकी सूचना 19.12.13 को प्राप्त हुई।		
30.	पुनर्विचार याचिका संख्या 30 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स हैरीसन हाईडल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, आखाड़ा बाजार, कुल्लु, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86, तथा 94 के अधीन 10.06.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	3.3.2014	10.09.2014
31.	पुनर्विचार याचिका संख्या 62 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स एसैन्ट हाईड्रो प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड विले. पार्ले (ईस्ट) मुम्बई एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86, तथा 94 के अधीन 22.5.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	15.3.2014	10.9.2014
32.	पुनर्विचार याचिका संख्या 64 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स पटिकरी पॉवर कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, छोटा शिमला तथा अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86, तथा 94 के अधीन 16.07.2010 के आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	15.3.2013	10.09.2014
33.	याचिका संख्या 102 / 2013	मैसर्स जलशक्ति लिमिटेड, मकान संख्या 135, अपर जुलाकड़ी, चम्बा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम,	18.7.2013	27.9.2014

				2003 की धारा 62, 86, तथा 94 के अधीन शुल्क के पुनः निर्धारण के अनुरोध हेतु याचिका।		
34.	याचिका संख्या 111 / 2010	मैसर्स जलशक्ति लिमिटेड मकान संख्या 135 अपर जुलाकड़ी चम्बा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्ति एवं सह उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86, तथा 94 के अधीन शुल्क के पुनः निर्धारण के अनुरोध हेतु याचिका।	18.06.2010	27.9.2014
35.	याचिका संख्या 129 / 2013	मैसर्स ऊजास एनर्जी लिमिटेड सैक्टर-सी मेटलमैन इन्डस्ट्रियल एरिया एम.पी.-15	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	दायित्व सत्ता द्वारा वित्त वर्ष 2011-12, 2013-14 के लिए Solar RPO पूर्ण करना तथा भुगतान नहीं होना	07.10.2013	10.11.2014
36	याचिका संख्या 194 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं कंचनजंगा पॉवर (प्रा)लिमिटेड, युनिट नं० 307, जसोला, नई दिल्ली-76		बड़ागांव जल विद्युत परियोजना (24 मे.वा.) के सम्बन्ध में विद्युत क्रय अनुमोदन (REC Mechanism) हेतु संयुक्त याचिका	31.10.2014	11.11.2014
37	याचिका संख्या 197 / 2014	मैसर्स शिवा एर्नेजी रिसोर्सिज (प्रा)लिमिटेड, 19/7 पुराना बस स्टैंड हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	REC Mechanism) के अधीन, कोटागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना के लिए लघु अवधि विद्युत क्रय अनुमोदन याचिका	03.11.2014	11.11.2014
38	याचिका संख्या 177 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्स पुरी ऑयल मिल्ज लिमिटेड, 302 ज्योति शिखर बिल्डिंग, जनकपुरी, नई दिल्ली-110005		चाक्शी जल विद्युत परियोजना (2मे.गा.) के इन्टरकनेक्शन प्वाइंट के स्थानान्तरण के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	12.09.2014	13.11.2014
39	याचिका संख्या 132 / 2013	मैसर्स गिन्नी ग्लोबल लिमिटेड, 11/6 बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा अन्य	तरेला 5 मे.वा. जल विद्युत परियोजना में अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अतिरिक्त पूंजी व्यय के दृष्टिगत शुल्क के पुनः निर्धारण हेतु विद्युत क्रय अनुमोदन दिनांक 07.06.2014 पर पुनर्विचार याचिका	30.10.2013	15.11.2014
40	याचिका	हिमाचल प्रदेश		कुर्या जलविद्युत	24.11.2014	5.12.2014

	संख्या 213 / 2014	राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज साहु हाईड्रो पॉवर प्रा. लिमिटेड, हार्डवेयर शॉप, सरोल चम्बा		परियोजना (5 मे.वा) के सम्बन्ध में अन्तरिम विद्युत क्रय अनुमोदन (अधिमान शुल्क के अधीन) हेतु संयुक्त याचिका		
41	याचिका संख्या 148 / 2014	मैसर्ज पुरी ऑयल मिल्ज लिमिटेड, ज्योति शिखर बिल्डिंग, जनकपुरी, नई दिल्ली-58	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 09.02.2010 के आदेश के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 86 तथा 94 (एफ) के अधीन याचिका	18.07.2014	05.12.2014
42	याचिका संख्या 215 / 2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्ज वामशी हाईड्रो एनर्जीज (प्रा.) लिमिटेड तथा लैंको थर्मल पॉवर लिमिटेड, प्लाट नं० 4 हैदराबाद		ईकू-II जल विद्युत परियोजना (5मे.वा.) के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने हेतु संयुक्त याचिका	28.11.2014	15.12.2014
43	याचिका संख्या 216 / 2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज वामशी हाईड्रो एनर्जीज (प्रा.) लिमिटेड एवं लैंको थर्मल पॉवर लिमिटेड, प्लाट नं०4, हैदराबाद		बनेर III जलविद्युत परियोजना (5 मे.वा) के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने हेतु संयुक्त याचिका ताकि पक्षों द्वारा कार्य का निष्पादन किया जा सके	28.11.2014	15.12.2014
44	याचिका संख्या 217 / 2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज वामशी हाईड्रो एनर्जीज (प्रा.) लिमिटेड एवं लैंको थर्मल पॉवर लिमिटेड, प्लाट नं० 4, हैदराबाद		दरिनीधार जलविद्युत परियोजना(5 मे.वा.) के सम्बन्ध में कम्पनी के नाम में परिवर्तन हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने हेतु संयुक्त याचिका	28.11.2014	16.12.2014
45	याचिका संख्या 218 / 2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज वामशी हाईड्रो एनर्जीज (प्रा.) लिमिटेड एवं लैंको थर्मल पॉवर लिमिटेड, प्लाट नं० 4, हैदराबाद		अप्पर खौली जल विद्युत परियोजना (5 मे.वा.) के निष्पादन हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने सम्बन्धी संयुक्त याचिका	28.11.2014	16.12.2014
46	याचिका	मसैर्ज साराबाई	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य	09.12.2014	20.12.2014

	संख्या 226 / 2014	एन्टरप्राइज (प्रा.) लिमिटेड भुन्तर, जिला कुल्लू	राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	विद्युत बोर्ड के चीफ ईजीनियर (वाणिज्यिक) द्वारा दिनांक 19.01.2013 के नोटिस के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(f) के अधीन याचिका		
47	पुनर्विचार याचिका संख्या 150 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		याचिका संख्या 138 तथा 142 / 13 के अधीन नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 15-19) तथा OEM प्रभार के भुगतान एवं वसपा-II के संयोजक सेवा प्रचार हेतु विद्युत अधिनियम खण्ड CBR 2005 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 धारा 62,86 तथा 94 के अधीन पुनर्विचार याचिका	22.07.2014	24.12.2014
48	याचिका संख्या 121 / 2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड, एवं मैसर्ज ओम हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, बन्दला, पालमपुर, हि०प्र०		न्युगल जलविद्युत परियोजना (15 मे.वा.) कम्पनी के नाम परिवर्तन हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध के परिशिष्ट I में संशोधन के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	23.05.2014	26.12.2014
49	पुनर्विचार याचिका संख्या: 153 / 2014 याचिका संख्या 141 / 2013 के संदर्भ में	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		याचिका संख्या 141 / 2013 में दिनांक 12.06.2014 को पारित वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 की तृतीय नियंत्रण अवधि सम्बन्धी MYT आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	24.07.2014	31.12.2014
50	पुनर्विचार याचिका संख्या 152 / 14 याचिका संख्या 21 / 2014 के संदर्भ में	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		याचिका संख्या 21 / 2014 में दिनांक 10. 06.2014 को पारित वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 की तृतीय नियंत्रण अवधि सम्बन्धी MYT आदेश के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका	24.07.2014	03.01.2015
51	याचिका संख्या 26 / 2011	मैसर्ज साराबाई एन्टरप्राइज (प्रा.) लिमिटेड, भुन्तर, जिला कुल्लू	हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य	गुराहन लघु पन बिजली परियोजना के शुल्क निर्धारण सहित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 प्रथम संशोधन (वितरण लाईसैंसधारी पार्टी द्वारा विद्युत प्रापण एवं सह उत्पादन) के साथ पठित	19.03.2011	06.01.2015

				विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन याचिका		
52	याचिका संख्या 2/2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्स कुट एनर्जी (प्रा.) लिमिटेड, शिमला		कुट जलविद्युत परियोजना (24 मे.वा.) के सम्बन्ध में लघु अवधि विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	05.01.2015	07.01.2015
53	पुनर्विचार याचिका संख्या 108/2010	मैसर्स आस्था प्रोजेक्ट (आई) प्रा. लिमिटेड, गयाम्बा, हाऊस, सैक्टर-3 न्यू शिमला-09	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	याचिका संख्या 62/2008 के सम्बन्ध में दिनांक 22.05.2010 को पारित आदेश व पुनर्विचार करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम (CBR), 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94(1) (f) के अधीन पुनर्विचार याचिका	11.06.2010	17.01.2015
54.	पुनर्विचार याचिका संख्या 137/2010	मैसर्स मंगलम एनर्जी डिवलपमेंट कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, प्लॉट नं० 8, मालवीय नगर, नई दिल्ली 11007	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा अन्य	याचिका संख्या: 5/2009 तथा 212/2009 पर दिनांक 8.6.2010 को पारित आदेश के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम, CBR 2005 के विनियम, 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 की धारा (1) (एफ) के अधीन पुनर्विचार याचिका	06.07.2010	17.01.2015
55.	पुनर्विचार याचिका संख्या 121/2010	मैसर्स डी एस एल हाईड्रो वॉट लिमिटेड, इन्डस्ट्रीयल एरिया बही जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य	याचिका संख्या 11/2008 पर दिनांक 13.5.2010 को पारित आदेश के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग विनियम, CBR 2005 के विनियम, 61 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 94 की धारा (1) (एफ) के अधीन पुनर्विचार याचिका	25.6.2010	17.2.2015
56.	याचिका संख्या 182/2014	मैसर्स दूरसंचार हाईड्रोपॉवर (प्रा.) लिमिटेड, 93, फेज-1 इन्डस्ट्रीयल एरिया पंचकुला हरियाणा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला-17100 4	विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 86 (1) (एफ) तथा 94 के अधीन वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान सम्भावित विक्रययोग्य विद्युत उत्पादन हेतु 18% की ब्याज सहित 11342588/- रुपये की	24.9.2014	3.3.2015

				राशि के भुगतान के सम्बन्ध में याचिका		
57.	याचिका संख्या 223 / 2014	मैसर्स गोथामी हाईड्रोइलैक्ट्रिक कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, A-496 सैक्टर-4, न्यू शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हि०प्र० विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसीधारी द्वारा विद्युत प्रापण तथा सह-उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (e) (f) (k) के अधीन ऊर्जा बिलों तथा उन पर लगने वाले ब्याज की बकाया राशि पर लिए जाने वाली दण्ड राशि के सम्बन्ध में याचिका	5.12.2014	03.03.2015
58.	याचिका संख्या 211 / 2014	मैसर्स दूरसंचार हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, 93, फेज-1 इन्डस्ट्रीयल एरिया पंचकुला हरियाणा-134113	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 86 (1) (एफ) तथा 94 के अधीन वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए प्रतिवादियों द्वारा 11,24,313 रुपये की राशि को बिजली बिलों की समय पर अदायगी न किए जाने के कारण लगाए गये प्रभार के भुगतान हेतु यथोचित आदेश प्रदान करने अथवा निर्देश जारी करने हेतु याचिका	17.11.2014	3.3.2015
59.	याचिका संख्या 35 / 2015	हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्स गंगदारी हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, प्लॉट न० 5 माधापुर हैदराबाद		जोगिनी (16 मे.वा.) जल विद्युत परियोजना के सम्बन्धित पक्षों पर निष्पादन किए जाने हेतु लघु अवधि विद्युत क्रय अनुमोदन (REC Mechanism) के सम्बन्ध में वैद्यता को 31.3.2016 तक बढ़ाने हेतु संयुक्त याचिका	17.3.2015	19.3.2015
60.	याचिका संख्या 37 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्स जी.सी. हाईड्रो पॉवर प्रा. लिमिटेड, ग्राम व डाकघर सरहान, बुशहर रामपुर हि०प्र०।		हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जोगिनी-II (5 मे. वा.) जल विद्युत परियोजना के सम्बन्धित पक्षों पर निष्पादन किए जाने के सम्बन्ध में विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु जारी किए गये प्रारूप दिशा निर्देशों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (b) के अधीन याचिका	18.03.2015	21.03.2015

61.	याचिका संख्या 38 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्स कुर्मी एनेर्जी प्रा. लिमिटेड हॉउस न.99 सैक्टर-3 न्यू शिमला-9		कुर्मी (8 मे. वा.) जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में दिनांक 4.3.2014 को हस्ताक्षरित मामला संख्या 10/14 PPA/Short Term (under REC) दिनांक 23.1.2014 को जारी आदेशों की अनुपालना हेतु दिनांक 4.3.2014 को निषादित विद्युत क्रय अनुबन्ध में विस्तार प्रदान करने हेतु संयुक्त याचिका	18.3.2015	21.3.2015
62.	याचिका संख्या 39 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्स कपिल मोहन एण्ड एसोसिएट्स हाईड्रो पॉवर प्रा. लिमिटेड, मकान न.99 सैक्टर 3 न्यू शिमला-9		ब्यास कुण्ड जल विद्युत परियोजना (9 मे.वा.) के सम्बन्ध में लघु अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध दिनांक 29.03.2014 तथा 07.07.2014 को हस्ताक्षरित संशोधन तथा याचिका संख्या 45/14 तथा M-A.No 131/14 को जारी आदेश के कार्यान्वयन दिनांक 29.03.2014 एवं 07.07.2014 को किए गये संशोधन के दृष्टिगत निष्पादन विद्युत क्रय अनुबन्ध में विस्तार हेतु संयुक्त याचिका।	18.3.2015	21.3.2015
63.	याचिका संख्या 40 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्स यू एस पी हाईड्रो एनर्जी लिमिटेड हाईवे बिल्डिंग, नेरचौक मण्डी हि.प्र.।		बलह पधर (4 मे.वा.) के सम्बन्ध में पक्षों के मध्य निष्पादन किए जाने के सम्बन्ध में विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु जारी किए गये प्रारूप दिशा निर्देशों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (b) के अधीन संयुक्त याचिका	18.03.2015	21.03.2015
64.	ट्रु-अप याचिका संख्या 171 / 2014	मैसर्स JPVL, JUIT परिसर वाकनाघाट, जिला सोलन 173215	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं अन्य	वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2013-14 की नियंत्रण अवधि के लिए वास्पा- II जल विद्युत परियोजना से हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को बिजली विक्रय करने हेतु वास्तविक शुल्क सम्बन्धी याचिका	26.08.2014	30.03.2015

65	याचिका संख्या 76 / 14	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अन्तिम द्रू-अप	26.03.2014	30.03.2015
66	याचिका संख्या 46 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा ताजासारनिका हाईड्रो एनर्जीज, प्लॉट नं० 1267 जुबाली हिलज, हैदराबाद		अपर जोयनर जल विद्युत परियोजना (12 मे.वा.) के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु जारी प्रारूप मार्ग दर्शन के साथ पठित विद्युत अधिनियम के 2003 की याचिका धारा 86(1)(बी) के अधीन सुयुक्त याचिका	24.03.2015	30.03.2015
67	याचिका संख्या 45 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्ज रंगा राजु वेयरहाऊसिंग (प्रा०) लिमिटेड, नं० 1367, जुबाली हिल्ज, हैदराबाद 500033		सुमेज जल विद्युत परियोजना (14 मे.वा.) के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु जारी प्रारूप मार्ग दर्शन के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की याचिका संख्या 86(1)(बी) के अधीन 31.03.2016 तक समय विस्तार (अनुमोदन हेतु) संयुक्त याचिका	24.03.2015	30.03.2015
68	याचिका संख्या 41 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज हामाल हाईडल लिमिटेड, 92 / 10 देवीनगर पौंटा साहिब, सिरमौर		हामाल जल विद्युत परियोजना (2 मे. वा.) के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजना का "अन्तरिम विद्युत क्रय अनुमोदन के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी प्रारूप मार्गदर्शन के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(बी) के अधीन "SPPA" के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	18.03.2015	31.03.2015
69	याचिका संख्या 47 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज एलिओ मनाली हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम एलिओ, मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश		एलिओ-II जल विद्युत परियोजना (4.80 मे.वा.) के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों द्वारा निष्पादन की जाने वाली परियोजना के "अन्तरिम विद्युत क्रय अनुमोदन के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी प्रारूप मार्ग दर्शन	25.03.2015	31.03.2015

				के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1)(बी) के अधीन अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	
--	--	--	--	--	--

ख) आयोग के समक्ष 31.03.2015 तक निपटान हेतु लम्बित मामले

क्र.	याचिका संख्या	वादी / याचिकादाता	प्रतिवादी / प्रत्यार्थी	विवरण	प्राप्ति की तिथि
1	याचिका संख्या 84 / 2012	मैसर्ज JPV, JUIT परिसर वाकनाघाट जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील संख्या 178 / 2010 बकाया सम्बन्धी दिनांक 19.04.2012 को जारी आदेश के अनुसरण में वास्पा चरण II से वित्त वर्ष 2003-4 से 2010-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को बेची गई बिजली हेतु ब्याज बकाया की वास्तविक राशि निर्धारित करने हेतु याचिका	04.05.2012
2	याचिका संख्या 12 / 2012	श्री पी. एन भारद्वाज, आर्कडिया धर्मपुर, सोलन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	गांधीग्राम में 33 / 11 के.वी. क्षमता वाले सब-स्टेशन के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(1) तथा 57(1) के अधीन याचिका	08.02.2012
3	पुनर्विचार याचिका संख्या 149 / 2013	मैसर्ज ओम हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, प्लाट नं० 705, बन्जारा हिल्ज, हैदराबाद 500034	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत क्रय तथा सह-उत्पादन) विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 86 तथा 94 के अधीन इस याचिका को स्वीकार करने तथा तदानुसार शुल्क निर्धारण करने हेतु याचिका	30.12.2013
4	याचिका संख्या 134 / 2014	मैसर्ज सत्यसाई मण्डी / मैसर्ज कांगड़ा हाईड्रोपॉवर लिमिटेड / मैसर्ज अम्बे हाईड्रो प्रोजेक्टस हमीरपुर तथा मैसर्ज विशाल हाईड्रो इन्टरप्राइजिज कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसेंसधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का क्रय तथा सह उत्पादन) विनियम, 2007 के विनियम 3(3) साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अधीन याचिका	26.06.2014
5	एम.ए.संख्या 170 / 2014 याचिका संख्या 147 / 2014	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य वृत्त नाहन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अनुरोध प्राप्त होने पर लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु कर्तव्य) 16.11.2006 से 13664951+ 12 % की दर से क्षतिपूर्ति, विनियम, 2004 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 तथा 57 के अधीन शिकायत	16.07.2014
6	याचिका संख्या	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड		हाईसरूड जल विद्युत परियोजना (3मे. वा.) केसम्बन्ध में (REC	02.08.2014

	167 / 2014	लिमिटेड तथा मैसर्ज नानाल हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, टुटीकंडी, शिमला		Mechanism) अधीन विद्युत क्रय अनुबन्ध क सम्बन्ध में संयुक्त याचिका	
7	एम.ए न० 168 / 14 याचिका संख्या 262 / 06	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा मैसर्ज सन शाईन हाईड्रो लिमिटेड, साहिल पलाजा पठानकोट		कालाम जल विद्युत परियोजना (2 मे. वा.) के सम्बन्ध में विशेष विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु संयुक्त याचिका	02.08.2014
8	याचिका संख्या 178 / 2014	श्री एल के महाजन खलीनी शिमला-2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा याचिका संख्या 116 / 2013 के सम्बन्ध में दिनांक 02. 12.2013 को जारी आदेश तथा उसकी अनुपालना	22.09.2014
9	याचिका संख्या 193 / 2014	मैसर्ज KKK हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, DLF इन्डस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद हरियाणा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	अपीलीय प्राधिकारण द्वारा अपील संख्या 198 / 2013 तथा आई ए संख्या 433 / 2013 के सम्बन्ध में दिनांक 17. 10.2014 को पारित आदेश के अनुसरण में पावर्ती आदेश पारित करना	21.10.2014
10	याचिका संख्या 198 / 2014	मैसर्ज जलशक्ति लिमिटेड, मकान संख्या 135, अपर जुलाकड़ी, चम्बा	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार एवं अन्य	दिनांक 18.09.2009 को जारी अपील आदेश के अनुसरण में तथा आयोग द्वारा दिनांक 09.02.2010 को जारी आदेश के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62,84(f) के अधीन याचिका	03.11.2014
11	याचिका संख्या 219 / 2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		वितरण व्यवसाय हेतु वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 की तृतीय नियंत्रण अवधि हेतु वार्षिक निष्पादन समीक्षा याचिका	28.11.2014
12	याचिका संख्या 15 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवं भवानी नवीकरणीय एनर्जी (प्रा०) लिमिटेड, सुंगल इस्टेट पालमपुर		बिनवा -IV (4 मे.वा.) जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले विद्युत क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संयुक्त याचिका	11.02.2015
13	याचिका संख्या 17 / 2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड शिमला-4		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2005 के अधीन, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम, 2012 के विनियम, 24 के साथ पठित विनियम 22 के अधीन उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले IDC प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने हेतु निर्देश जारी करने सम्बन्धी याचिका	20.02.2015
14	पुनर्विचार याचिका संख्या	मैसर्ज उसाका हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, 240,	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	याचिका संख्या 91 / 2013 के सम्बन्ध में दिनांक 31.10.2013 को पारित आदेश के पुनर्विचार हेतु हिमाचल	07.03.2015

	30/2015	ओखला इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली	लिमिटेड शिमला-4	प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के विनियम, 63, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कंडक्ट आफ बिजनेस) विनियम 2005 के नियम 1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(f) के अधीन याचिका	
15	टु-अप याचिका संख्या 32/2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		दिनांक 27.04.2013 को जारी APR आदेश पर पुनर्विचार करने हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, (COB) 2005 के विनियम 63 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(f) के अधीन अस्थाई True up	11.03.2015
16	याचिका संख्या 33/2015	मैसर्स राजेजा हाईडल पॉवर (प्रा.) लिमिटेड-B-27-A, गुड़गांव	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 तथा 94 के अधीन याचिका	13.03.2015
17	याचिका संख्या 34/2015	मैसर्स योगिन्द्रा पॉवर लिमिटेड, ग्राम व डा० जलाड़ी, तह० व जिला कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के सम्बन्ध में याचिका संख्या 178/12 में प्रदान की गई स्वीकृति के दृष्टिगत दिनांक 15.12.2013 को प्रदान किए गये अनुमोदन को रद्द करने हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (RPPO तथा इसकी अनुपालना) विनियम, 2010 तथा CPC की धारा 151 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 तथा 94 के अधीन याचिका	16.03.2015
18	याचिका संख्या 36/2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) विनियम, 2012 के अधीन, विनियम 14 के अनुरूप सेवा संयोजन प्रभारों को अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव हेतु याचिका	18.3.2015
19	याचिका संख्या 42/2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं मैसर्स शक्ति हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी प्रारूप दिशानिर्देशों के अन्तर्गत उभाराह 2.40 मे. वा. जल विद्युत परियोजना के निष्पादन के सम्बन्ध में “ SPPA ” के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (बी) के अधीन याचिका	18.03.2015
20	याचिका संख्या 49/2015	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा सूर्यकान्त हाईड्रो एनर्जीज (प्रा.) लिमिटेड, माधापुर हैदराबाद		नान्ती (14 मे.वा.) जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लघु अवधि विद्युत क्रय अनुबन्ध (REC के अधीन) को 31.03.2016 तक बढ़ाए जाने के अनुमोदन हेतु जारी प्रारूप मार्गदर्शन के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(b) के अधीन याचिका	31.03.2015

6.1.2 उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला के समक्ष याचिकाओं का विवरण:—

वर्ष के आरम्भ में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 8 याचिकाएं विचाराधीन थी तथा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 7 याचिकाएं दायर की गईं जिन में से न्यायालय द्वारा 4 याचिकाओं पर अपना निर्णय/ निपटान किया गया। दिनांक 31.03.2015 तक 11 याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर/निर्णीत/लम्बित पड़ी याचिकाओं/अपीलों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

(क) उच्च न्यायालय द्वारा 31.03.2015 तक निपटाई गई अपीलें:—

क्र. सं.	याचिका संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	निपटान की तिथि
1	सिविल याचिका संख्या 153/2004	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	श्री मोहित चौधरी, मोती टिब्बा, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश	31.05.2004	02.06.2014
2	सिविल याचिका संख्या 162/2004	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	श्री मोहित चौधरी, मोती टिब्बा, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश	04.06.2004	02.06.2014
3	सिविल याचिका संख्या 213/2004	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	श्री रंजन धवन, ओक वैली रेजिडेन्सी, डलहौजी	26.07.2004	02.06.2014
4	सिविल याचिका संख्या 6430/2013	श्री मोहिन्दर सिंह, ग्राम व डाकघर पल्युत, चम्बा	हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2	14.08.2013	09.10.2014

(ख) उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला में दिनांक 31.03.2015 तक लम्बित अपीलें:—

क्र.	याचिका संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि
1	सिविल याचिका संख्या 2420 / 2008	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्ज सुपर प्लेटेक्स, इन्डस्ट्रीयल एरिया सैक्टर-1 परवाणु	18.11.2008
2	सिविल याचिका संख्या 7939 / 2012	हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	05.09.2012
3	सिविल याचिका संख्या 10556 / 12	मैसर्ज साहु हाईड्रो पावर, प्लाट नं० 103, जुबली हिल्स हैदराबाद	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार	14.12.2012
4	सिविल याचिका संख्या 6648 / 2013	मैसर्ज काला अम्ब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काला अम्ब, नाहन	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-2	20.08.2013
5	सिविल याचिका संख्या 9843 / 2013	श्री पूर्ण देव पुत्र स्व० श्री निक्कुराम, जिमीदारा हॉउस समरहिल, शिमला	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-2	24.12.2013
6	सिविल याचिका संख्या 1996 / 2014	मैसर्ज अम्बा मैटलज, प्लाट नं० 6-A, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज II काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-2	24.03.2014
7	सिविल याचिका संख्या 2181 / 2014	मैसर्ज अम्बा शक्ति इस्पात लिमिटेड, ग्राम खेरी त्रिलोकपुर, काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-2	04.04.2014
8	सिविल याचिका संख्या 2357 / 2014	मैसर्ज काला अम्ब चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, त्रिलोकपुर, रोड काला अम्ब	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-2	09.04.2014
9	सिविल याचिका संख्या 1539 / 2015	मैसर्ज अम्बूजा सिमिंट लिमिटेड दाड़लाघाट, अर्की, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य	14.11.2014
10	सिविल याचिका संख्या 9983 / 2014	मैसर्ज रेडिएन्ट कास्टिंग लिमिटेड, ग्राम झारमाजरी बद्दी, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	30.12.2014
11	सिविल याचिका संख्या 1045 / 2015	मैसर्ज करण पोलीपैक (प्रा.) लिमिटेड एवं मैसर्ज करण सैन्थेटिक (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम गोईल जमाला, पो.आ. नंगल, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	17.01.2015

6.1.3 अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष अपीलों का विवरण:—

वर्ष के आरम्भ में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के समक्ष 3 अपीलें विचाराधीन थीं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 16 अपीलें न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गईं जिन में से न्यायाधिकरण द्वारा 3 याचिकाओं का निर्णय/निपटान किया गया तथा दिनांक 31.03.2015 तक 16 अपीलें लम्बित पड़ी हैं। वर्ष के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर/निर्णीत तथा लम्बित अपीलों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

(क) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 31.03.2015 तक निपटाई गई अपीलों का विवरण:—

क्र. सं.	अपीलीय संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	निपटान की तिथि
1	2013 की अपील संख्या 220	मैसर्ज हिमालय पॉवर प्रोड्यूसरज एसोसियशन, शिमला 171009	हिमाचल विद्युत विनियामक आयोग तथा अन्य	19.09.2013	01.07.2014
2	2013 की अपील संख्या 198 तथा IA संख्या 433/2013	मैसर्ज के के के हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, डी. एफ. एल. इन्डस्ट्रियल एरिया, फरिदाबाद हरियाणा	हिमाचल विद्युत विनियामक आयोग तथा अन्य	23.08.2013	17.10.2014
3	2013 की अपील संख्या 318, DFR संख्या 1924/2013	मैसर्ज बटोट हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, 241, एम्पायर हॉऊस, मुम्बई-400001	हिमाचल विद्युत विनियामक आयोग तथा अन्य	03.10.2013	30.11.2014

(ख) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 31.03.2015 तक लम्बित अपीलें:—

क्र. सं.	अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि
1	2014 की अपील संख्या 57	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला-4	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग, शिमला-2	07.03.2014
2	2014 की अपील संख्या 194 तथा 2014 की IA संख्या 414	मैसर्ज सूरज फ़ैब्रिक इन्डस्ट्री लिमिटेड, फलेगेन्बट टॉवरस 224-ए-कलकत्ता-17	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
3	2014 की अपील संख्या 192 तथा 2014 की IA संख्या 415	मैसर्ज एस पी.एस. स्टील रोलिंग मिलज लिमिटेड, एलिगेंट टॉवरस, 224-ए, कलकत्ता-17	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
4	2014 की अपील संख्या 195	मैसर्ज हिम कैमिकल लिमिटेड, ग्राम खेड़ा नालागढ़, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
5	2014 की अपील संख्या 188 तथा 2014 की IA संख्या 417	मैसर्ज हाईटैक इन्डस्ट्रि लिमिटेड, काला अम्ब, तह० नाहन, जिला सिरमौर	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014

6	2014 की अपील संख्या 190 तथा 2014 की IA संख्या 418	मैसर्ज पार्वती स्टील एवं एैलोएज, 348, प्रथम तल प्रीतमपुरा, दिल्ली	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
7	2014 की अपील संख्या 189 तथा 2014 की IA संख्या 416	मैसर्ज एशियन कन्करीट एवं सिमेंट (प्रा.) लिमिटेड, गांव व डा० निहालगढ़, पौंटा साहिब, सिरमौर	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
8	2014 की अपील संख्या 191	मैसर्ज ऐकरोन इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, गांव व पो. आफिस निहालगढ़, पौंटा साहिब, सिरमौर	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
9	2014 की अपील संख्या 73 तथा 2014 की IA संख्या 142 तथा 197	मैसर्ज आदित्य इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, ग्राम रामपुर जतन काला अम्ब नाहन	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	25.04.2014
10	2014 की अपील संख्या 239	मैसर्ज गंगदारी हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, हैदराबाद एवं अन्य	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	15.09.2014
11	2014 की अपील संख्या 256 तथा 2014 की IA संख्या 422	मैसर्ज पटिकरी पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, फस्ट हॉऊस, भूमिया इस्टेट, शिमला-2	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला- 4 तथा अन्य	11.11.2014
12	2015 की अपील संख्या 22 तथा 2015 की IA संख्या 20	मैसर्ज धर्मशाला हाईड्रो पॉवर लिमिटेड, प्लाट न० 30-ए जुबली हिल्ज हैदराबाद	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला- 4	10.12.2014
13	2015 की अपील संख्या 15 तथा 2015 की IA संख्या 17	मैसर्ज हैरिसन हाईड्रो कन्सट्रक्शन कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, अखाड़ा बाजार (कुल्लू)	हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य	13.01.2015
14	2015 की IA संख्या 8 तथा IA 10/2015	मैसर्ज एसैन्ट हाईड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड, 6 शिव वास्तु विले पार्ले (ईस्ट) मुम्बई-57	हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य	13.01.2015
15	2015 की अपील संख्या 9 तथा IA संख्या 11/2015	मैसर्ज गिन्नी ग्लोबल (प्रा.) लिमिटेड, पूसा रोड, नई दिल्ली	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4 तथा अन्य	13.01.2015
16	2015 की अपील संख्या 54 तथा डी. एफ. आर संख्या 3163/2014	दी ग्रीन एनेर्जी एसोसिएशन, सरगन-143, पार्ले (ईस्ट) मुम्बई	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4 तथा अन्य	27.03.2015

6.1.4 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अपीलों का विवरण:-

वर्ष आरम्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष एक मामला लम्बित था तथा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन 2 सिविल अपीलें दायर की गईं तथा 31.03.2015 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपील पर निर्णय/निपटान नहीं किया गया। यद्यपि आयोग इन अपीलों की कोई भी पैरवी नहीं कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष वर्ष के दौरान लम्बित मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	सिविल अपील संख्या	वादी	प्रतिवादी	आरम्भ की तिथि	टिप्पणी
1	सिविल अपील संख्या 87678/2012 तथा आई. ए. संख्या 2/2012	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	मैसर्स जे.पी. वी. एल, ज्यूट कम्पलैक्स, वाकनाघाट, सोलन	26.11.2012	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।
2	सिविल अपील संख्या 8025/2014	मैसर्स गिन्नी ग्लोबल लिमिटेड, नई दिल्ली	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा अन्य	05.09.2014	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।
3	सिविल अपील संख्या 8369/2014	मैसर्स जे पी वी एल, ज्यूट कम्पलैक्स, वाकनाघाट, सोलन	हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग तथा अन्य	19.09.2014	आयोग निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते इस मामले में पैरवी नहीं कर रहा है।

6.1.5 आयोग द्वारा मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजे गए मामले :-

विवाद उपरोक्त 4 मामलों के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा मामला प्राप्त नहीं हुआ जिन्हें विवाचक के अधिनिर्णय हेतु भेजा जाए। वर्ष के दौरान मध्यस्थ निर्णय हेतु विवाचक को भेजे गये विवादों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) विवाचकों को दिनांक 31.03.2015 तक भेजे गये विवाद:-

1	याचिका संख्या 69 / 2014	मैसर्स जे पी वी एल, ज्यूट कम्पलैक्स, वाकनाघाट, जिला सोलन	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4 तथा अन्य	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(f) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग सी बी आर विनियम, 2005 के विनियम 68 के अधीन याचिका	20.03.2014	दिनांक 10.12.2014 के आदेशों के अधीन मामला माननीय न्यायाधीश मुकुल मुदगल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजा गया
2	याचिका संख्या 3 / 2014	मैसर्स हिमालयन क्रेस्ट पॉवर प्रा. लिमिटेड, गांव मानाल सतौन, सिरमौर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	गिरी नदी की सहायक नदी गारियो का खाला, 3 मे. वा. जल विद्युत परियोजना चांदनी से सम्बन्धित पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक तथा वैधानिक विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(f) के अधीन याचिका	13.01.2014	दिनांक 24.12.2014 के आदेश के अनुसार मामला अधिनिर्णय हेतु माननीय न्यायाधीश वी.के. गुप्ता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया
3	याचिका संख्या 4 / 2014	मैसर्स हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, गांव मानाल सतौन, सिरमौर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	गिरी नदी की सहायक नदी गारियो का खाला, 3 मे. वा. जल विद्युत परियोजना चांदनी से सम्बन्धित पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक तथा वैधानिक विवादों के अधिनिर्णय हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (f) के अधीन याचिका	13.01.2014	
4	याचिका संख्या 5 / 2014	मैसर्स हिमालयन क्रेस्ट पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, गांव मानाल सतौन, सिरमौर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला-4	गिरि नदी की सहायक नदी शाबरे का खाला, 3 मे.वा. मानाल जलविद्युत परियोजना से सम्बन्धित पक्षों के मध्य उभरे संविदात्मक विवादों के अधिनिर्णय हेतु मामला विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (f) के अधीन याचिका	13.01.2014	

6.2 वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जारी विनियम, संशोधन तथा अधिसूचनाएं

6.2.1 विनियम बनाना तथा विनियम में संशोधन

आयोग द्वारा निम्नलिखित संशोधन विनियम अधिसूचित किए गये :-

क्र.	दिनांक	विनियम-2014-15
1	02.06.2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) आठवां संशोधन, विनियम, 2014
		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2014 को अंतिम रूप देने के लिए आदेश
2	22.12.2014	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के आदेश को अंतिम रूप में दिए जाने के संदर्भ में (विद्युत विनियामक लेखांकन रिपोर्टिंग पद्धति) अधिनियम, 2014
		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित करता तथा शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015
3	11.02.2015	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के संदर्भ में (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित करना तथा शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015
		हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड तथा इसकी उत्तराधिकारी सत्ता से सम्बन्धित व्यक्तियों को सीमान्त लाभ में भागीदारी प्रदान करने सम्बन्धी शर्तें) विनियम, 2015
4	31.03.2015	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के आदेश को अंतिम रूप दिए जाने के संदर्भ में (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड तथा इसकी उत्तराधिकारी सत्ता से सम्बन्धित व्यक्तियों को सीमान्त लाभ में भागीदारी प्रदान करने सम्बन्धी शर्तें) विनियम, 2015

आयोग द्वारा अधिसूचित सभी विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.2.2 कोड तथा मानक:

(क) आयोग आपूर्ति एवं मानक कोड के कार्यान्वयन की दिशा में सदैव सक्रिय रहा है। विभिन्न उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता प्रतिनिधियों तथा वितरण लाईसेंसधारी से प्राप्त सुझाव के आधार पर हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आपूर्ति कोड (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014, दिनांक 11.06.2014 जारी किया गया है जिसके द्वारा विद्यमान हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 में आवश्यक संशोधन किए गये हैं।

6.2.3 विद्युत क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन:

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (क) (विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा वितरण लाईसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में निहित प्रावधानों के अधीन शुल्क निर्धारण करना होता है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य के वितरण लाईसेंसधारी होने के नाते विद्युत उत्पादन कम्पनियों के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना वांछित है। वर्ष के दौरान प्राप्त विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन तथा

आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण विद्युत क्रय अनुबन्ध की सूची नीचे दी जा रही है:-

आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की सूची दी जा रही है:-

(क) नवीकरण प्रमाण पत्र तथा तंत्र के अधीन (5 मे.वा. तक) कार्यान्वित क्रय अनुबन्ध/विशेष क्रय अनुबन्ध:-

क्र. सं.	लघु जल विद्युत परियोजनाएं	संस्थापित क्षमता मेगा वाट में	स्थान/जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध के अनुमोदन की तिथि
1	कोटा गाड	3.50	स्तलुज नदी की सहायक कोटा गाड/मंगलाड खड, गांव रून्पा/भगवत, तह० रामपुर, जिला शिमला(हि०प्र०)	मैसर्ज शिवा एर्नेजी रिसोर्सिज (प्रा.) लिमिटेड, 19/7, पुराना बस स्टैण्ड, गांधी चौक, हमीरपुर, हि०प्र० 177001	11.11.2014
2	जोगनी	5.00	सतलुज नदी की सहायक नोगली नदी/खड, ग्राम सेरी, तह० रामपुर, जिला शिमला(हि०प्र०)	मैसर्ज जी.सी.हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, सराहन, तह० रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि०प्र०)	21.03.2013

(ख) नवीकरण प्रमाण-पत्र तंत्र के अधीन (5से 25 मे.वा.) कार्यान्वित विद्युत क्रय अनुबन्ध/विशेष विद्युत क्रय अनुबन्ध :-

क्र सं	लघु जल विद्युत परियोजना	संस्थापित क्षमता मेगावाट में	स्थान/जिला	उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	बड़ागांव	24.00	व्यास नदी की सहायिका सँजोइन तथा बिजारा नाला, ग्राम हालन II, तह० मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)	मैसर्ज कन्चनजंगा पॉवर कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, B-37 तृतीय तल-सैक्टर-1, नोयडा-201301	11.11.2014
2	कूट	24.00	सतलुज नदी की सहायिका कूट खड, ग्राम सुरू, तह० रामपुर, जिला शिमला(हि०प्र०)	मैसर्ज कूट एनेर्जी (प्रा.) लिमिटेड, मकान सं० 99 सैक्टर-3, न्यू शिमला-171009 (हि०प्र०)	07.01.2015
3	जोगनी	16.00	सतलुज नदी की सहायक नदी/नाला नोगली, ग्राम रूहन, तह० रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)	मैसर्ज गंगदारी हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, गयाम्बा हॉऊस, साऊथ एन्ड लेन IV, सैक्टर-1, न्यू शिमला-171009	19.03.2015
4	कुर्मी	8.00	नोटी खड, सतलुज नदी की सहायिका, जिला शिमला (हि०प्र०)	मैसर्ज कुर्मी एनेर्जी प्रा. लिमिटेड, मकान न० 99 सैक्टर- 3 न्यू शिमला-171009 (हि०प्र०)	21.03.2015
5	ब्यास कुण्ड	9.00	ब्यास नदी की सहायिका ब्यास कुण्ड नाला, ग्राम पलचान, तह० मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)	मैसर्ज कपिल मोहन एण्ड एसोसिएट हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड मकान संख्या- 99	21.03.2015

				सैक्टर -3, न्यू शिमला-171009 (हि०प्र०)	
6	सुमेज	14.00	सतलुज नदी की सहायिका नदी/नाला साची खड/मुहाली खड सुमेज-समीह सरपारा तथा सुगा, जिला शिमला (हि०प्र०)	मैसर्ज रंगा राजु वेयरहॉउसिंग (प्रा.) लिमिटेड, बी-2 लेन-2 सैक्टर-2 न्यू शिमला-171009 (हि०प्र०)	30.03.2015
7	अपर जोयनर	12.00	सुएल नदी रावी की सहायिका, जोयनर नदी/नाला, ग्राम बाड़ा, लाजाना, खाजवा, तह० चुराह, जिला चम्बा(हि०प्र०)	मैसर्ज तेजासारनिका हाईड्रो ऐनेर्जी प्रा. लिमिटेड, बी-2, लेन-4, सैक्टर-2 न्यू शिमला-171009	30.03.2015

(ग) अधिमान्य शुल्क के अधीन विद्युत क्रय अनुबन्ध

क्र.	परियोजना	संस्थापित क्षमता मेगावॉट में	स्थान/जिला	विद्युत उत्पादक कम्पनी का नाम	विद्युत क्रय अनुबन्ध अनुमोदन की तिथि
1	कुर्था	5.00	रावी नदी की सहायिका कुन्डी नाला/खड, गांव कुर्था, तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)	मैसर्ज साहु हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम व डाकखाना सरोल, जिला चम्बा (हि०प्र०) 176310	05.12.2014
2	बल्ह पधर	4.00	ब्यास नदी की सहायिका ऊहल नदी/खड, ग्राम बल्ह त० पधर, जिला मण्डी (हि०प्र०)	मैसर्ज यू एस पी हाईड्रो ऐनेर्जिज लिमिटेड, हाईवे बिल्डिंग, मेन बाजार ए पी ओ, नेर चौक, जिला मण्डी (हि०प्र०)	21.03.2015
3	एलिओ II	4.80	ब्यास नदी की सहायिका एलियन नाला/खड ग्राम एलिओ तह० मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)	मैसर्ज एलिओ मनाली हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम एलिओ, तह० मनाली जिला कुल्लू(हि०प्र०)	31.03.2015
4	हामाल	2.00	यमुना नदी की सहायिका हामाल नाला/खड, ग्राम लालपानी, डा० नकोड़ापुल, तह० चौपाल, जिला शिमला(हि०प्र०)	मैसर्ज अचल देव शर्मा, 92/10 देवीनगर, पौंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)- 173025	31.03.2015

6.2.4 दस्तावेजों की जांच/ उन पर टिप्पणियां:

सी.ई.आर.सी., एफ.ओ.आई.आर., ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई तथा उन पर अपनी टिप्पणियां/राय प्रदान की गई।

6.2.5 कास्ट डाटा अनुमोदन:

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तुत ई.एच.वी., एच.वी. तथा एल.टी. उपकरणों सम्बन्धी डाटा बुक की जांच की गई तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.2.6 नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व:

नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोगों द्वारा विनियम बनाए गये तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र के लिए रूप रेखा आदेश जारी किए गये। इस आयोग द्वारा भी केन्द्रीय विद्युत विनियामक, आयोग(पुनः संगठनों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2010 अपनाए गये। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व तथा इसका अनुपालन) विनियम, 2010 के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2011-12 से 2012-22 के सम्बन्ध में विद्युत लाईसेंसधारी के साथ-साथ बन्द अथवा खुली पहुँच उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं को निम्न तालिका के अनुसार गैर सौर तथा सौर ऊर्जा की मात्रा दायित्व तथा इसकी अनुपालना विनिर्दिष्ट की गई है।

नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व हेतु न्यूनतम प्रतिशतता:

वर्ष	नवीकरणीय स्रोतों से कुल उपयोग की क्रय मात्रा (प्रतिशत में, ऊर्जा किलोवाट आवर में)	
	कुल नवीकरणीय विद्युत क्रय की प्रतिशतता	कुल क्रय में से नवीकरणीय सौर ऊर्जा क्रय दायित्व की प्रतिशतता
2013-14	10.25	0.25
2014-15	10.25	0.25
2015-16	11.25	0.25
2016-17	12.25	0.25
2017-18	13.50	0.50
2018-19	14.75	0.75
2019-20	16.00	1.00
2020-21	17.50	2.00
2021-22	19.00	3.00

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नवीकरणीय गैर सौर ऊर्जा क्रय दायित्व (RPO) प्राप्त किया जा चुका है तथा राष्ट्रीय थर्मल पॉवर कार्पोरेशन से सिंगरौली सौर ऊर्जा संयम तथा भारत सोलर एर्नेजी कारपोरेशन (SECI) से सम्पर्क स्थापित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा पूरी की गई अनुपालना का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

1	कुल नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व	10.25 %
	नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (सौर) की प्रतिशतता	0.25 %
	नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (गैर सौर) की प्रतिशतता	10.00 %
2	कुल उपलब्धि प्रतिशत में	कुल ऊर्जा खपत की प्रतिशतता 16.37% अथवा नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व लक्ष्य का 159.7 %
	गैर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धि प्रतिशत में	163.37 (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का)
	सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धि प्रतिशत में	12.96 (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का)

आयोग द्वारा उत्तरदायी संस्थाओं, विशेष रूप से राज्य के वितरण लाईसेंसधारी द्वारा की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व की अनुपालना पर निरन्तर संवीक्षा की जा रही है।

6.3 शुल्क सम्बन्धी आदेश:

क्र. सं.	विवरण	जारी करने की तिथि
1	वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तथा वित्त वर्ष 13 के विशुद्ध हेतु बहुवर्षीय शुल्क आदेश	12.06.2014
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में विद्युत उत्पादन व्यवसाय हेतु 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए बहुवर्षीय आदेश	10.06.2014
3	मैसर्ज जयप्रकाश वेन्चर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु बहुवर्षीय आदेश	06.06.2014
4	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु बहुवर्षीय आदेश	10.06.2014

5	हिमाचल प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैज सोसाईटी (HPSLDS) के सम्बन्ध में वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 19 की अवधि हेतु बहुवर्षीय शुल्क आदेश	10.06.2014
---	--	------------

6.3.1 वित्त वर्ष 2014–15 से वित्त वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए बहुवर्षीय शुल्क आदेश: सम्पूर्ण हरित ऊर्जा हेतु विद्युत प्रापण की दिशा में नीतिगत परिवर्तन:—

6.3.1.1 वित्त वर्ष 2012–14 के द्वितीय बहुवर्षीय शुल्क तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2019 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष के निम्न तथ्यों से यह प्रकट होता है कि ये राज्य के लिए अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हो सकते हैं जिसके माध्यम से स्थाई 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा उपभोग तथा परवर्ती प्रापण के मूल्यांकन तथा आवश्यकताओं की सम्भवनाओं का आंकलन किया जा सकता है।

- क) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास वर्तमान समय में दीर्घ कालीन क्रय अनुबन्ध, राज्य के बाहर से प्राप्त होने वाले ऊर्जा का भाग कम मात्रा में है, अर्थात् ताप (कोयला एवं गैस) लगभग 1140 मि.यु., जलविद्युत (एन एच पीसी तथा टिरी निगम) लगभग 300 मि.यु. तथा न्युकलर लगभग 170 मि.यु.। अतः ताप/ विद्युत संसाधन कुल उपलब्धता की मात्रा लगभग 10 प्रतिशत भाग है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् इसके पास लगभग इतनी ही मात्रा में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध है, अतः राज्य पहले ही अपनी पूरी आवश्यकता की पूर्ति हरित/निर्मल साधनों के माध्यम से कर रहा है।
- ख) ताप बिजली की लागत अत्याधिक होने के कारण ये लाईसेंसधारियों के लिए अन्य ऊर्जा माध्यमों से अपेक्षाकृत महंगा हैं।
- ग) CPSU स्टेशनों का शुल्क तथा इनका विस्तार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है जिसके कारण प्रापण लागत का सही अनुमान लगाना कठिन होता है जिनके परिणामस्वरूप अत्यधिक बकाया संचय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- घ) राज्य के बाहर से विद्युत प्रापण पर अतिरिक्त संचारण व्यय होता है, जिसमें क्षति एवं संचालन लागत भी शामिल है।
- ङ) राज्य में वर्तमान समय तथा भविष्य में भी अत्यधिक फालतू विद्युत विद्यमान है, हमारी नदियों में लगभग 25,000 मेगा वॉट विद्युत उत्पादन की सम्भावना विद्यमान है, जिससे लगभग 100,000 मिलियन युनिट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, जो कि वर्तमान आवश्यकताओं से 10 गुणा अधिक है। यहां तक कि, हमारे पास अभी भी भारी खुली (गैर अनुबन्धात्मक) विद्युत उपलब्ध है जिसके द्वारा हम अगले 25 से 40 वर्षों तक राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को मुफ्त बिजली तथा इक्विटी बिजली, राज्य क्षेत्र में एच0पी0पी0सी0एल0/ एच0पी0एस0ई0बी0 एल0, एवं आई0 पी0पी0 विशेष रूप में

लघु जल विद्युत परियोजनाएं आदि, जिनका लाईसेंसधारी द्वारा अपने प्रापण संयंत्रों में पूर्ण लेखा-जोखा नहीं रखा गया है।

- च) हिमाचल प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध मुफ्त बिजली ताप विद्युत तथा हिमाचल प्रदेश से बाहर के जल विद्युत स्टेशनों से प्राप्त विद्युत से बहुत सस्ती है।

6.3.1.2 NTPC के ताप संसाधनों तथा आवश्यकताओं एवं आधिक्य सहित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दीर्घ कालीन अनुबन्धों के अधीन उपलब्ध विद्युत का विवरण निम्न प्रकार से है:-

बहुवर्षीय शुल्क अवधि (वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 19) के दौरान उपलब्ध विद्युत:

विवरण	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19
कुल उपलब्धता (मि.यु.)	10, 296	10,793	11,344	11,917	12,535
ताप संयंत्रों का भाग (मि.यु.)	1,257	1,375	1,375	1,375	1,375
राज्य की आवश्यकता (13% से 12% तक के संचारण एवं विवरण व्यय सहित)	9,423	9,902	10,409	10,947	11,519
आधिक्य	873	891	935	970	1,016

6.3.1.3 उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हमारे विद्युत उत्पादन साधनों में ताप-बिजली मात्र 10% है जो कि पहले ही अनुबन्धित विद्युत आधिक्य के बराबर है जिन्हें मात्र अनुबन्ध के दायित्वों की दृष्टि से क्रय किया जाता है।

6.3.1.4 आयोग द्वारा अगले 25 वर्षों के विद्युत परिदृश्य का आकलन किया गया है जिसके अन्तर्गत यह स्थिति सामने आती है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे पास पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है तथा एतद् सम्बन्धी शुल्क भी स्थाई रहेगा तथा स्थायित्व के आधार पर यह कम भी हो सकता है।

- क) 25 वर्षों के अन्तिम चरण में विक्रय प्रक्षेपण का आकलन आयोग द्वारा तृतीय बहुवर्षीय शुल्क नियंत्रण अवधि की वृद्धि दर के आधार पर किया गया है तथा इस वृद्धि दर के स्थाई रहने की सम्भावना है। इन प्रक्षेपणों के आधार पर 25 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर विक्रय आंकड़े लगभग 7,600 मि.यु. के वर्तमान स्तर के मुकाबले लगभग 29,000 मिलियन युनिट होने की सम्भावना है।
- ख) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की विभिन्न साधनों से वर्तमान विद्युत उपलब्धता निम्न प्रकार से है:-

विभिन्न साधनों से विद्युत उपलब्धता:

क्र. सं.	आपूर्ति का साधन	लगभग मात्रा (मि. यु.)
1	अपने उत्पादन के द्वारा	2000
2	एन टी पी सी	1350
3	एन पी सी आई एल	250

4	एन एच पी सी	300
5	टी एच डी सी	155
6	एस जे वी एन एल, एस ओ० आर (नाथपा झाखड़ी)	200
7	सांझी परियोजनाएं बी बी एम बी, यमुना आदि	1260
8	एस एच पी	1200
9	वास्पा	1200
उप योग		7915
11	एस जे वी एन एल इक्वटी (नाथपा झाखड़ी, हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रामपुर)	2000
12	हि०प्र० सरकार की विद्यमान मुफ्त विद्युत मात्रा	2500
योग		12415

- ग) हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन, निकासी तथा अन्वेषण के स्तर पर परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:—
हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत सम्भावना की स्थिति:

क्रं सं	क्षेत्र	निर्माणाधीन		निकासों के अधीन		अन्वेषणाधीन		योग	
		परियोजनाओं की संख्या	क्षमता मि.यु.	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता मि.यु.	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता मि.यु.	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता मि.यु.
1	हिम ऊर्जा	51	182.6	124	365.42	257	509.79	432	1057.81
2	हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2	110	—	—	4	70.5	6	180.5
3	एच० पी० पी० सी० एल०	5	856	8	1285	7	963	20	3104
4	केन्द्रीय तथा संयुक्त	4	2532	1	66	1	588	6	3186
5	निजी	24	765.5	24	865.5	30	3354.5	78	4985.5
	योग	86	4446.1	157	2581.92	299	5485.79	542	12513.81

(स्रोत: ऊर्जा विभाग, हिमाचल प्रदेश

सरकार)

- घ) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिम ऊर्जा, एच० पी० पी० सी० एल० से सम्बन्धित विभिन्न चरणों वाली परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता

4000 मेगा वॉट से अधिक है, प्रति मेगा वॉट 4 मिलियन विद्युत उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए इन परियोजनाओं से 88% की विद्युत उपलब्धता के आधार पर लगभग 14000 मि.यु. विद्युत की आपूर्ति सम्भावित है।

- च) हिमाचल प्रदेश की निःशुल्क विद्युत उपलब्धता 12% (मोटे अनुमान के अनुसार) की दर से आने वाली परियोजनाओं से की सम्भावित क्षमता के आधार पर लगभग 6000 मिलियन युनिट होगी।
- छ) कार्यान्वयन अनुबन्ध की शर्तों के अधीन राज्य की अधिकतर परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन के पश्चात् 12 तथा 30 वर्षों की अवधि में निःशुल्क विद्युत की मात्रा में वृद्धि होगी। अतः उपरोक्त सरसरी अनुमानों की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश के विद्यमान तथा स्थापित होने वाली परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश सरकार को और अधिक निःशुल्क विद्युत उपलब्ध होगी।
- ज) अतः लगभग 25 वर्षों की दीर्घकालीन अवधि में हिमाचल प्रदेश में सम्भावित विद्युत उपलब्धता तथा मांग का परिदृश्य निम्न होगा:—

हिमाचल प्रदेश में दीर्घकालीन विद्युत उपलब्धता एवं मांग का परिदृश्य:

क्र. सं.	आपूर्ति का स्रोत	अनुमानित मात्रा मिलियन युनिट में
1	विद्यमान स्रोत/ हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की पी पी ए	12,400
2	हिम ऊर्जा, हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा एच० पी० पी० सी० एल० की परियोजनाओं से भविष्य में सम्भावित उपलब्धता	14,000
3	हिमाचल प्रदेश से निःशुल्क विद्युत के रूप में भविष्य में उपलब्ध होने वाली ऊर्जा	6,000
	कुल उपलब्धता	32,400
4	अनुमानित मांग	29,000

उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सी०पी०एस०यू० की एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी०, एन०पी०सी०आई०एल० एवं एस०जे०वी०एन०एल० जैसी परियोजनाओं से भी राज्य के बाहर से अपना हिस्सा मिलेगा।

- झ) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सहबद्ध विद्युत साधनों तथा प्रदेश में विद्यमान जलविद्युत सम्भावनाओं/तथा दोहन की जाने वाली विद्युत क्षमता के द्वारा कर सकता है। जल विद्युत परियोजनाओं के सन्दर्भ में ऋण अदायगी की प्रारम्भिक अवधि के उपरान्त, विद्युत बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध हो जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का औसत क्रय दीर्घ अवधि के पश्चात् लगभग स्थाई रहेगा।
- (i) विद्युत क्रय लागत आज के संदर्भ में वार्षिक राजस्व आवश्यकता का एक मुख्य घटक है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की कुल राजस्व आवश्यकता का लगभग 65% से 70% हिस्सा है। अतः दीर्घ कालीन समय

परिदृष्ट के दृष्टिगत वितरण लाईसेंसधारी के लिए विद्युत क्रय लागत में स्थायित्व एक निर्देशक आधार है।

6.3.1.5 राज्य के भीतर दीर्घकालीन तथा नदियों के पानी पर आधारित चिर स्थाई पर्याप्त विद्युत उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की अपनी विद्युत प्रापण नीति होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत उसे राज्य के जल संसाधनों से उत्पन्न होने वाली स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए तथा इसके साथ ही उसे मात्र राज्य में उपलब्ध सौर तथा वायु जैसे नवीकरणीय साधनों से भी विद्युत प्राप्त करनी चाहिए। उसके पास यह विकल्प भी होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वह हिमाचल प्रदेश से बाहर CPSUs के न्यूक्लीयर स्टेशनों से भी स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सके। हरित ऊर्जा क्रय करने सम्बन्धी इस नीति से राज्य के उपभोक्ताओं को स्थाई आधार पर वांछित ऊर्जा सुरक्षा भी प्राप्त होगी।

6.3.1.6 जल विद्युत के माध्यम से जहां स्थाई आधार पर विद्युत उपलब्ध होती है इसके साथ ही इससे ऊर्जा सुरक्षा भी प्राप्त होती है जिसके द्वारा मूल्य में स्थायित्व तथा उत्पादन करने वाले स्टेशनों को भी दीर्घकालीन दृष्टिक्षेत्र प्राप्त होता है। जल साधनों से प्राप्त होने वाली विद्युत सदैव सस्ती और बहुत सस्ती होती है। जलविद्युत साधनों के सम्बन्ध में एक विनियमित व्यवस्था रहती है जिसके लिए ताप, न्यूक्लीयर, जीवीय आदि की तरह अन्यथा किसी भी प्रकार के निवेश की आवश्यकता नहीं रहती जिनमें अत्यधिक विविधता होने के कारण वाष्पशीलता रहती है। 40 वर्ष की न्यूनतम परियोजना आयु के दौरान 40 वर्षों में स्तरीय अथवा सावधिक शुल्क व्यवस्था रहती है, जिसके अन्तर्गत पहले तथा अन्तिम 10 वर्षों के दौरान मूल्य अधिक रहते हैं तथा बीच की 20 वर्षों की अवधि के दौरान यह न्यूनतम रहते हैं। विभिन्न जीवन चक्र वाले अधिकतर साधन वास्तव में शुल्क में संतुलन रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप सभी स्रोतों का शुल्क सन्तुलित होने के कारण स्थाई तथा लगभग स्थिर रहता है।

6.3.1.7 वर्तमान सन्दर्भ में जलविद्युत क्रय की औसत दर 2.00 रुपये प्रति युनिट से कम है (कुछ केन्द्रों में यह दर 40 पैसे से भी कम है) तथा ताप विद्युत में यह दर 4.00 रुपये से भी अधिक है (कुछ गैस पर आधारित केन्द्रों में तो यह दर 10.00 रुपये से भी अधिक है) तथापि जल विद्युत उत्पादन की औसत लागत बढ़ी हुई पूंजीगत लागत तथा उच्च इक्विटी घटक के कारण बढ़ सकती है, यह अन्तर निरन्तर बना रहेगा क्योंकि ताप विद्युत उत्पादन लागत में भी बढ़ोतरी होती रहती है। राज्य के भीतर से विद्युत का प्रापण करने से संचालन तथा संचारण दोनों लागत से बचत होती।

6.3.1.8 उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग यह महसूस करता है कि हरित तथा स्वच्छ स्रोतों से विद्युत उपयोग भविष्य की नीति का एक भाग होना चाहिए जिसके अन्तर्गत तकनीकी वांछित तथा व्यवहार्य साबित हो सकती है, अतः राज्य के भीतर से ही 100% हरित विद्युत के प्रापण सम्बन्धी नीति पर कार्य करने की

आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत जल विद्युत साधन तथा सौर एवं वायु स्रोत भी शामिल किए जा सकते हैं। राज्य के बाहर से विद्युत क्रय भारत सरकार के नाभिकीय साधनों, PSU केन्द्रों से की जा सकती है, यदि इनकी गुणवत्ता उचित हो। लाईसेंसधारी अपनी बेस लोड आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से विवेकपूर्ण प्रबन्धन के द्वारा कर सकता है, ऐसी स्थिति में जलविद्युत स्रोत सदैव आधिक्य में रहेंगे। क्योंकि जल विद्युत सस्ती, स्थाई तथा प्रायः प्रत्याशित रहती है, कमी वाले सर्दी के मौसम में इस आधिक्य को सस्ती विद्युत उपलब्ध करवाते हुए एक सशक्त व्यावसायिक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जिससे प्राप्त होने वाले लाभ के द्वारा लाईसेंसधारी की स्थिति भी सुदृढ़ की जा सकती है। सस्ती विद्युत तथा दीर्घकालीन सस्ती विद्युत सम्भावना के दृष्टिगत, निजी क्षेत्र उद्योग द्वारा लिए जाने वाले निवेश निर्णय, विकास तथा वृद्धि सम्बन्धी आधारभूत परियोजनाओं तथा इसके साथ ही व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को कृषि के विविधिकरण हेतु सेवाओं तक तकनीक व पहुँच, सेवाओं के विकास, आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का लगभग 90 प्रतिशत भाग ग्रामीण है, की दिशा में सस्ती दर पर विद्युत की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

6.3.1.9 वित्त वर्ष 14-15 से वित्त वर्ष 18-19 के लिए वितरण व्यवसाय सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की अनुमोदित ए.आर.आर. का संक्षिप्त विवरण:-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19
राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत क्रय व्यय	2,554.17	2,762.53	2,872.90	3,095.02	3,355.08
अपने उत्पादन सहित क्रय की गई विद्युत का मूल्य	2,258.72	2,431.22	2,505.69	2,685.08	2,901.05
अन्तः राज्य प्रभार:					
पॉवर ग्रिड प्रभार	230.51	258.53	288.29	326.97	365.45
खुली पहुँच प्रभार	53.12	58.43	64.28	70.71	77.78
अन्तरा-राज्य प्रभार:					
एच पी पी टी सी एल	3.45	3.47	3.32	3.36	3.46

प्रभार					
एस एल डी सी प्रभार	8.37	10.88	11.32	8.89	7.34
संचालन तथा संधारण प्रभार	1,247.23	1,372.09	1,510.39	1,663.11	1,830.80
कर्मचारियों पर लागत	1,166.37	1,284.81	1,414.82	1557.50	1,714.12
आर एण्ड एम लागत	43.51	46.70	51.69	58.02	65.09
ए एण्ड जी लागत	63.35	39.48	42.89	46.58	50.60
सुरक्षा उपायों हेतु अतिरिक्त राशि	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ब्याज तथा वित्तपोषण प्रभार	176.61	196.88	229.76	266.97	302.53
अवमूल्यन	62.74	70.27	80.90	93.90	107.91
इक्विटी से प्राप्त आय	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
पी.पी. ए. दायित्व के अनुसार आधिक्य विद्युत की खरीद	135.31	173.29	219.11	282.27	325.73
गैर शुल्क तथा अन्य आय घटाकर	207.14	216.07	225.47	235.36	245.77
कुल राजस्व आवश्यकता	3,999.16	4,389.24	4,717.84	5196.15	5,706.52

6.3.1.10 तृतीय बहुवर्षीय शुल्क नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक वितरण शुल्क की मुख्य विशेषताएं :-

- (1) वर्ष 2014-15 के संशोधित शुल्क के अन्तर्गत किसी भी वर्ग के शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई।
- (2) शुल्क के युक्तिकरण तथा पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान कुछेक उपभोक्ता वर्ग के शुल्क में 30 पैसे प्रति युनिट तक की कमी की गई है।
- (3) वर्तमान अनुमानों के दृष्टिगत शेष 4 वर्ष की अवधि, अर्थात् 2015-16 से 2018-19 के दौरान किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि की आवश्यकता नहीं होगी।
- (4) 5 वर्षों के लिए अनुमोदित कुल वांछित राजस्व 24,552 करोड़ रुपये होगा जिस में से 4,543 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2014-15 के आपूर्ति सम्बन्धी कार्य पर व्यय की जाएगी (उत्पादन तथा परियोजनाओं को घटाकर)।
- (5) इसके अतिरिक्त 2,220 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत व्यय हेतु अनुमोदित की गई है जिस में से 430 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2014-15 के लिए होगी। यह

राशि विद्यमान संरचना में अभिवृद्धि के अतिरिक्त नई लाईनों, सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स, खम्बों, मीटर आदि के लिए रखी गई है।

- (6) 5 वर्षों के लिए 25,415 करोड़ रुपये की आय अनुमोदित की गई है, जिस में से 4,544 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 के लिए है।
- (7) 5 वर्षों में शुद्ध राजस्व आधिक्य 863 करोड़ रुपये है जिसमें वर्ष 2014-15 की 1.54 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।
- (8) आयोग द्वारा एक से अधिक उपभोक्ताओं के वर्ग के लिए शुल्क ढाँचे का सरलीकरण एवं युक्तिकरण जैसे कुछ उपभोक्ता भिन्न पग उठाए गये हैं जिनका वर्णन उपर नहीं किया गया है, इस में निम्नलिखित शामिल हैं:-
 - (क) पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पूर्व के कनेक्टेड लोड आधार के स्थान पर कन्ट्रैक्ट मांग पर आधारित शुल्क वर्गीकरण लागू किया गया है।
 - (ख) शुल्क को सरल बनाने के उद्देश्य से शुल्क के दो भाग के वर्गों से लिए जाने वाले उपभोक्ता सेवा कर को समाप्त किया गया है।
 - (ग) पीक लोड शर्त को अब हटा लिया गया है तथा उद्योग वर्ग, जल एवं सिंचाई पंपिंग आपूर्ति उपभोक्ताओं को पीक लोड के दौरान किसी प्रकार की छूट लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः अब किसी प्रकार के पीक लोड प्रभार नहीं है। पीक लोड प्रभार अब पीक अवर के दौरान उपभोक्ताओं की औसत मांग पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं द्वारा 24x7x365 विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने हेतु पीक लोड प्रभारों में कमी की गई है।
 - (घ) जून, जुलाई तथा अगस्त के तीन महीनों की अवधि के लिए रात्रि समय छूट को बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त विद्युत की उपलब्धता रहती है। रात्रि के समय छूट केवल उद्योग, सिंचाई एवं जल पंपिंग आपूर्ति वर्ग पर लागू होती है, जिनसे पीक अवर के दौरान अधिक प्रभार वसूले जाते रहे हैं।
 - (ङ) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 350 मि.यु. अतिरिक्त आक्समिक विद्युत क्रय का प्रावधान किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

6.3.2 उत्पादन बहुवर्षीय शुल्क—हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड:-

आयोग द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन कार्य के निष्पादन हेतु एम वाई टी आदेश जारी किए गये हैं।

आयोग द्वारा अनुमोदित कुल ए आर आर/ए एफ सी* का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

करोड़ रुपये में

संयंत्र का नाम	युनिट	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19
कुल विद्युत उत्पादन (डिजायन एनेर्जी)	मि.यु.	1936.91	1936.91	1936.91	1936.91	1936.91
कुल सहायक खपत	मि.यु.	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
Bus पर शुद्ध उत्पादन	मि.यु.	1917.44	1917.44	1917.44	1917.44	1917.44
हि०प्र० सरकार को प्रदत्त निःशुल्क विद्युत घटाकर	मि.यु.	81.33	81.33	81.33	81.33	81.33
विक्रय हेतु उपलब्ध विद्युत	मि.यु.	1836.10	1836.10	1836.10	1836.10	1836.10
ओ एवं एम व्यय	करोड़ रु०	105.75	107.57	117.80	129.01	141.29
आर एवं एम व्यय	करोड़ रु०	20.25	22.00	23.90	25.96	28.19
कर्मचारियों के व्यय	करोड़ रु०	71.10	78.03	85.65	94.01	103.18
पेंशन अंशदान	करोड़ रु०	5.69	6.24	6.85	7.52	8.25
ए एवं जी व्यय	करोड़ रु०	1.19	1.29	1.41	1.53	1.66
अतिरिक्त ओ तथा एम, व्यय आर एवं एम के लिए	करोड़ रु०	7.52				
अवमूल्यन	करोड़ रु०	73.22	73.22	72.85	72.74	72.74
ब्याज प्रभार	करोड़ रु०	22.67	15.46	8.24	3.29	1.53
इक्विटी से आय	करोड़ रु०	35.16	35.16	35.16	28.76	28.76
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	करोड़ रु०	8.29	8.64	9.02	9.37	10.00
वार्षिक निश्चित प्रभार	करोड़ रु०	245.26	240.04	243.07	243.18	254.32

* ऐसे 8 संयंत्रों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2014 को जारी आदेशों के द्वारा पहले ही उत्पादन शुल्क अनुमोदित किया जा चुका है

6.3.2.1 विद्युत उत्पादन समीक्षा- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड :

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा एम. वाई टी आदेश दिनांक 10 जून, 2014 के सम्बन्ध में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी

जिसका निपटान आयोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2015 को जारी आदेश द्वारा किया जा चुका है।

6.3.3 विद्युत उत्पादन— एम.वाई.टी.—जे.पी.वी.एल:

आयोग द्वारा मैसर्स जय प्रकाश वैन्चर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 2014—15 से 2018—19 तक की अवधि के लिए दिनांक 06 जून, 2014 को एम. वाई. टी. आदेश जारी किए गये।

6.3.3.1 विद्युत उत्पादन समीक्षा— जे.पी.वी.एल:

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा दिनांक 06 जून, 2014 के एम वाई टी आदेश पर पुनर्विचार याचिका का निपटान आयोग द्वारा अपने दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को जारी आदेश द्वारा किया गया।

आयोग द्वारा निर्धारित कुल वार्षिक निश्चित प्रभार निम्नलिखित है:—

विवरण	करोड़ रुपये में				
	वित्त वर्ष 15 अनुमोदित	वित्त वर्ष 16 अनुमोदित	वित्त वर्ष 17 अनुमोदित	वित्त वर्ष 18 अनुमोदित	वित्त वर्ष 19 अनुमोदित
क्षमता प्रभार					
शेष ऋण पर ब्याज	13.40	4.33	0.72	0.22	0.04
अवमूल्यन + ए ए डी	95.22	75.48	5.08	3.94	0.18
ऋण पुनर्निधारण पर ऋण ब्याज	1.06	0.35	—	—	—
ऋण पुनर्निधारण के आधार पर ऋण अदायगी	8.85	8.85	—	—	—
आवेदन शुल्क	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
उप-योग क्षमता प्रभार	118.59	89.07	5.84	4.21	0.27
प्रारम्भिक ऊर्जा प्रभार:					
ओ एवं एम प्रभार	37.35	40.38	43.66	47.21	51.05
आई.सी.एफ. के अतिरिक्त 2.57 करोड़ रुपये पर 2010—11 हेतु ए आर आर	0.17				
कुल अतिरिक्त ओ तथा एम व्यय	2.97				
आई सी एफ, ओ एण्ड एम पर संचयी सेवा कर	1.44	—	—	—	—
इक्विटी से आय	78.36	78.36	78.36	78.36	78.36
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	7.93	7.14	4.71	4.89	5.00
उप-योग प्रारम्भिक प्रभार	128.21	125.87	126.73	130.46	134.41
प्रोत्साहन तथा कर					
माध्यमिक ऊर्जा हेतु प्रोत्साहन					
उच्च संयंत्र उपलब्धता प्रोत्साहन					
कर	37.03	32.07	9.73	10.80	10.84
उप-योग प्रोत्साहन तथा कर	37.03	32.07	9.73	10.80	10.84
कुल वार्षिक निश्चित प्रभार	283.84	247.02	142.31	145.46	145.52

6.3.3.2 विद्युत उत्पादन टू-अप- जे0 पी0 वी0 एल0:

आयोग द्वारा मैसर्ज जय प्रकाश पॉवर वैन्चरस लिमिटेड (जे पी वी एल) के सम्बन्ध में 2011-12 से 2013-14 की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 30 मार्च, 2015 का टू-अप आदेश जारी किए। आयोग द्वारा अनुमोदित बकाया की कुल राशि का विवरण दिया जा रहा है:-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 12	वित्त वर्ष 13	वित्त वर्ष 14
कुल वार्षिक निश्चित प्रभार	362.68	304.50	311.09
हि०प्र० राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान	331.89	325.47	324.47
राजस्व अधिव्यय (अन्तर)	(30.79)	20.97	13.38
प्रारम्भिक शेष	—	32.79	15.11
जमा(कमी)	30.79	(20.97)	(13.38)
मूल राशि का अन्त शेष	30.79	11.82	1.73
औसत बकाया	15.39	22.30	8.42
ब्याज दर	13%	14.75%	14.45%
ब्याज	2.00	3.29	1.22
भुगतान का अन्त शेष	32.79	15.11	2.94

6.3.4 संचारण एम वाई टी-एच. पी. पी. टी. एल.:

आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए दिनांक 10, जून 2014 को एम वाई टी आदेश जारी किए।

आयोग द्वारा एच. पी. पी. टी. सी. एल. के लिए अनुमोदित ए. आर. आर.

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19
1	संचारण तथा रख-रखाव व्यय	258.82	269.58	262.54	275.26	289.10
क	कर्मचारियों सम्बन्धी व्यय	9.84	10.81	11.86	13.02	14.29
ख	ए एण्ड जी व्यय	118.46	118.63	118.81	119.01	119.23
ग	आर एण्ड एम व्यय	130.51	140.15	131.86	143.23	155.58
2	अवमूल्यन	75.87	75.86	75.85	75.83	75.27
3	ब्याज तथा वित्त प्रभार	29.02	20.73	12.44	4.15	—

4	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	11.06	11.28	10.82	11.11	11.53
5	इक्विटि से आय	—	—	—	—	—
6	कुल निश्चित लागत	374.77	377.46	361.64	366.35	375.90
7	गैर-शुल्क आय घटाकर	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
8	शुद्ध कुल राजस्व आवश्यकता (ए आर आर)	344.77	347.46	331.64	336.35	345.90

6.3.5 एस. एल. डी. सी., एम. वाई. टी.-एच. पी. एल. डी. एस.:

आयोग द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया जा रहा है:-

एच. पी. एल. डी. एस. के लिए तृतीय एम. वाई. टी. नियंत्रण अवधि हेतु अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकता:-

(लाख

रु० में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 15	वित्त वर्ष 16	वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19
1	ओ एण्ड एम लागत	387.21	606.92	653.35	704.31	760.22
क	कर्मचारियों पर व्यय	252.86	464.87	510.23	560.02	614.67
ख	ए एण्ड जी लागत	11.59	12.66	13.73	14.90	16.17
ग	आर एण्ड एम लागत	122.75	129.39	129.39	129.39	129.39
2	यू एल डी सी प्रभार	506.28	525.51	529.03	246.93	46.92
3	अवमूल्यन	1.82	3.64	3.64	3.64	3.64
4	ब्याज तथा वित्त प्रभार	5.09	10.17	10.17	9.83	9.15
5	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	23.34	31.34	32.83	28.01	25.20
6	इक्विटि से आय	4.26	8.53	8.53	8.53	8.53
7	कुल व्यय	927.99	1,186.11	1,237.56	1,001.25	853.67
8	अन्य आय घटाकर	90.60	97.90	105.20	112.50	119.80
	कुल राजस्व आवश्यकता	837.39	1,088.21	1,132.36	888.75	733.87

6.4 वेबसाइट:

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमों के अधीन महत्वपूर्ण सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://hperc.org> में समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों को सुलभ, विस्तृत प्रचार-प्रसार व पारदर्शिता सहित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

6.5 समाचार पत्र कतरन सेवा:

राज्य के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र में घटित होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

6.6 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम:

6.6.1 उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु फोरम:

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उप धारा (5) के साथ पठित धारा (8) के अधीन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम के दिशा निर्देश) विनियम, 2003 अधिसूचित किए गये हैं। विनियम 3, के अधीन वितरण लाईसेंसधारी अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कसुम्पटी में एक तीन सदस्यीय फोरम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता, विद्युत आपूर्ति में कमी अथवा दोष, अनुचित व्यापार पद्धति, लाईसेंसधारी द्वारा विद्युत लाईनों तथा समवर्गी सेवाओं आदि के लिए अधिक प्रभार तथा मूल्य वसूली सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु फोरम में शिकायत दायर कर सकता है।

फोरम में कुल तीन सदस्य हैं, जिन में से दो सदस्यों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने अधिकारियों में से की जाती है जबकि एक स्वतन्त्र सदस्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नामित किया जाता है।

फोरम के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फोरम के निर्णय के विरुद्ध 40 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन के समक्ष अपील दायर कर सकता है। फोरम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.03.2014 तक 17 शिकायतें लम्बित थी तथा वर्ष के दौरान 68 शिकायतें प्राप्त हुई तथा वर्ष के दौरान 25 शिकायतों का निपटारा किया गया, 31 मार्च, 2015 तक 60 शिकायतें लम्बित थी।

6.6.2 विद्युत ओम्बड्समैन:

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) तथा हिमाचल विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2004 के अधीन विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत निवारण हेतु इसके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ता की शिकायतों का फोरम द्वारा निवारण न किए जाने अथवा उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत कर सकता है तथा विद्युत ओमबड्समैन शिकायतों पर सहमति, समझौता अथवा मध्यस्थता अथवा विनियमों के अनुसार निर्णय देकर मामलों का निपटारा कर सकता है। ओमबड्समैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 तथा 13 के अधीन विवादों की सहमति व अधिनिर्णय देकर उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। विद्युत ओमबड्समैन को प्रस्तुत किसी भी शिकायत के सम्बन्ध में इसकी प्राप्ति की तिथि से तीन मास की अवधि के अन्दर अपना अधिनिर्णय देना होगा तथा उसका अधिनिर्णय दोनों पक्षों को 30 दिन की अवधि के भीतर स्वीकार करना आवश्यक होगा। किसी अधिनिर्णय, अनुबन्ध तथा आवेदन के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तथा आयोग इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा। 31 मार्च, 2014 को श्री अशोक कुमार विद्युत ओमबड्समैन के रूप में कार्याभार सम्भाल रहे थे। ओमबड्समैन की रिपोर्ट के अनुसार 01.04.2014 तक विद्युत ओमबड्समैन के पास 16 मामले लम्बित थे। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 5 अतिरिक्त प्रतिवेदन/याचिकाएं प्राप्त हुईं जिन में से 7 याचिकाओं का 31.03.2015 तक निपटारा किया जा चुका है। 31 मार्च, 2015 तक 14 शिकायतें लम्बित पड़ी थीं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को कुशल, विश्वसनीय तथा विद्युत की गुणवत्ता वाली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा वितरण निष्पादन मानक विनियम, 2010 अधिसूचित किए गये हैं, जिसमें फयुज आफ/फाल्ट कॉलज, ओवरहेड लाईन, केबल ब्रेक डाउन, खराब वितरण ट्रांसफार्मरस को बदलना, मीटर सम्बन्धी शिकायतें, बन्द/खराब तथा जले हुए मीटर बदलना, मीटर/सेवा लाईनों को स्थानान्तरित करना, बोल्टेज समस्या, शैडयूलड ऑउटेजिज आदि जैसी उपभोक्ता सम्बन्धी सेवाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है। इन विनियमों में उपभोक्ताओं तथा फील्ड स्टाफ की सुविधा के लिए वितरण लाईन संधारी द्वारा “उपभोक्ता शिकायत निवारण नियमावली पद्धति” बनाने तथा इसे प्रकाशित करने का प्रावधान भी समाविष्ट है। यदि वितरण लाईन संधारी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों को पूरा करने में असफल होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उन्हें पहुँची हानि के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति हेतु आयोग के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।

6.7 समन्वय फोरम की सदस्यता:

अन्य यूटिलिटीज के साथ गतिशील तालमेल तथा विनियामकों द्वारा समान सुधार नीति अपनाने के लिए आयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर

निम्नलिखित फोरम में अपनी सदस्यता के माध्यम से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होता है:—

6.7.1 आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम (SAFIR):

अन्तर्राष्ट्रीय युटिलिटी विनियमन फोरम के अधीन कार्यरत आधारभूत संरचना विनियम हेतु दक्षिण एशिया फोरम मई, 1999 को विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत तथा पाकिस्तान के आधारभूत संरचना, विनियामकों का नेटवर्क शामिल है। इसके अन्तर्गत विद्युत, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, जल, परिवहन आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में अनुसंधान, विनियामक सुधार प्रक्रिया तथा अनुभव से सम्बन्धित डाटा बैंक उपलब्ध करना तथा ज्ञान एवं प्रवीणता का लाभकारी आदान-प्रदान आरम्भ करना सम्मिलित है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर फोरम की बैठकों में भाग लिया गया।

6.7.2 भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR):

भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) एक पंजीकृत संस्था है जिसका गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। इसकी सदस्यता शुल्क पर आधारित है। FOIR का उद्देश्य विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता विकसित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा, उपभोक्ता समयक संस्थाओं का विकास, विनियामक संस्थाओं, यूटिलिटीज व अन्य लाभार्थियों में मानवीय तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास, विनियामक विधियों तथा प्रथा को सूचनात्मक आधार प्रदान करना, विनियामक मितव्ययता, स्वतन्त्र विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है, जिसमें विभिन्न मामलों में विचार-विमर्श किया जाता है। आयोग द्वारा संस्थागत सदस्य के रूप में दिनांक 26 मई 2001 को इसकी सदस्यता ग्रहण की गई। फोरम के सदस्य शासकीय निकाय में अवैतनिक हैसियत से नियुक्त के पात्र हैं। शासकीय निकाय को सचिवालय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। FOIR की सर्वोच्चसत्ता सामान्य निकाय में निहित है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार सम्भवतः जून माह में होती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय-समय फोरम की बैठकों में भाग लिया गया।

6.7.3 विनियामकों का फोरम (FOR):

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (2) के उपबन्धों के अधीन विनियामकों के फोरम का गठन 16 फरवरी, 2005 को किया गया था। विद्युत क्षेत्र में अधिकतर निश्चितता प्राप्त करने के उद्देश्य से फोरम पूरे देश में तालमेल स्थापित करके विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यों में एकरूपता लाने की दिशा में कार्य करने हेतु उत्तरदायी है। फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERCs) के अध्यक्ष

शामिल हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष इस फोरम के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान विनियामकों के फोरम (FOR) की कम से कम दो बार बैठक होती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर फोरम की बैठकों में भाग लिया गया।

6.7.4 उत्तरक्षेत्रीय विद्युत विनियामक फोरम (NRFER):

एच.पी.ई.आर.सी., जे.के.ई.आर.सी., एच.ई.आर.सी., पी.ई.आर.सी., डी.ई.आर.सी., यू.पी.आर.सी., जे.ई.आर.सी., यू.ई.आर.सी. जैसे उत्तरी क्षेत्र के विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के राज्यों से सम्बन्धित सामान्य विनियमन हेतु एक तालमेल फोरम स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। एन.आर.एफ.ई.आर. का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही यह भी प्रस्तावित था कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वरिष्ठतम अध्यक्ष एन.आर.एफ.ई.आर. (NRFER) के अध्यक्ष होंगे। एच.ई.आर.सी. के सचिव इसके सचिव होंगे। सामान्य निकाय तथा कार्यकारी समिति की बैठकें छः महीने में कम से कम एक बार इसके मुख्यालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बारी-बारी से आयोजित की जाती हैं। कार्यकारी समिति में 9 नामित सदस्य होंगे। (NRFER) का उद्देश्य उत्तरक्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यतः विनियामक तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में साझेदारी, उपभोक्ता हित तथा उनकी हिमायत, शिकायत निवारण तंत्र के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं में जागरूकता विकसित करना, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा अध्ययन आरम्भ करना, समान क्षेत्रीय हितों सम्बन्धी सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा मानवीय एवं संस्थागत क्षमता निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

6.8 कम्प्यूटरीकरण:

आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी क्षमता तथा संगति के दृष्टिगत डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। इन्हें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान-प्रदान प्राथमिकता तथा विश्वसनीय रूप में बिना कागज़ के प्रयोग से किया जा सके। कार्यालय में आवश्यक पेरिफेरियल हार्डवेयर सहित मानक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करवाए गये हैं।

6.9 पुस्तकालय:

आयोग से सम्बन्धित पुस्तकें, विधिजर्नल तथा अन्य दस्तावेज अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के दौरान आवश्यकतानुसार समय-समय पर पुस्तकालय के लिए क्रय किये गये हैं।

अध्याय-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति निर्माण या कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श अथवा उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

आयोग द्वारा अपने आवश्यक कार्यों के निर्वहन हेतु अधिनियम में ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, परन्तु उसके द्वारा बनाये जाने वाले विनियामक प्रारूप उपबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशन प्रक्रिया अपना कर आम जनता के सुझाव लेने होंगे, तथा ऐसे विनियम, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण के अध्याधीन होंगे। आयोग द्वारा अपने सभी प्रकार के कृत्यों के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाते हुए सभी को सुनने के अवसर प्रदान करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं के अधिकतम वर्गों के विचारों तथा हितों की उचित पैरवी हो रही है, आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता श्री पी.एन.भारद्वाज को आयोग की कार्यवाही के दौरान उपभोक्ताओं के हितों को प्रस्तुत करने हेतु उनके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्याय-8

परामर्श प्रदान करने हेतु गठित समितियां तथा अन्य निकाय

राज्य आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के नियम 87 के अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। राज्य सलाहकार समिति के 21 सदस्य हैं जैसा कि **परिशिष्ट-IV** पर दर्शाया गया है। समिति के सदस्य वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन तथा विद्युत उद्योग जैसे हित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव भी समिति के पदेन सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा आयोग के सचिव समिति के भी सचिव हैं। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित मामलों में आयोग को विचार-विमर्श हेतु अपना परामर्श प्रदान करती है :-

- i) नीति सम्बन्धी मुख्य प्रश्न।
- ii) लाईसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणात्मक- निरन्तर तथा सेवा विस्तार से सम्बन्धित मामले।
- iii) लाईसेंसधारी द्वारा अपने लाईसेंस के अनुरूप शर्तों तथा आवश्यकताओं की अनुपालना।

- iv) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा।
- v) विद्युत आपूर्ति तथा युटिलिटी द्वारा मानक निष्पादन।
राज्य सलहकार समिति की 11 वीं बैठक दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की गई जिसका कार्यवृत्त परिशिष्ट-II पर दिया गया है।
उपरोक्त के अतिरिक्त विनियामक महत्व के मामलों पर विचार-विमर्श हेतु आयोग के अधिकारियों, रिटेनरस तथा परामर्शदाताओं की कार्यालय में भी समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं।

अध्याय—9

पावर सैक्टर के विभागों तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं का संक्षिप्त पर्यवलोकन

9.1 हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड:

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम, (1948) के उपबन्धों के अधीन 1971 में किया गया था। तत्पश्चात बाढ़ नियंत्रण तथा लघुसिंचाई कार्य के अतिरिक्त बहु-उद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग के समस्त कार्य जैसे विद्युत उत्पादन, जलविद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कार्य बोर्ड को स्थानान्तरित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण का कार्य 10 जून, 2010 तक किया गया जब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131(2), 132, 133 तथा अन्य प्रयोज्य उपबन्धों के अधीन विद्युत उत्पादन, वितरण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को विद्युत विपणन सम्बन्धी कार्य स्थानान्तरित किए गये तथा हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर रिफार्म स्कीम, 2010 के अधीन विद्युत की संचारण द्वारा निकासी सम्बन्धी कार्य हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थानान्तरित किए गये। राज्य क्षेत्र में नये परियोजनाओं के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही एक पृथक उत्पादन कम्पनी की स्थापन की जा चुकी थी।

अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, दिनांक 15 जून, 2009 को जारी अधिसूचना संख्या: एम पी पी-ए(3)-1/2001-IV के अनुसार कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, अधिकार, दायित्व, भार, कार्यवाहियां तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित किए गये। इसके साथ ही अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानान्तरण स्कीम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या: एम पी पी-ए(3)-1/2001-IV दिनांक 10 जून, 2010 के अनुसार उपरोक्त कार्य, परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, अधिकार आदि जो पूर्व में सरकार में निहित थे, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाने जानी वाली नई सत्ताओं में पुनः निहित की गई। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत उत्पादन, विद्युत संचारण एवं वितरण सम्बन्धी कार्यों को उसमें पुनः निहित करने के उद्देश्य से कार्य करने हेतु 10 जून, 2010 को अस्तित्व में आया। विद्युत अधिनियम, 2003 भी धारा 14 के प्रथम उपबन्ध अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण तथा आपूर्ति के सम्बन्ध में एक मान्य लाइसेंसधारी है।

पुनर्गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य सौंपा गया है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश राज्य में विपणन के साथ-साथ विद्युत वितरण प्रणाली के विकास, (नियोजन, रूपांकन तथा निमार्ण) संचार तथा रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया है। राज्य का नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं की पहचान तथा अन्वेषण का कार्य भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सौंपा गया है।

तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों का स्वामित्व तथा संचालन का रख रखाव भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया है तथा वह राज्य क्षेत्र में नए उत्पादन परियोजनाओं के निष्पादन कार्य को भी जारी रख सकता है यदि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आबंटित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों में भी विद्युत की भागीदारी है जबकि वह राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पड़ोसी राज्यों से भी विद्युत आयात करता है।

विद्युत बोर्ड के संचालन, रख-रखाव तथा वितरण सम्बन्धी कार्य, 'उत्तर', 'मध्य', तथा 'दक्षिण' नामक तीन संचालन प्रभागों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रत्येक इ एच वी प्रभाग (पद्धति संचालन प्रभाग से नामित) मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करता है। तीनों संचालन प्रभागों के अन्तर्गत 12 संचालन वृत्त शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, राज्य के 12 जिलों के सुनिश्चित क्षेत्र के अनुसार नहीं हैं। विकट भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु एवं बिखरे और दूरदराज के क्षेत्र में बसने वाली जनसंख्या के बावजूद राज्य द्वारा शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में सन् 1988 में शतप्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

9.2 हिमाचल प्रदेश पावर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड :

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय के उपबन्धों के अधीन एक मान्य लाइसेंसधारी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड का गठन, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या: एम पी पी-ए-(1)4/2006-लूज दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को अधिसूचित आदेश द्वारा किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर को जारी पूर्व अधिसूचना के साथ पठित अधिसूचना संख्या एम पी पी-ए-(1)4/2006-लूज दिनांक 3 दिसम्बर, 2008 के द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कार्य/व्यवसाय सौंपे गये थे:

1. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाले उप-स्टेशनों के सभी प्रकार के नये कार्य।
2. 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों के निर्माण/बिछाने सम्बन्धी सभी नये कार्य।
3. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा योजना के अधीन वित्त-पोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं, जिनके साथ अभी तक ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किए गये हैं, नये कार्यों सहित संचारण-तंत्र का सुदृढीकरण तथा विद्युत की निकासी हेतु राज्य के लिए संचारण मास्टर योजना का निर्माण, आधुनिकीकरण तथा निष्पादन।

4. सी टी यू, सी इ ए, ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ संचारण सम्बन्धी योजना तथा समन्वय सम्बन्धी सभी मामले।
5. संचारण सम्बन्धी सभी मामलों में आई पी पी एस/ सी पी एस यू/ राज्य पी एस यू/ अन्य विभागों अथवा संगठनों अथवा केन्द्र तथा राज्य सरकार की एजेन्सियों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के साथ योजना बनाना तथा समन्वय स्थापित करना।
6. अन्य मामला सम्बन्धी सभी विषय जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निगम को सौंपे जाएं।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने दिनांक 10 जून, 2010 के आदेश के द्वारा राज्य संचारण युटिलिटी घोषित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2010 को जारी अपने आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को एक मान्य "संचारण लाइसेंसधारी" के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2011 से पूर्व संचारण शुल्क, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर लागू होने वाली शुल्क आदेश के एक भाग के रूप में निर्धारित किया जाता था।

पावर ग्रिड ऑफ इंडिया द्वारा स्वामित्व प्राप्त तथा संचालित लाईनों के समन्वय, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा पावर कौम (पंजाब राज्य बिजली बोर्ड) सहित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्व वाली 66 के वी तथा इससे ऊपर की क्षमता वाली संचारण लाईनों का संचालन एवं रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा जारी अपनी समसंख्या दिनांक 10 जून, 2010 के साथ पठित पूर्व अधिसूचना सहित अपनी अधिसूचना संख्या एम पी पी-ए(3)-1/2001-IV दिनांक 21 जून, 2010 के द्वारा इनका स्वामित्व भी हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया।

9.3 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड:

हिमाचल प्रदेश में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से सम्बन्धित जल विद्युत के सभी पहलुओं के विकास, योजना, प्रोत्साहन तथा संगठन के उद्देश्य से दिसम्बर, 2006 में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड निगमित किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में हिमाचल प्रदेश सरकार की 60% तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की 40 प्रतिशत भागीदारी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड का लक्ष्य है कि मार्च, 2017 तक 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता तथा वर्ष 2022 तक 5000 में वा विद्युत उत्पादन का दोहन किया जाए ताकि विद्युत उत्पादन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की खुशहाली में योगदान प्रदान किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में 450 मेगावाट शौंगटौंग कड़छम, 100 मेगावाट सैज, 111 मेगावाट सावड़ा कुड्डू,

243 मेगावाट काशंग, 42 मेगावाट चिड़गांव मझगांव तथा 40 मेगावाट रेणुका जी जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर निष्पादन कार्य चल रहा है।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के समक्ष यह चुनौती है कि वह अपनी सभी प्रकार की तकनीकी तथा संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करके एन.टी पी.सी, एन.एच.पी.सी तथा एस.जे.वी.एन.एल. जैसी ख्यातिप्राप्त उत्पादन कम्पनियों के समक्ष एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में विकसित करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य तथा ख्यातिप्राप्त तकनीकी मानवशक्ति के द्वारा विभिन्न विभागों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जल विद्युत विकास के अतिरिक्त एचपीपीसीएल, विद्युत विकास गतिविधियों में विविधता लाने के लिए अन्य क्षेत्रों में जैसे कि थर्मल, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत (मुख्यतः सौर ऊर्जा), का इच्छुक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य की प्रगति एवं खुशहाली के दृष्टिगत, विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने, पर्यावरण तथा पारिस्थितिक सन्तुलन सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा परियोजनाओं के सुनिश्चित कार्यान्वयन हेतु एक दीर्घकालीन निगमित योजना तैयार की जाए।

9.4 हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी:

हिमाचल प्रदेश में राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की स्थापना सन् 2002 में की गई थी तथा उसी समय से इसका संचालन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा किया जाता रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ही राज्य में उत्पादन तथा संचारण को प्रतिस्पर्धात्मक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न युटिलिटी स्थापित की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वितरण व्यवसाय में राज्य में एक मात्र युटिलिटी का कार्य करता रहा। राज्य संचारण युटिलिटी के स्वामित्वाधीन पूर्व में वर्गीकृत अन्तरराज्यीय संचारण लाईनें, एच वी/ई.एच.वी. अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिन्हें अब एच.वी/ई.एच.वी संचारण लाईनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः क्षेत्र के अन्य कई राज्य जहां राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य राज्य संचारण युटिलिटी को सौंपे गये हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह कार्य अन्यथा रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास ही रखे गये हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्यों एवं कर्तव्यों के कुशल एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए गये हैं कि राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को स्वतंत्र रूप में कार्य करने हेतु कार्यशील स्वायत्तता प्रदान की जाए।

इसी के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश एम पी पी-बी (13)-2/2010 दिनांक 8.11.2010 के अधीन राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र को एक स्वतन्त्र सत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से “हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी” की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाएँ दिनांक 17 जून, 2012 से सेकेन्डमेन्ट आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी को प्रदान की गई है। अतः हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सोसाइटी द्वारा दिनांक 17 जून, 2012 से

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एक मात्र डी आई एस सी ओ एम होने के नाते तथा उसके द्वारा एक लम्बी अवधि तक राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र का कार्य किए जाने वाले दोनों कारणों से राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित करने में जटिलता उत्पन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में अपनाए गये राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी के साथ) तथा ए एल डी सी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) की एक मात्र समन्वित पहल से परिवर्ती चरण में कठिनाई होने की सम्भावना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ए एल डी सी तथा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की सुविधाएं एक ही परिसर में अवस्थित हैं ; राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र के कार्य संचालन हेतु वांछित आवश्यक परिसम्पत्तियां अभी तक भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिमाचल प्रदेश लोड डिस्पैच सोसाइटी की आवश्यक आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध करवाए जायें ताकि वह अधिनियम के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसके साथ ही, जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में आई अत्याधिक वृद्धि तथा राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा खुली पहुँच की ओर प्रवृत्त होने के कारण राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अधिनियम के अधीन इसे ऊर्जा प्रणाली समन्वित के संचालन हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है।

9.5 ऊर्जा निदेशालय (DOE):

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2009 में जल विद्युत विकास तथा परियोजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों के समाधान हेतु ऊर्जा निदेशालय की स्थापना एक एकांकी सम्पर्क स्थल के रूप में की गई। ऊर्जा निदेशालय के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :—

1. राज्य की आपार जल विद्युत सम्भावना के सर्वोत्तम दोहन, विकास तथा प्रोत्साहन हेतु निदेश जारी करना तथा प्रेरक ढांचा उपलब्ध कराना।
2. कार्यक्रमों/नीतियों का समन्वय/सुविधाएं प्रदान करना ताकि ऊर्जा के संरक्षण के साथ-साथ इसका कुशल प्रयोग भी किया जा सके।
3. राज्य की मुफ्त/इक्वटी विद्युत की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना। ऊर्जा निदेशालय राज्य के विद्युत विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों द्वारा अपना सहयोग प्रदान कर रहा है:—
 - i हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन।
 - ii परियोजनाओं के कार्यान्वयन की संवीक्षा।
 - iii टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेन्स प्रदान करना।

- iv हिमाचल प्रदेश सरकार के विद्युत भाग का विक्रय करना।
- v ऊर्जा परिरक्षण तथा कार्यकुशलता उपायों को प्रोत्साहित करना।
- vi जल विद्युत संयंत्रों की गुणवत्ता तथा सुरक्षा पहलुओं की संवीक्षा।

9.6 हिम ऊर्जा:

हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु हिम ऊर्जा राज्य की नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा राज्य/केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग में सहायता प्रदान की जा रही है। भारत सरकार के एम एन आर इ द्वारा हिमाचल प्रदेश को मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया गया है। हिमऊर्जा के कार्य निम्नलिखित हैं :-

1. सौर ऊर्जा साधनों का प्रापण, उपलब्धता एवं उनकी स्थापना।
2. विभिन्न उपलब्ध स्कीमों के अधीन भारत सरकार के एम एन आर इ को परियोजना मोड के अधीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजना।
3. भारत सरकार के जे एन एन एस एम तथा एम एन आर इ की अन्य स्कीमों के अधीन लाभान्वितों को उपदान प्रदान करवाना।
4. राज्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करना तथा राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के प्रयोग, प्रोत्साहन तथा विकास हेतु नीति अपनाना।
5. हिमऊर्जा एम एच इ पी से विश्वसनीय तथा गुणवत्ता वाली निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
6. विद्युत परियोजनाओं की पहचान तथा आबंटन के लिए पारदर्शी नीति बनाना।
7. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी द्वारा लघु जल विद्युत सम्भावनाओं का दोहना।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्देशों के अनुसार विद्युत परियोजनाओं में हिमाचलियों को राजगार सुनिश्चित करना।
9. एस सी एस पी के अधीन अनुसूचित जाति बहुल गांवों में एस पी वी स्ट्रीट लाईट लगाना सुनिश्चित करना।
10. ऊर्जा के सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सम्बन्ध में संसाधन मूल्यांकन तथा सम्भावनाओं के अनुमान के बारे अध्ययन करना।
11. स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों को उपदान के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी मामलों का संचालन करना।
12. टीईसी तथा इन्टरकनेक्शन प्वाइंट के अनुमोदन हेतु एच पी पी टी सी एल तथा डी ओ ई, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सुविधा प्रदान करना।

13. वैधानिक तथा गैर वैधानिक क्लीयरेन्स प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से सम्पर्क करना।
14. नवीकरणीय ऊर्जा उपायों के सम्बन्ध में धन उपलब्ध करवाने बारे जनजातीय विभाग तथा समाजिक न्याय विभाग के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
15. विभिन्न सरकारी विभागों स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की संवीक्षा करना।
16. नवीकरणीय ऊर्जा साधनों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके विकास हेतु विभिन्न साधनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

9.7 मुख्य विशेषताएं:

9.7.1 उत्पादन :

हिमाचल प्रदेश में कुल 26261 मेगावाट जलविद्युत सम्भावना चिन्हित की गई है। हिमाचल प्रदेश को देश में जलविद्युत राज्य का दर्जा हासिल करने तथा राज्य में उपलब्ध अपार जलविद्युत सम्भावना के दोहन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, राज्य, केन्द्र, संयुक्त तथा निजी चारों को शामिल करके एक नीति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 5 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं को राज्य तथा निजी क्षेत्र के अधीन कार्यान्वयन हेतु हिमऊर्जा को सौंपे गये हैं। 26261 मेगावाट चिन्हित जल विद्युत सम्भावना में से 9432.64 मेगावाट विद्युत दोहन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा 11233 मेगावाट औसत क्षमता विभिन्न क्षेत्रों के अधीन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 40 मेगावाट सम्भावना क्षमता विवादाधीन अथवा रद्द की गई है, जबकि 755 मेगावाट सम्भावना पर्यावरण के अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी गई हैं।

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अधीन जलविद्युत विकास की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की स्थिति									
क्रं सं	क्षेत्र		चालू	निर्माणाधीन	क्लीयरेन्स प्राप्त	जांच के अधीन	विवादार्पद रद्द की गई	छोड़ दी गई	कुल योग
			क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में	क्षमता मेगावाट में
1.	हिमऊर्जा	राज्य	2.37	0.00	14.50	0	0.00	0.00	16.87
		निजी	245.75	153.15	428.15	193.68	0.00	0.00	1120.73
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य	5 मे. वा तक	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01

	विद्युत बोर्ड लिमिटेड	> 5 मे. वा.	466.45	100	0.00	85.5	00	0.00	651.95
3.	एच पी पी सी एल		0.00	856.00	1285.00	963.00	20.00	20.00	3124.00
4.	केन्द्रीय तथा संयुक्त		66.73	1600.00	66.00	588.00	0.00	0.00	8929.73
	यमुना परियोजना		131.57						131.57
5.	रंजीत सागर डैम (हिमाचल का भाग)		27.6						27.6
6.	निजी		1862.07	781.43	829.2	3089.5	20.00	735.00	7317.2
योग			9432.64	3490.58	2622.85	5119.68	40.00	755.00	21440.75
विचाराधीन शेष सम्भावना									4820.61
कुल योग									26261.36

9.7.2 नेटवर्क:

अन्तरंग राज्य संचारण एवं वितरण नेटवर्क के अन्तर्गत 220 के वी, 132 के वी, 66 के वी, 33 के वी, 22 के वी 11 के वी तथा 0.43/0.23 के वी वोल्टेज समाविष्ट है। नेटवर्क के अधीन विभिन्न वोल्टेज स्तरों के अन्तर्गत लगभग 95106.14 किलोमीटर लम्बी विद्युत लाइनों का नेटवर्क शामिल है। वोल्टेज अनुसार लाइनों की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण निम्न प्रकार से है :-

इ एच टी लाइन की लम्बाई का विवरण

220 के वी	132 के वी	66 के वी	कुल
422.49 कि. मी.	1419.22 कि. मी.	512.12 कि. मी.	2353.82 कि. मी.

एच टी लाइन की लम्बाई का विवरण

33 के वी	22 के वी	15 के वी	11 के वी	2.2 के वी	योग
3107.095 कि. मी.	7131.020 कि. मी.	105.41 कि. मी.	21591.852 कि. मी.	48.27 कि. मी.	31983.645 कि.मी.

एल टी लाइन की लम्बाई तथा वितरण रूपान्तरण क्षमता का विवरण

एल टी लाइन (0.4/0.2 के वी)	वितरण उप-केन्द्र	
	संख्या	के वी ए
60768.674 कि. मी.	27088	2326566.9

संचारण / वितरण नेटवर्क के पोषण हेतु कुल 40 इ एच वी उप-केन्द्र हैं। राज्य के कुछ भागों की विकट जलवायु स्थिति तथा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इतने बड़े नेटवर्क का रख-रखाव एक चुनौती भरा कार्य है। राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों से बिजली की निकासी तथा बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु नेटवर्क को उन्नतिशील बनाया जाना आवश्यक है।

9.7.3 वितरण :

हिमाचल प्रदेश में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1988-89 (जून 1988) के दौरान 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया था। तत्पश्चात्, मैसर्ज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा बदल दी गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार मार्च, 2014 के अन्त तक कुल 17495 गांवों में से 17483 गांव का विद्युतीकरण किया गया तथा 12 गांव तकनीकी तौर पर उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि वे बिना आबादी वाले अस्थाई गांव हैं जो घने जंगलों में स्थित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हैमलेटस के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया जिसके अधीन मार्च 2014 तक 4047 (चिन्हित) + 614 (गैर चिन्हित) हैमलेटस का विद्युतीकरण किया गया जबकि 135 हैमलेटस को अभी भी विद्युत उपलब्ध करवाना बाकी है।

इस समय कुल 21.97 लाख उपभोक्ता हैं, तथा कनैक्टिड लोड 60,41,979 किलोवाट है। इन उपभोक्ताओं को 34,337.47 किलो मीटर एच टी तथा 60768.67 किलो मीटर एल टी लाइनों के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। 27088 वितरण उप-केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 23,26,567 किलोवाट है। वर्ष 2014-15 के दौरान संचारण तथा वितरण क्षतियों का स्तर 11.89 प्रतिशत रहा।

9.7.4 खपत तथा उपलब्धता:

राज्य में वर्ष 2014-15 के दौरान उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा कुल 7798.2 मिलियन युनिट विद्युत का प्रयोग किया गया तथा अधिकतम मांग 1422 मेगावाट रही। सर्दी के महीनों में अधिक ऊर्जा की मांग रहती है जबकि इस समय जलविद्युत उत्पादन कम रहता है। कुल मिलाकर राज्य में विद्युत उत्पादन अधिक रहता है तथापि सर्दियों के महीनों में वितरण लाइसेंसधारी (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) के पास बिजली की कमी रहती है, तथा गर्मियों के महीनों में इसके पास विद्युत की अतिरिक्त मात्रा रहती है। गर्मियों के महीनों में अतिरिक्त विद्युत पड़ोसी राज्य को आपूर्ति की जाती है तथा सर्दियों में इसे उनसे प्राप्त किया जाता है क्योंकि इस समय लाइसेंसधारी के पास बिजली की कमी रहती है। राज्य सरकार का विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाग है तथा इसके साथ ही नाथपा झाकड़ी जैसी जल विद्युत परियोजना में भी इसकी इक्वटी भागीदारी है। राज्य को, राज्य में स्थित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से भी 12 % मुफ्त बिजली प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड अपनी आवश्यकता की पूर्ति उपरोक्त साधनों, अपने जल विद्युत स्टेशनों तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड एवं भागीदारी वाले अन्य उत्पादन केन्द्रों

से प्राप्त विद्युत के द्वारा करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1099 युनिट थी जो 2014-15 के दौरान बढ़कर 1136 युनिट हो गई इस प्रकार इसमें 3.37% की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में लगभग 59% का विद्युत उपयोग उद्योगों द्वारा किया जाता है, इसके पश्चात् घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 24% विद्युत का उपयोग किया जाता है। तीन वर्षों के दौरान वर्गों के अनुसार ऊर्जा के उपयोग तथा वृद्धि दर का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ग	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14		वित्त वर्ष 2014-15	
	खपत (मि. यु)	खपत (मि. यु)	वृद्धि दर	खपत (मि. यु)	वृद्धि दर
घरेलू	1618.45	1774.497	9.64%	1871.536	5.47%
गैर घरेलू तथा गैर वाणिज्यिक	106.82	117.59	10.08%	128.95	9.66%
वाणिज्यिक	408.73	450.942	10.33%	468.38	3.87%
सार्वजनिक रोशनी	13.91	12.454	-10.47%	13.247	6.37%
लघु विद्युत	61.48	59.069	-3.92%	70.513	19.37%
मध्यम विद्युत	144.69	144.069	-0.43%	137.317	-4.69%
वृहद् आपूर्ति	4173.16	4287.579	2.74%	4386.116	2.30%
जल पम्पिंग तथा सिंचाई आपूर्ति	500.6	512.041	2.29%	541.877	5.83%
अस्थाई	25.9	26.895	3.84%	25.502	-5.18%
बहुल आपूर्ति	169.78	150.696	-11.24%	154.755	2.69%
कुल ऊर्जा विक्रय	7223.52	7535.832	4.32%	7798.197	3.48%

अध्याय-10

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

वर्ष 2014-15 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका अनुच्छेद-1 पर दर्शाई गई है।

अध्याय-11

आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक

11.1 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कुल वेतन का विवरण, 31-03-2015 अथवा उनके द्वारा आयोग में अन्तिम मास तक कार्य करने की स्थिति के अनुसार अनुच्छेद-II पर दिया गया है।

11.2 आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकार द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी वर्ग के लिए अनुमोदित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके बारे में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड पर आधारित वेतनमान सरकार द्वारा संरक्षित किए गये हों। तथापि हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से आयोग द्वारा

सेकेन्डमेन्ट आधार पर लिए गये कर्मचारियों, जिनके वेतनमान तथा भत्ते हिमाचल प्रदेश सरकार से पृथक हैं, के सम्बन्ध में वही वेतनमान तथा भत्ते दिए जा रहे हैं जो कि उन्हें अपने सम्बन्धित संगठनों में देय थे।

अध्याय—12

आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु अपनाए अथवा धारित नियम, विनियम, नियमावलि या निर्देशन तथा अभिलेख।

12.1 नियम, विनियम तथा निर्देशन :

आयोग तथा इसके कर्मचारियों द्वारा अपने नैतिक कार्यों के निर्वहन हेतु अपनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिनियम, नियम तथा विनियम निम्न हैं :—

1. विद्युत अधिनियम, 2003।
2. विद्युत नियम, 2005।
3. विद्युत नीति।
4. शुल्क नीति।
5. सी. ई. आर. सी. विनियम तथा आदेश।
6. आयोग द्वारा वर्ष के दौरान समय-समय पर बनाये गये विभिन्न विनियम/संशोधन/अन्य अधिसूचनाएं/आदेश:—
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्षीय प्रबन्धन) विनियम, 2011
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण निष्पादन मानक)
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापारी बनने के लिए पात्रता शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व तथा इसकी अनुपालना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राशि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2011
 - औसत पूल्ड क्रय लागत (ए पी पी सी) आदेश, दिनांक 14 जून, 2011
 - हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संयोजन की स्वीकृति, अन्तरंग राज्य दीर्घकालीन तथा लघुकालीन खुली पहुँच तथा सम्बन्धित सामग्री) के अधीन संचारण में खुली पहुँच विनियम लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना, विनियम, 2010 जारी किए गये हैं।

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2011
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा लगाये जाने वाले प्रभार तथा शुल्क की वसूली) अधिनियम, 2011

आयोग द्वारा अभी तक अधिसूचित विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

7. नागरिक प्रक्रिया कोड।

8. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (निधि निर्माण निधि प्रयोज्यता तथा बजट निर्माण के लिए फार्म तथा समय) नियम, 2007

9. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों स्थापना मामलों आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी नियम, निर्देश/परिपत्र।

12.2 नियमावली तथा रिकार्ड आदि :

उपरोक्त वर्णित नियमों तथा विनियमों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शका आदेश/धारणा-पत्र भी जारी किए गये हैं :-

1. लोड फोरकास्ट, संसाधन योजना तथा विद्युत प्रापण प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शन।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु निर्देश, 2005
3. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग खुली पहुँच प्रभार निर्धारण आदेश, 2008
4. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अन्तर राज्यीय ट्रेडिंग मार्जिन निर्धारण आदेश, 2008
5. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड इन्टर एक्टिव फोटो बोल्टिक तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं (एम एन आर ई दिशा निर्देशों के अधीन पात्र) के लिए शुल्क, 2009
6. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
7. नामोदिष्ट राज्य एजेंसी अधिसूचना।

8. आर पी पी ओ अधिसूचना, कैप्टिव तथा खुली पँहुच वाले उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) उपयोगकर्ता (कर्ताओं) पर लागू।
9. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना की मान्यता हेतु शुल्क तथा प्रभार निर्धारण) आदेश, 2010
10. संयोजन, दीर्घ तथा मध्यम अवधि, अन्तर्राज्यीय खुली पँहुच की स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया।

अध्याय—13

आबंटन तथा लाभान्वितों सहित उपदान कार्यक्रम

उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन इसके कार्यों की परिधि में नहीं आता।

अध्याय—14

रियायत प्राप्तकर्ता, प्रदान किए गये परमिट अथवा अनुज्ञप्ति

आयोग द्वारा वर्ष के दौरान ऐसी किसी प्रकार की रियासत, परमिट अथवा अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई।

अध्याय—15

आयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित सूचना का विवरण

आयोग द्वारा जारी किए गये सभी विनियम/मार्गदर्शन सिद्धान्त तथा महत्वपूर्ण आदेश इलैक्ट्रानिक माध्यम में रूपान्तरित किए गये हैं जो आयोग की वेबसाईट www.hperc.org पर उपलब्ध हैं।

अध्याय—16

पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि उन्हें सार्वजनिक प्रयोग हेतु अनुरक्षित किया गया हो सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधा

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में जनसाधारण को विस्तृत सूचना तथा सुलभ पहुँच के उद्देश्य से अपनी वेबसाईट <http://hperc.org> तैयार की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, (कार्य संचालन) 2005 के विनियम 23 के अधीन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का रिकार्ड सम्बन्धित पक्षों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए खुला है

बशर्ते कि वे किसी भी समय कार्यवाही के दौरान अथवा आदेशों के पारित होने पर शुल्क अदा करने तथा आयोग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का अनुपालन करें। उपरोक्त विनियमों के विनियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाने तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर आयोग के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुला नहीं है।

अध्याय-17

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 तथा 9 के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचित जनसूचना अधिकारियों का विवरण:

क्रं सं	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या कार्यालय/मोबाइल	आवास
1.	अपीलीय प्राधिकारी			
	डॉ मान सिंह	सचिव	0177-2621003 94180-03256	0177-2623291
2	जनसूचना अधिकारी			
	श्री दिवाकर शर्मा	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	0177-2627263	9882380628
3	सहायक जन सूचना अधिकारी			
	श्रीमती रमा महाजन	अधीक्षक	0177-2627263	98051-99588

अध्याय –18

आयोग के नियंत्रण अथवा उसके द्वारा धारित दस्तावेजों के वर्ग

आयोग के पास जो दस्तावेज हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं

:-

- i. आयोग की परिधि में सौंपे गये मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न एजेंसियों तथा उनके उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाएं तथा उन पर जारी किए गये आदेश।
- ii. ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा राज्य सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप-धारा 2 के अधीन कानूनी परामर्श दिया गया हो।
- iii. विभिन्न विनियमों को अन्तिम रूप दिए जाने सम्बन्धी दस्तावेज तथा एतद् सम्बन्धी संशोधन।
- iv. अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामलों के सम्बन्ध में की गई जांच।
- v. आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन, संचारण, थोक तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न अध्ययन, विनियम बनाने, कानूनी तथा तकनीकी सहायता आदि के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति सम्बन्धी पत्राचार।
- vi. बिल, वाऊचर, भुगतान रसीद तथा सम्बन्धित अन्य दस्तावेज।
- vii. वार्षिक लेखा तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रतियां।
- viii. लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्ट।
- ix. कैश बुक, बही खाता आदि।
- x. कर्मचारियों के निजी रिकार्ड तथा सेवा पंजियां।

अनुच्छेद-I

आयोग के कर्मचारियों की दूरभाष निर्देशिका दिनांक 31.03.
2015 को

क्रं सं	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष संख्या	आवास दूरभाष संख्या
1.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी	अध्यक्ष	2627262	2621006
2.	डॉ मान सिंह, हि०प्र०से०	सचिव	2621003	2623291
3.	श्री एस. के. जोशी	कार्यकारी निदेशक (शुल्क)	2627978	2625501
4.	श्री बी. एम.सूद	कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	2627983	94180-28701
5.	श्री शक्ति सिंह	कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	2627983	94181-06122
6.	श्री पंकज शर्मा	संयुक्त निदेशक (शुल्क)	2627907	94180-28496
7.	श्रीमती रिकू गौतम	संयुक्त निदेशक (टी. इको.)	2627908	98166-36690
8.	श्री अजय चड्डा	उप निदेशक (उत्पादन)	2627907	2657452
9.	श्री राकेश चन्द नेगी	उप निदेशक	2627907	2629280
10.	श्री दिवाकर शर्मा	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	2627907	2640471
11.	श्री सतीश आर्य	विधि अधिकारी	2627908	94185-15295
12.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	निजी सचिव	2627262	98171-08228
13.	श्री सुशील कश्यप	रीडर	2627908	94181-20556
14.	श्री बी.एस.कंवर	निजी सहायक	2627262	9418069569
15.	श्रीमती रमा महाजन	अधीक्षक	2627907	98051-99588
16.	श्री राज कुमार शर्मा	अधीक्षक	2627908	94592-65289
17.	श्रीमती रेनु वत्स	स्टैनोग्राफर	2621003	9816398893
18.	श्री दिनेश चौहान	लिपिक	2627978	94184-62400
19.	श्री जगत राम	लिपिक	2626907	98059-59547
20.	श्री रूम सिंह	चालक	—	98160-02465
21.	श्री राजकुमार	चालक	—	94180-53363
22.	श्री कुन्दन सिंह	सेवादर	—	9129422808

अनुच्छेद-II

आयोग के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन दिनांक
31.03.2015 को

क्रं सं	नाम	कुल मासिक वेतन
1.	श्री सुभाष चन्द्र, नेगी, अध्यक्ष	113025
2.	डॉ मान सिंह, सचिव	0
3.	श्री बी. एम. सूद, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	141348
4.	श्री शक्ति सिंह, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	152849
5.	श्री एस. के. जोशी, कार्यकारी निदेशक (शुल्क)	136050
6.	श्री रिकू गौतम, संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	82591
7.	श्री अजय चड्ढा उप निदेशक	67619
8.	श्री पंकज शर्मा संयुक्त निदेशक	77077
9.	श्री राकेश नेगी, उप निदेशक	60987
10.	श्री दिवाकर शर्मा, वरि० लेखा अधिकारी	43840
11.	श्री सतीश आर्य, विधि अधिकारी	58398
12.	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, निजी सचिव	66996
13.	श्री सतीश घारू निजी सहायक	64401
14.	श्री अजय कौशिक, निजी सहायक	54266
15.	श्री सुशील कश्यप, रीडर	64237
16.	श्रीमती रमा महाजन, अधीक्षक	44144
17.	श्री कमल दिलौक, अधीक्षक	35699
18.	श्री बी. एस. कंवर, निजी सहायक	47143
19.	श्री राज कुमार शर्मा, अधीक्षक	56134
20.	श्रीमती रेनु वत्स, आशुटंकक	42556
21.	श्री दिनेश चौहान, लिपिक	28154
22.	श्री जगत राम, लिपिक	27825
23.	श्री रूम सिंह, चालक	32093
24.	श्री राज कुमार, चालक	25095
25.	श्री कुन्दन, सेवादार	16135

अनुच्छेद-III

01-04-2014 से 31-03-2015 तक कर्मचारी वर्ग का

विवरण

क्रं सं	नाम तथा पदनाम	कार्य ग्रहण करने की तिथि	नियुक्ति की विधि
1.	श्री सुभाष चन्द्र नेगी (अध्यक्ष)	01-02-2011	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
2.	डॉ० मान सिंह, सचिव (हि०प्र०से०)	21.08.2012	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त
3.	श्री एस. के. जोशी, कार्यकारी निदेशक (शुल्क)	03.02.2011	सेकेंडमेन्ट आधार पर
4.	श्री बी. एम. सूद, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	06.06.2012 से 07. 04.2014 तक	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेकेंडमेन्ट आधार पर
5.	श्री शक्ति सिंह, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)	04.08.2014 से 07. 04.2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेकेंडमेन्ट आधार पर
6.	श्री पंकज शर्मा, संयुक्त निदेशक	01.08.2012	सेकेंडमेन्ट आधार पर
7.	श्रीमती रिकू गौतम, संयुक्त निदेशक (टी. ई.)	01-06-2005	अन्तरलयन द्वारा
8.	श्री अजय चड्ढा, उप निदेशक (टी. ए.)	23.12.2010	अन्तरलयन द्वारा
9.	श्री राकेश चन्द नेगी, उप निदेशक	18.02.2014 से 31. 03.2014	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेकेंडमेन्ट आधार पर
10.	श्री जे. एस. रेटका, पी.ए.ओ.	17.11.2004	अन्तरलयन से
11.	श्री दिवाकर शर्मा, वरि० लेखा अधिकारी	----	हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर
13.	श्री सतीश कुमार आर्य, विधि अधिकारी	01.07.2013	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेकेंडमेन्ट आधार पर
14.	श्री मोहिन्द्र सिंह ठाकुर, निजी सचिव	22.02.2001	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सेकेंडमेन्ट आधार पर
15.	श्री सुशील कश्यप, रीडर	30-10-2004	अन्तरलयन द्वारा
16.	श्री सतीश धारू, निजी सहायक	19.11.2004	अन्तरलयन द्वारा
17.	श्रीमती रमा महाजन, अधीक्षक	30.10.2004	अन्तरलयन द्वारा
18.	श्री कमल दिलैक, अधीक्षक	30.10.2004 से 24.	अन्तरलयन द्वारा

		02.2014 तक	
19.	श्री बी. एस कंवर, निजी सहायक	30.10.2004	अन्तरलयन द्वारा
20.	श्री राज कुमार, अधीक्षक	25-09-2009	अन्तरलयन द्वारा
21.	श्रीमती रेनु वत्स, आशुटकक	17.07.2013	अन्तरलयन द्वारा
22.	श्री दिनेश चौहान, लिपिक	18.07.2013	अन्तरलयन द्वारा
23.	श्री जगत राम, लिपिक	13.10.2006 से 21-02-2005	सेकेंडमेन्ट आधार पर
24.	श्री रुम सिंह, चालक	14.07.2009	अन्तरलयन द्वारा
25.	श्री राज कुमार, चालक	06.04.2009	अन्तरलयन द्वारा
26.	श्री कुन्दन सिंह, सेवादार	07.11-2013	सेकेंडमेन्ट आधार पर

आयोग की राज्य परामर्श-समिति के सदस्य

क्रं सं	नाम पदनाम तथा पता	समिति में पदनाम
1.	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला-171002.	पदेन अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (एम पी पी एण्ड पावर), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला 171002	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला 171002	सदस्य
4.	सचिव, ब्यूरो ऑफ एर्नेजी एफिशैन्सी, चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर के पूरम, नई दिल्ली-110006	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ब्लॉक न० 14, सी. जी. कम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड विद्युत भवन शिमला-4	सदस्य
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हिमफेड ब्लिडिंग, न्यू शिमला-171009.	सदस्य
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, द्वितीय तल एन बी सी सी टॉवर, 15 भिखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110066.	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष (विद्युत इंजीनियरिंग), राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।	सदस्य
10.	निदेशक (संचालन), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, शिमला-4	सदस्य
11.	निदेशक, ऊर्जा निदेशालय, फेस-3, सैक्टर-5, शान्ति भवन, न्यू शिमला-171009.	सदस्य
12.	निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन,	सदस्य

	शिमला-171005	
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमऊर्जा, एस. डी. ए. कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009	सदस्य
14.	श्री राजेश कुमार मेंहदीरत्ता उप-प्रधान, इंडिया एनेर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, 401, चतुर्थ तल, बोस्टन हॉऊस, सुरेन रोड़, अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई, 400093.	सदस्य
15.	श्री पी. एन. भारद्वाज, आर्कडिया, पो. आ. धर्मपुर, जिला सोलन (हि०प्र०) 173209	सदस्य
16.	प्रधान, शिमला होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट एसोसिएशन द्वारा होटल शिवालिक, रिज़, शिमला (हि०प्र०)	सदस्य
17.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, हिमफैड भवन, बिलो ओल्ड एम. एल. ए. क्वार्टरज़, पंजड़ी, शिमला-171005.	सदस्य
18.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पावर संचारण निगम लिमिटेड, वारोवालिया हॉऊस, खलीनी, शिमला, 171002 (हि०प्र०)	सदस्य
19.	अध्यक्ष सी आई आई, हिमाचल कौंसिल, सैक्टर 31-ए, चण्डीगढ़-160030.	सदस्य
20.	अध्यक्ष, हिमाचल समिति, पी एच डी सी सी आई, कमरा न०205, उद्योग भवन, शिमला-1	सदस्य
21.	कनवीनर, हिमाचल प्रदेश, लघु जल विद्युत एसोसिएशन, बी-99, सैक्टर-3, न्यू शिमला-171009 (हि०प्र०)	सदस्य

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को पीटरहॉफ शिमला-1 में आयोजित 11वीं राज्य परामर्श समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- 1 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की 11वीं राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक 19 दिसम्बर, 2014 को श्री सुभाष चन्द्र नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों, विशेष आमंत्रित

व्यक्तियों, आयोग के अधिकारियों की सूची परिशिष्ट (IV-क) पर दी गई हैं।

- 2 अध्यक्ष द्वारा सदस्यों तथा विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की व्याख्या करते हुए कहा कि विनियामक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय आपसी विचार विमर्श के द्वारा लिए जाने चाहिए, इसी उद्देश्य से आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य परामर्श समिति का गठन किया गया है।
- 3 अध्यक्ष द्वारा आगे कहा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग इस समय तक विनियम बनाने, ए आर आर तथा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अपनाने की दिशा में पर्याप्त रूप से परिवक्व तथा सक्षम हो चुके हैं। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी लोगों को 24x7 के आधार पर पर्याप्त तथा गुणात्मक विद्युत की आपूर्ति वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु अपनी नीतियों तथा कार्य को और सुदृढ़ करें ताकि हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जिसके मूलाधार निम्नलिखित हैं:-

- (क) दीर्घ कालिक आधार पर सुनिश्चित विद्युत की उपलब्धता।
 - (ख) सार्वभौमिक पहुँच हेतु पर्याप्त क्षमता सहित विश्वसनीय नेटवर्क।
 - (ग) दीर्घकालिक प्रत्यक्षता कीमत सहित ऐसा तंत्र स्थापित करना जिसके अधीन समक्ष, कुशल तथा स्थाई आधार पर वहनीय विद्युत उपलब्ध करवाई जा सके।
 - (घ) प्रक्रिया तथा विधियां उपभोक्ता हितों पर आधारित हो ताकि कार्य का निष्पादन सरल रूप से हो तथा इसके लिए मानक तैयार करने के साथ-साथ इन्हें लागू किया जाना चाहिए, तथा
 - (ङ) एक संतुलित तथा उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र अपनाया जाए।
अतः इस राज्य परामर्श समिति के कार्यवृत्त सभी के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता हितों तथा ऊर्जा जैसे मामलों में परामर्श प्रदान करना शामिल किया गया है। इस बैठक में निम्नलिखित विचार- विमर्श हुआ:-
- 4 10वीं राज्य सलाहकार समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
 - 5 सभी के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा “सभी के लिए 24x7 विद्युत” पर अपनी प्रस्तुति दी गई तथा उन्होंने राज्य में विद्युत की दीर्घकालीन मांग-आपूर्ति स्थिति तथा विद्युत की उपलब्धता का वर्णन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड पहले ही 24x7 आधार पर विद्युत उपलब्ध करवा रहा है जिसके और सुदृढिकरण के लिए उसने निष्पादन माप-दण्ड स्थापित किए हैं, उन्होंने कहा कि 24x7 आपूर्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में निम्न क्षेत्रों में सुधार तथा उन्नति की आवश्यकता है:-
 - (क) एक कुशल तथा संस्थागत तंत्र स्थापित करते हुए मांग की वृद्धि को पूरा करने तथा निर्बाध रूप से 24 घण्टे विद्युत खपत की सुविधा प्राप्त करते हुए दीर्घकालिक आधार पर संचारण क्षमता के प्रयोग तथा भविष्य की मांग

- को व्यावसायिक सिद्धान्तों के आधार पर दीर्घ, मध्यम तथा लघु समय की मांग को एक विवेक पूर्ण तथा योग्यतापूर्वक क्रय द्वारा वास्तविक समय पर विद्युत के आधिक्य का प्रयोग करना।
- (ख) गुणात्मक विद्युत आपूर्ति को एक सस्ती लागत नेटवर्क के माध्यम से संविदा, प्रबन्धन सहित भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्रोत्साहन, कार्य तथा वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रापण, मूल्य पर आधारित साधनों में अभिवृद्धि के द्वारा एक कुशल नेटवर्क स्थापित करते हुए संचालन।
- (ग) वितरण कार्य की वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत आई. टी तथा अन्य प्रबन्धन सम्बन्धी उपायों का अपनाते हुए कर्मचारियों की उचित भर्ती, स्थिति तथा नियुक्ति को तर्कसंगत बनाते हुए उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।
- (घ) एक कुशल तथा उत्तरदायी उपभोक्ता हित तंत्र स्थापित करना तथा शिकायत निवारण तंत्र को संतुलित करना।
- (ङ) दीर्घकालिक स्थायित्व तथा समर्थता, जलवायु कार्यवाही विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा स्थानीय तौर पर 100 प्रतिशत हरित विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करना।
- 6 विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित तथ्य सामने आए :
- (क) इ च टी प्रणाली के अधीन नेटवर्क उपलब्धता अत्यधिक संतोषजनक है, परन्तु ट्रिपिंग तथा अनियंत्रित पॉवर कट की समस्या बार-बार सामने आती है।
- (ख) इस प्रकार की ट्रिपिंग या तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड प्रबन्धन तथा बाह्य क्षेत्र में कार्यरत संचालन कर्मचारियों तथा इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड प्रबन्धन तथा ग्रिड संचालकों के बीच आपसी उचित तालमेल न होने अथवा वास्तविक समय के दौरान दिन-प्रतिदिन आधार पर विद्युत में कमी होने के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे कट प्रायः आवश्यकता से अधिक अन्यथा पूरे फीडर/ लाईन पर लगाए जाते हैं जिसे बाह्य क्षेत्र में कार्यरत संचालन कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है।
- (ग) किसी क्षेत्र विशेष में पर्याप्त संयोजन पद्धति स्थापित किए जाने के बावजूद, समीपवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध समर्थन क्षमता को समुचित रूप में अन्तः संयोजित नहीं किया जाता उदाहरण स्वरूप सोलन-परमाणु तथा परमाणु-बद्दी/ बरोटीवाला के मध्य इ एच टी नेटवर्क में अभिवृद्धि तथा पुर्नगठन किया जाना सम्भव है, जिसके द्वारा परमाणु की बिजली कमी को पूरा किया जा सकता है।
- (घ) एस एल डी सी तथा ए एल डी सी में कोई भी मानक संचालन प्रक्रिया नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, सूझ बूझ की कमी, व्यावसायिक एवं तकनीकी अभिरुचि तथा यथोचित निर्णय माध्यमों में त्रुटियां होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बहुमूल्य विद्युत संसाधन व्यर्थ में नष्ट हो रहे हैं।

- (ड) 30 दिनों की अवधि के भीतर नए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है जिसका कारण कानूनी प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी तथा 30 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत प्रदान करने की प्रक्रिया में जटिलता तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित आन्तरिक औपचारिकताएं कठिन होना है।
- (च) लोड प्रतिबन्ध के कारण बाह्य क्षेत्रों में कनेक्शन तथा लोड में बढ़ोतरी से मना किए जाने के कारण विलम्ब हो रहा है।
- (छ) फालतू विद्युत की आधिक्य उपलब्धता का बैंकिंग के माध्यम से निपटान किया जाना व्यवसायिक रूप से युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि गर्मी के मौसम में, जब विनियम की जाने वाली विद्युत/द्विपक्षीय बाजार में अपेक्षाकृत मंहगी होती है, अतिरिक्त विद्युत को बेचना लाभकारी होता है, तथा सर्दी के मौसम में इसे क्रय किया जाना समीचीन है क्योंकि इस समय विद्युत सस्ती होती है।
- (ज) बिलों का समय पर जारी न किए जाने के कारण भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राजस्व हानि हो रही है।
- 7 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की कार्य सूची पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात राज्य परामर्श समिति द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित सिफारिशों की गई:-
- (क) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की 100 % हरित विद्युत आपूर्ति से एक स्थाई तथा मौसमी एवं उच्चतम आधिक्य के द्वारा बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होंगे जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही इसके साथ ही राज्य के उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होगा। अतः यह युक्तिसंगत होगा कि हम अपनी वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुनिश्चित अनुबन्धों, अधिमान तथा आधिक्य विद्युत की दीर्घ कालिक आधार पर लगभग 105 प्रतिशत भाग प्राप्त करें क्योंकि पूरी आधिक्य विद्युत आपूर्ति को संग्रहित करने में कोई बुद्धिमता नहीं है, विशेष रूप में ऐसी स्थिति में जब पूरे उत्तरी भाग में गर्मियों के दौरान बिजली की कमी रहती है। अतः वर्तमान के गर्मी के मौसम में बिजली मंहगी तथा सर्दियों में सस्ती होने का यह रुझान बना रहेगा। इसे गर्मी के मौसम में बेचा जाए जिसके द्वारा तरलता में सुधार होने के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी।
- (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा विद्युत क्रय तथा विपणन सहित दीर्घकालीन तथा लघु अवधि योजना, मांग तथा आपूर्ति की प्रत्याशा पर आधारित वास्तविक समय तथा पूर्व एवं समय-समय पर समीक्षा के उद्देश्य से एक ऐसे वरष्ठ अधिकारी जिसकी अनुकूल व्यवसायिक तथा विपणन प्रवृत्ति है, की अध्यक्षता में एक विशेष कक्ष स्थापित करना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु कुछेक कार्यों के निष्पादन के लिए परामर्श सेवाएं अथवा आउटसोर्स की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
- (ग) ग्राहकों की संख्या में वृद्धि तथा कठोर ग्रिड विनियमों के कारण एस एल डी सी को उद्देश्य मूलक, पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि विद्युत संसाधनों के प्रयोग में कुशलता लाई जा सके। इसके साथ

ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड/ए एल डी सी के स्तर पर संचार व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रिया कुशल बनानी होगी ताकि इसके अपने साधनों तथा पी पी ए सहित आई पी पी के माध्यम से पैदा होनी वाली विद्युत की आपूर्ति तथा आवश्यक विद्युत कट तथा रोक को टाला जा सके।

- (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अपनी प्रक्रिया तथा कार्यविधि पर पुनर्विचार करना होगा जैसे कि फार्म, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र, भुगतान प्रक्रिया आदि ताकि ये साधारण, मानक, आत्म प्रमाणित हों, तथा कनेक्शन और लोड प्रतिबंधों/रिलीज के लिए पूरी आधिकारिता, वैधानिक अनुपालना सक्षम करने के लिए 30 दिनों के भीतर विद्युत आपूर्ति हों, परिणामस्वरूप विक्रय में भी वृद्धि हो सके।

- डू भूमि क्षेत्र, जहां ग्रिड स्थाई नहीं है तथा विद्युत आपूर्ति टापू-ढंग से की जाती है, में एल.ई.डी लैम्पस तथा सौर होम लाईट अथवा छत पर सौर लाईट उपलब्ध करवाई जा सकती है, इसी प्रकार ऐसे सभी दुर्गम तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में भी क्षति में कमी तथा कम बोल्टेज के दौरान विद्युत आवश्यकताएं एल ई डी बल्बों से पूरी की जा सकती हैं।
- च हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को जिला/वृत्त की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत इन्टरआलिया खम्बें तथा टॉवर, एच टी एल टी अनुपात, एल टी/ एच टी फिडर लम्बाई, आर ओ डब्ल्यू का अधिकतम प्रयोग, मल्टी सर्किट लाईने, उच्च निष्पादन संचालक, भूमिगत लाईनें, एच वी डी एस, सिंचाई तथा पीने के पानी हेतु उठाऊ जल पम्प की स्टार रेटिंग आदि, के सम्बन्ध में मानक तथा डिजाईन तैयार करने चाहिए। इसी प्रकार निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण तथा निवारक उपायों के लिए एक नियमावली भी तैयार की जानी चाहिए।
- छ एच वी डी एस का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
- ज कृषि के लिए भी 24x7 आधार पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, तथापि सरकारी सिंचाई तथा जलापूर्ति सहित उठाऊ जल के लिए भी पोषक वियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों के लिए अपनाई जानी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की भांति शहरों में भी कृषि की जाती है।
- झ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को संपोषित आधार पर एक प्रभावशाली सेवा प्रदाता बनने के लिए अपनी वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाना चाहिए जिस के लिए उसे विश्वसनीय तौर पर स्वीकृत एफ आर पी को लागू करना चाहिए ताकि वह अत्याधिक अनुदान वाली केन्द्रीय स्कीमों का पूरा लाभ उठा सके, इसके साथ ही उसे वस्तु तथा कार्य के प्रापण हेतु प्रभावशाली ढंग से अपने वित्त पोषण प्रबन्धन की भी पुर्नसंरचना करनी चाहिए, एल टी एवं एच टी स्तरों (इ एच टी को छोड़कर) पर क्षेत्रीय कार्यालयों को उत्तरदायी बनाते हुए ए टी तथा सी क्षतियों में कमी करनी होगी।
- 8 उपभोक्ता हितों की देखभाल तथा शिकायत निवारण विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित मामले सामने आए:-
- (क) उपभोक्ताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं का समय पर बिल जारी करना महत्वपूर्ण है, परन्तु अधिक विलम्ब की स्थिति में सूचना देनी होगी।
- (ख) शिकायतों की प्राप्त करते समय सी जी आर एफ चुनिंदा नहीं होना चाहिए।
- (ग) बकाया तथा विवादास्पद बिलों की स्थिति में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना बिजली काटने सम्बन्धी नोटिस नहीं दिए जाने चाहिए तथा बकाया राशि को बिना किसी विवरण के बिलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- (घ) समसामयिक व्यवसाय तथा सेवा स्तर की अपेक्षाओं के दृष्टिगत आपूर्ति कोड संवेदनशील होना चाहिए तथा इसमें निरन्तर आधार पर संशोधन किया जाना चाहिए।
- (ङ) विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सलाहकार समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारशें की गईं:-
- (i) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्रक्रिया तथा कार्यविधि पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि इन्हें साधारण, सरल, पहुँच वाले तथा उत्तरदायी बनाया जा सके।
 - (ii) फोरम तथा ओमबड्समैन जैसी संस्थाओं को क्रियाशील होना चाहिए ताकि इनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सके।
 - (iii) एफ आर जी सी शिकायत निवारण की दिशा में एक आन्तरिक तंत्र है, अतः उसे सभी प्रकार की शिकायतों को प्राप्त करना चाहिए तथा जहाँ आवश्यक हो इन्हें निवारण हेतु संचालन स्तरों को भेजा जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमों के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के साथ ही इस संस्था को सभी शक्तियों के प्रयोग का विकल्प दिया जाना, इसके साथ ही समवीक्षा, जागरूकता निर्माण, क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा उपभोक्ता को प्रशिक्षण, निशुल्क उपभोक्ता काल सेन्टरों पर नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व आदि कार्य भी इस संस्था द्वारा किए जाने चाहिए।
- 9 नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित प्रभार एन आई टी हमीरपुर में कार्यरत प्रो० एस.एस.चन्देल द्वारा प्रदेश में उपलब्ध विशाल सौर सम्भावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आने वाले समय में स्थाई आधार पर इनकी उपयोगिताओं की ओर इंगित किया। अध्यक्ष द्वारा यह तथ्य सामने लाया गया कि पारम्परिक जल विद्युत उत्पादन की लागत की अपेक्षा लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा सौर ऊर्जा की लागत अपेक्षाकृत अधिक है, इन तकनीकों के स्थाई तथा दीर्घकालीन आधार पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया जाना चाहिए, थोक उपभोक्ता समूह द्वारा अतिरिक्त लागत को वहन करना चाहिए तथा सैधाँतिक तौर पर 10 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त लागत इस दिशा में एक साध्य उपाय होगा। राज्य सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की गई कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे तो एच टी तथा इ एच टी उपभोक्ताओं से वर्तमान वार्षिक शुल्क अवधि के दौरान हरित प्रभार वसूल सकता है।
- 10 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के सचिव, डॉ. मान सिंह द्वारा सभी आमंत्रित व्यक्तियों तथा सदस्यों का बैठक में भाग लेने तथा इसे उपयोगी बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया।

11वीं राज्य सलाहकार समिति में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची:-

क्र.	सदस्य/भागीदार का नाम तथा पदनाम
1	श्री सुभाष चन्द्र नेगी, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
2	श्री पी. एस. नेगी, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला
3	श्री श्याम लाल शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला
4	ई.डी. के. शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, एच पी पी सी एल शिमला
5	डॉ० एस.एस. चन्देल, प्रो० एवं विभागाध्यक्ष, एनर्जी एवं पर्यावरण इंजनियरिंग, एन. आई.टी. हमीरपुर
6	श्री आर. एम. मुकुल, एस. ई. (कार्य) आई. पी.एच. शिमला
7	श्री राकेश बंसल, सी आई आई, हिमाचल प्रदेश सभा, चण्डीगढ़
8	श्री रोहित बजाज, वी.सी.आई.ए.एक्स, मुम्बई
9	श्री डी आर शर्मा, बी बी एन आई ए
10	डॉ० मानसिंह, एच.ए.एस, सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
11	ई.एम.एस राणा, निदेशक, एच पी पी सी एल, शिमला
12	ई. जे. पी. काल्टा, निदेशक, संचालन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला
13	श्री राजीव शर्मा, निदेशक (वित्त), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड शिमला
14	श्री राजेश सिंह, सी.ई. (संचा०) दक्षिण, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला
15	ई० महेश सिरकैक, सी. ई. (एस. ओ एण्ड पी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला
16	ई० सुनील ग्रोवर, सी.ई. (वाणिज्य), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, शिमला
17	ई० अशोक शर्मा, विद्युत ओमबड्समैन, हिमाचल प्रदेश
18	ई० नीरज कपूर, मुख्य अभियन्ता, डी ओ ई, शिमला
19	श्री बी.एम.नान्टा, सदस्य, सी जी आर एफ, शिमला

20	श्री सुमित ढिल्लों, सदस्य, सी.जी.आर.एफ, शिमला
21	श्री धीरज मित्तल, एस.ई. (संचालन) वृत्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, सोलन
22	श्री भारती साम्बयाल, एस.ई. (संचालन) वृत्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊना
23	श्री अनूप धीमान, एस.ई. (संचालन) वृत्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, नाहन
24	श्री राजीव सूद, एक्स ई. एन. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, बद्दी
25	श्री आर.के.धीमान, एक्स ई. एन., हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, पौंटा साहिब
26	श्री एच. के. वाधवा, एस.ई., डी.ओ.ई. कार्यालय, शिमला
27	ई. शक्ति सिंह, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
28	ई. शशिकान्त जोशी, कार्यकारी निदेशक (शुल्क), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
29	ई. पंकज शर्मा, संयुक्त निदेशक (शुल्क), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
30	श्री रिकु गौतम, संयुक्त निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
31	श्री अजय चड्ढा, उप निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
32	राकेश नेगी, उप निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
33	श्री एस के चानना (परामर्शदाता तकनीकी), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
34	श्री जी. पी. अत्री (परामर्शदाता विधि), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
35	श्री पी.एल.नेगी (परामर्शदाता सी. ए. एण्ड ए. आर.), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग
36	श्री दिवाकर शर्मा, पी.ए.ओ., हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

